खण्ड-205, अंक-5
शुक्रवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1881
(31 जुलाई, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३१ जुलाई, १९५९

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़र्तासिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री,
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूरअली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद ,श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीतयादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपतिअम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री

ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी , डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर,आचार्य
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम , श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर , श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद , श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुवितनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव , श्री
राजदेव उपाध्याय , श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन , श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद , श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरसिंह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कन्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हमवतीनन्दनबहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३१ जुलाई, १९५९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षकों के वेतन संबंधी आदेश

**१--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) तथा श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों क वतन संबंधी नई सरकारी घोषणा को कार्यान्वित होने में किस कारण विलम्ब हो रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--इस संबंध में आवश्यक शासकीय आदेश २७ जुलाई, १९५९ को जारी किये जा चुके हैं।

**२--श्री मोतीलाल अवस्थी तथा श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त वेतन संबंधी घोषणा के फलस्वरूप सरकार को कितने धन की इस वर्ष आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--५,७४,२०० रुपये की ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश उन संस्थाओं में पहुंच भी चुके हैं, इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--अभी ये आदेश शिक्षा संचालक के दफ्तर में गये हैं और ५,००० कापियां उनकी छपाई जा रही हैं। फिर वह हर एक शिक्षा संस्था को भेज दी जायंगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आदेशोंकी पूर्ति के रूप में क्या यह समझा जाय कि वेतन में इसी जुलाई मास से क्रमिक रूप से वृद्धि कर दी जायगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---निश्चय रूप से ये वेतन-क्रम पहली जुलाई, १९५९ से लागू होंगे, लेकिन अध्यापकों को यह अधिकार होगा कि वह वेतनक्रम २ जुलाई, १९५९ को या अपनी वेतन वृद्धि तक स्वीकार कर सकते हैं, पर ३० जून, १९६० के बाद वह अपने नये वेतन-क्रम को स्वीकार नहीं कर सकेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि इस संबंध के आदेश संस्थाओं में न पहुंचने के कारण कुछ ऐसा भ्रम हो रहा है कि सरकार अपनी आज्ञा में कुछ विलम्ब कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---नये वेतन-क्रम के कारण व्यवस्थापकों को जो धन की कमी हो रही है नया वेतन-क्रम अध्यापकों को देने के लिए, तो सरकार जल्दी इसके लिए कोई डेफिसिट ग्रांट स्कूलों को देने का विचार कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जब ऐसी समस्या आयेगी तो सरकार उसका खुद इलाज करेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बजट में स्वीकार कर लिया गया है कि इतना धन बढ़ोत्तरी में दिया जायगा, तो यह बढ़ोत्तरी पारसाल मई से ही क्यों नहीं लागू की गयी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्योंकि इसका निश्चय बाद में हुआ, इसलिए पहली जुलाई से लागू किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर २० मार्च, १९५९ के स्थगित प्रश्न]

* * * *

जजी कचेहरी के कर्मचारियों के वेतन में विभिन्नता

*६---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन जिलों में (Bigger Judgeship) हैं और जिन जिलों में (Smaller Judgeship) हैं उन जिलों में जजी के क्लर्कों के वेतन में कुछ अन्तर है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी हां ।

*७---**श्री मुक्तिनाथ राय**---यदि हां, तो क्या और इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अन्तर यह है कि (Bigger Judgeship) के सदर मुन्सरिम की तनख्वाह का वेतन-क्रम २१५-१५-२७५ है और (Smaller Judgeship) के सदर मुन्सरिम की तनख्वाह का वेतन-क्रम २००-१०-२५० है । और इसी प्रकार चीफ रीडर, सेन्ट्रल नाजिर द्वितीय क्लर्क, रेकार्ड कीपर की तनख्वाहों के भी वेतन-क्रम १५०-१०-२०० तथा १००-१०-१५० हैं ।

इस अन्तर का कारण यह है कि १९४७ में जब वेतन-क्रम बढ़ाये गये तो जिन जिलों में काम अधिक था उनमें कर्मचारियों के लिये उच्च वेतन-क्रम रखे गये ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ के बाद सरकार ने जिलों में काम की अधिकता और कमी के कारण कब निरीक्षण करवाया है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अब कराने का विचार है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन कौन से जिले हैं जिनमें स्मालर और बिगर जजशिप हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--बड़े जिले यह हैं :--

आगरा, इलाहबाद, अलीगढ़, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, नैनीताल, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, गाजीपुर, मैनपुरी, फैजाबाद, गोंड़ा, लखनऊ, रायबरेली और सीतापुर ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दोनों जगह के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में कोई कमी न की जाय बल्कि काम की अधिकता और कमी के अनुसार स्टाफ घटा बढ़ा दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम एक कमेटी मुकर्रर करने का विचार कर रहे हैं यह देखने के लिए कि हर कोर्ट में कितना काम है, कितना स्टाफ है और कितने स्टाफ की जरूरत है, उसके मुताबिक हम आगे फैसला करेंगे ।

* * * *

पुलिस द्वारा खोली गई गलत निगरानियों को रद्द करने के प्रार्थना-पत्र

*१०--श्री गनेशचन्द्र काछी(जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ ई० में व सन् १९५८ ई० में ऐसे प्रार्थना-पत्र इलाहबाद हाईकोर्ट में कितने पहुंचे हैं कि पुलिस ने गलत तरीके से निगरानियां खोल दी हैं वह काट दी जावें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सन् १९५७ में १० तथा सन् १९५८ में १६ ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की पुलिस ने निगरानियां खोल दी थीं उनमें से २६ आदमियों ने ५७-५८ में दख्वास्तें दी थीं उनमें से कितनी फैसल हो चुकी हैं और कितनी विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१९५७ में १० दख्वास्तें दी गई थीं जिसमें दो खारिज हो गईं और ८ पेंडिंग हैं और १९५८ में १६ दख्वास्तें दी गईं थीं जिनमें ३ खारिज हो गईं, एक एलाऊ कर दी गई और १२ पेंडिंग हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की पुलिस निगरानियां खोल दिया करे उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में न होकर जिला जज के यहां हुआ करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फिलहाल कायदा तो यही है कि हाईकोर्ट में हुआ करे ।

श्री रामायणराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस अधिकारी गलत निगरानी खोल दिया करते हैं उनको दंड देने की कोई व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कानून पढ़ लीजिये, उसमें हो तो देख लीजिये, इस वक्त मुझको याद नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर(जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि जिन लोगों की निगरानी खोली जाती है वह अत्यन्त ही गरीब होते हैं इसलिए जिला स्तर पर उनकी सुनवाई करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह बात सही नहीं है कि गरीबों की खुल जाती है, बड़े बड़े लोगों की भी खुल जाती है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को पता है कि जिन लोगों की निगरानी पुलिस ने खोली उनमें से कुछ लोगों ने दूर स्थानों पर जाकर डाके डाले हैं और कत्ल किये हैं तो क्या उस डाके और कत्ल के लिये पुलिस को भी कुछ दंड दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---बहुत से चालाकी से निकल जाते हैं और डाके डाल देते हैं।

* * * *

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दखिना शेखपुर का स्थानान्तरण तथा निगोहा में पशु-चिकित्सालय खोलने का विचार

*१२---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम दखिना शेखपुर, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की राजकीय डिस्पेन्सरी उठाकर किसी दूसरी जगह कायम की जा रही है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---ग्राम दखिना शेखपुर, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ग्राम उमरौल को स्थानान्तरित कर दिया गया है। स्थानान्तरण के कारण यह हैं कि ग्राम शेखपुर की आबादी ग्राम उमरोल की अपेक्षा बहुत कम है तथा ग्राम शेखपुर के पास ही चार चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं। अतः चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति के सुझाव पर औषधालय स्थानान्तरित किया गया।

*१३---**श्री रामशरण यादव**---क्या ग्राम निगोहा, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में एलोपैथिक व जानवरों के अस्पताल खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे कब तक खुल जायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---ग्राम निगोहा, जिला लखनऊ के प्रसार सेवा खण्ड, मोहनलालगंज के अन्तर्गत है जहां एक एलोपैथिक चिकित्सालय कार्य कर रहा है। किसी दूसरे एलोपैथिक चिकित्सालय के स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक पशु-चिकित्सालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है और आशा की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष में स्थापित हो जायगा।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री कृपया बतावेंगे कि दखिना शेखपुर के अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत काफी थी और सन्तोषजनक थी और बावजूद इसके वहां से अस्पताल हटा दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐडवाइजरी कमेटी ने सिफारिश की कि वहां से हटाया जाय, इस लिए हटाया गया।

श्री रामशरण यादव---क्या मन्त्री जी के पास कोई रिपोर्ट औषधालय की सन्तोषजनक हालत में होने की आयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नोटिस चाहिए। लेकिन वहां ५०० की आबादी है और यहां २,००० की है, इसलिए ऐडवाइजरी कमेटी ने ज्यादा आबादी की जगह अस्पताल होना ठीक समझा।

* * * *

संक्रामक रोगों से संबंधित फिल्में

*१८---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संक्रामक रोगों से सम्बन्धित सरकार के पास कितनी फिल्में हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी १९ फिल्में हैं।

*१९--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार संक्रामक रोगों से सम्बन्धित नयी फिल्में बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

नैनीताल तराई उपनिवेशन में बंगाली विस्थापितों की पुनर्वासन व्यवस्था

*२०--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार रुद्रपुर में बंगाली शरणार्थियों हेतु कोई Industrial Estate स्थापित कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। पहले रुद्रपुर में बंगाली विस्थापितों के पुनर्वास हेतु औद्योगिक उपनिवेश (Industrial Colony) स्थापित करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन थी, परन्तु भारत सरकार के आदेश पर अब यह रद्द कर दी गयी है।

*२१--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश में बंगाली शरणार्थी कहां-कहां बसाये जा रहे हैं और कितनी लागत पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन बंगाली विस्थापित परिवारों के अतिरिक्त जो गत वर्षों में इस प्रदेश में बसाये जा चुक हैं, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत २,५४१ बंगाली विस्थापित परिवारों को नैनीताल तराई उपनिवेशन क्षेत्र तथा पीलीभीत, बिजनौर, रामपुर, नैनीताल तथा बहराइच जिलों में उपलब्ध निजी भूस्वामियों की भूमि पर बसाया जा रहा है। इन परिवारों के बसाने पर १,२३,१४,०३१ रुपये की लागत का अनुमान है। उपर्युक्त २,५४१ परिवारों के अतिरिक्त ४५९ बंगाली विस्थापित परिवारों को इस प्रदेश में भूमि पर बसाये जाने की अन्य योजनायें विचाराधीन हैं ?

* * * * *

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन

*३३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन को कितनी अवधि सरकार द्वारा दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मान्य संस्थाओं द्वारा डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किये हुए आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अवधि सीमित नहीं है और रजिस्ट्रेशन जारी है ?

* * * * *

माननीय न्यायाधीश श्री आनन्दनारायण मुल्ला द्वारा सरकारी अपील पर लांछन

*३५--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के माननीय जस्टिस, ए० एन० मुल्ला ने १२ दिसम्बर, १९५८ को सरकार की उस अपील को खारिज करते हुये, जो कि उसने हरदोई के सर्व-श्री रामदयाल, कुबेर, लल्लू, देवीप्रसाद तथा रामसहाय के सम्बन्ध में सेशन जज के फैसले के विरुद्ध आई० पी० सी० के विभिन्न दफाओं व दफा ३०२ के अन्तर्गत कत्ल के मामले में की थी क्या स्ट्रिक्चर पास किया है ? उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय जस्टिस, ए० एन० मुल्ला ने, उपरोक्त अपील के फैसले में नीचे लिखे हुए स्ट्रिक्चर पास किये :

"It, therefore, seems to me that the mis-assessment was not made by the trial court, but by those who advised the State to file this appeal. In my opinion it is an extremely frivolous appeal and if there had been any provision in law to penalise the State for filing frivolous appeals I would have utilized that provision in this case."

इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—माननीय मुल्ला द्वारा पास किये हुए सीरियस स्ट्रिक्चर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऐडवोकेट के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें गवर्नमेंट ऐडवोकेट की सलाह अमूमन नहीं ली जाती है।

बनारसी बाग में घूमने के लिए छमाही प्रवेश-पत्र

*३६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार के पास इस आशय के सुझाव आये हैं कि जनता के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से बनारसी बाग, लखनऊ में लोगों को प्रातःकाल पूर्ववत् निःशुल्क जाने दिया जाय अथवा जू व बाग का पार्टीशन कर दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूर्ववत् निश्चिन्त घूमने की जनता को सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिक्स-मन्थली पासेज दे दिये हैं।

राजकीय होम्योपैथिक परिषद् की प्राथमिक सहायता परीक्षा के लिए सिफारिश

* * * *

*४०—**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर)—क्या यह सत्य है कि राजकीय होम्योपैथिक परिषद् ने प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह मांग की थी कि सी० एच० पी० की परीक्षा के समकक्ष राजकीय बोर्ड के अन्तर्गत परीक्षा लेने की अनुमति दी जावे ? यदि हां, तो सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उस पर क्या विचार किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। परिषद् ने प्राथमिक सहायता परीक्षा (First Aiders Examination) के लिए सरकार से सिफारिश की थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या सरकार बतावेगी कि परिषद् की सिफारिश क्यों अस्वीकार की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस से गड़बड़-शड़बड़ होम्योपैथ भी मौका पा जाते।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या अब क्वैकरी नहीं हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आयन्दा होने की गुंजाइश मैंने न रखने की कोशिश की है।

* * * *

सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ की भूतपूर्व अधीक्षका के सम्बन्ध में पूछताछ

*४७--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़), श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ से सम्बन्धित किसी या किन्हीं अधिकारी को सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु या विशेष ज्ञानोपार्जन हेतु अमेरिका भेजा जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि यहां कोई सुपरिन्टेंडेंट थीं, उनका यहां से बरेली को तबादला हुआ और फिर मई में वे अमरीका ट्रेनिंग के लिए भेजी गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अमरीका कोई नहीं भेजा गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--कहीं अन्य विदेश भेजी गयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटिस चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या इस संस्था से सरकार के पास इस प्रकार का विरोधपत्र प्रेषित किया गया था कि इसके भूतपूर्व सुपरिन्टेंडेंट के ऊपर गम्भीर आरोप थे और उनका ट्रांस्फर बरेली किया गया और फिर उनको वहां से विदेश भेज दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अमरीका के लिए मैंने जवाब दे दिया जो पूछा गया था, बाकी के लिए नोटिस चाहिए।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री व माननीय मुख्य मन्त्री को इस सदन के माननीय सदस्य गनेशीलाल चौधरी तथा सरस्वती शुक्ल ने भी लिखा था कि अमुक सुपरिन्टेंडेंट भ्रष्टाचार करवाती हैं, लड़कियों को बुलवाती हैं, वहां कोई अधिकारी आते हैं और शराब पीते हैं और लड़कियों को इस प्रकार बिगाड़ा जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी दरख्वास्त आयी थी और उसकी तहकीकात कराने पर मालूम हुआ कि सब बातें निर्मूल थीं।

श्री शिवप्रसाद नागर--जो प्रिंसिपल महोदया प्रशिक्षण के लिए भेजी गयी हैं उनकी क्वालिफिकेशन्स क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अमरीका के लिए पूछा गया, वहां कोई नहीं भेजा गया।

श्री चन्द्रजीत यादव--यह जांच किसके द्वारा करायी गयी और जिन छात्राओं ने लिखित प्रार्थना-पत्र स्वास्थ्य मन्त्री को दिया था उन के बयान लिये गये या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर और डाइरेक्टर के जरिये करायी गयी।

होम्योपैथिक डाक्टरों की एनलिस्टमेंट आयु के संबंध में सिफारिश

*४८--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--क्या यह सत्य है कि राज्य की होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् ने प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह मांग की कि पार्ट टाइम (part-time) होमियोपैथिक चिकित्सकों की एनलिस्टमेंट की आयु बजाय २९ वर्ष के २३ वर्ष रक्खी जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस पर क्या निर्णय किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--जब चिकित्सा परिषद् ने इस सम्बन्ध में सिफारिश की थी तो सरकार को उसे मानने में क्या अड़चन थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उस में साल भर की मियाद है जो कर ले सो कर ले ।

क्षय रोग योजनान्तर्गत राज्य सरकार को कथित सहायता

*४९--**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बतानें की कृपा करेगी कि प्रदेश को सन् १९५७-५८ में कितना धन केन्द्र से टी० बी० अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाने के लिए प्राप्त हुआ था और उक्त धन में से कितना धन किस स्थान पर व्यय किया गया और प्रत्येक स्थान पर कितने-कितने नये बिस्तर बढ़ाये गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सन् १९५७-५८ में प्रदेश में टी० बी० अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई धन नहीं प्राप्त हुआ था।

श्री भीखालाल--क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य क्षय रोग योजना के अन्तर्गत सन् १९५७-५८ में उत्तर प्रदेश के लिए कोई योजना बनायी थी और उसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त किये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो मुझे इस वक्त याद नहीं कि कोई अधिकारी नियुक्त किया या नहीं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूजी टी० बी० पेशेन्ट्स के लिए ऐनेक्सी बनाने के लिए दिया था और १५ हजार रुपया रिफ्यूजी टी० बी० पेशेन्ट्स के लिए दिया था ।

श्री भीखालाल--क्या यह सही है कि राज्य क्षय रोग योजना के मातहत केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए ५० शैय्याओं के लिए योजना बनायी थी लेकिन राज्य सरकार ने उसको कार्यान्वित नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आइसोलेशन वार्ड के लिए रुपया दिया था लेकिन उपयुक्त जमीन न मिलने के कारण उसका उपयोग न कर सके, अब उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार को मालूम है कि लोक सभा में १४ अप्रैल को श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने यह कहा था कि ५७-५८ के लिए उत्तर प्रदेश में ५० शैय्याओं की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया गया था, लेकिन उस योजना को प्रादेशीय सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया, क्या सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने अभी उत्तर दे दिया, माननीय मित्र उस तरफ ध्यान दें।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि वह योजना जो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दी थी, उस योजना को राज्य सरकार ने कार्यान्वित क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

* * * * *

झांसी में कोर्ट फार्मों की कमी

*५८--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार को पता है कि लगभग एक वर्ष से झांसी में एक आना, दो आना, तीन आना, छः आना व नौ आने वाले कोर्ट फी स्टाम्प (टिकट) तथा दीवानी क फेहरिस्त, इन्फिसाल मुकदमा तनकी तलब और अपील रेस्पान्डेंट फार्म नहीं हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---एक आना, दो आना, तीन आना, छः आना, तथा नौ आना मूल्य के कोर्ट फी स्टाम्प इस समय राज्य में कहीं भी प्रयोग में नहीं हैं। हां फार्म आदि दूसरी चीजों की झांसी में कुछ दिनों से कमी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंग कि उक्त स्टाम्प स्टाक में नहीं हैं या उसका छपना ही बन्द कर दिया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक दो आने वाले के लिए जरूरत नहीं मालूम देती है। फार्म वगैरह के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह फार्म नहीं हैं, तो काम चलाने के लिए क्या सरकार ने कोई दूसरी व्यवस्था की?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वाटरमार्क से बनाकर काम चला लिया होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जो फार्म, नहीं मिलते हैं उनके लिए क्या प्राइवेट लोगों को इजाजत दी जायगी कि वे छपवाकर काम चलायें?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उस में गड़बड़ी हो जाने का अन्देशा है।

* * * *

गोरन ग्राम में विस्थापितों की भूमि का वितरण

*६३---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम गोरन, जिला जालौन में सन् १९५३-५४ से कोई भी विस्थापित व्यक्ति नहीं रहता और न खेती करता है? यदि हां, तो वह जमीन जो विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी थी किसके पास है और कब से?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी जमीन के कब्जे के सम्बन्ध में वांच्छित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४५ पर)

* * * *

प्राइमरी हेल्थ यूनिट तथा सेनेटरी इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी

*६९---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में १९५८ में कितनी प्राइमरी स्वास्थ्य इकाइयां खुली हैं, और १९५९-६० में कितनी नयी स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करने की योजना है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१९५८-५९ में ५० प्राइमरी हेल्थ यूनिट खोलने की स्वीकृति दी गयी है। इस की सूची संलग्न है। सन् १९५९-६० में ३० यूनिट खोलने की योजना है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४६ पर)

*७०---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेनेटरी इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण अपने जिले से बाहर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं। शासन के अधीन जितने भी सैनिटरी इन्सपेक्टर हैं उनका स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाता है। पर स्थानीय निकायों (Local Bodies) के अधीनस्थ सेनेटरी इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण साधारणतया नहीं किया जा सकता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण के लिये जो टार्गेट था वह पूरा हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९६०-६१ तक पूरा हो जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये हैल्थ सेंटर सिर्फ एन० ई० एस० ब्लाक्स में खुल रहे हैं या शैडो ब्लाक्स में भी खोले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सवाल तो सेनेटरी इंसपेक्टरों के लिये पूछा गया था।

जालौन जिले के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय

*७१—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में इस समय राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या क्या है और वह कहां स्थित हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस समय जिला जालौन में आठ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कार्य कर रहे हैं, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:—

(१) हरदोई गुज्जर
(२) कोटरा
(३) रूराअड्डू
(४) हडरूख
(५) उमरी
(६) डकोर
(७) कुठौंडा
(८) ऊदनपुर

*७२—श्री गरीबदास—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त औषधालयों में से कितनों के पास स्वयं की इमारतें हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपर्युक्त औषधालयों में से दो के पास स्वयं की इमारतें हैं।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये हैं वे किस आधार पर खोले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां जरूरत समझी गयी वहां खोले गये।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ८ आयुर्वेदिक अस्पताल हैं ये जिले की संख्या को देखते हुए बहुत कम हैं, इसलिये इनको भविष्य में बढ़ाने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां, जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायगा, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमारी तो यही योजना ही है।

* * * *

*७६-७७—श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

* * * * *

केराकत तहसील के औषधालय

*९२—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की केराकत तहसील में कितने सरकारी और सहायता प्राप्त औषधालय हैं और कहां-कहां ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जौनपुर की केराकत तहसील में ३ सरकारी औषधालय जलालगंज, चन्दवक और पेसारा बाजार में तथा १ सहायता प्राप्त औषधालय केराकत में है ।

*९३—श्री रामसमझावन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन औषधालयों में कहां पर उनके निजी भवन हैं ? जहां निजी भवन नहीं है वहां सरकार बनवाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—केराकत औषधालय का निजी भवन है । शेष ३ औषधालयों के भवन निर्माण के लिये अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रामसमझावन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त औषधालयों के भवन निर्माण हेतु जनता से कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ठीक तो याद नहीं है लेकिन आया होगा जबकि हमारे माननीय सदस्य कहते हैं ।

श्री रामसमझावन—उन औषधालयों के भवन के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है, व कब तक बन सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जवाब तो दे दिया गया कि अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है । जब काफी मात्रा में धन उपलब्ध हो जायगा तब इधर भी नजर पड़ेगी ।

* * * *

गढ़वाल जिले में अस्पताल

*९७—श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग व उखीमठ, जिला गढ़वाल के अस्पतालों में कितने-कितने Indoor Beds हैं और इन अस्पतालों में पानी का क्या प्रबन्ध है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला गढ़वाल में स्थित निम्नलिखित स्थानों के अस्पतालों में Indoor beds की संख्या इस प्रकार है:

बद्रीनाथ	..	..	६
जोशीमठ	..	..	६
चमोली	..	..	२१
कर्णप्रयाग	..	..	१२
रुद्रप्रयाग	..	..	६
उखीमठ	..	..	१२

कर्णप्रयाग में स्थित अस्पताल में पानी की सुविधा नल द्वारा उपलब्ध है । शेष स्थानों के अस्पतालों में पानी की सुविधा अन्य उपकरणों द्वारा उपलब्ध है ।

*९८—श्री घनश्याम डिमरी (अनुपस्थित)—क्या चमोली अस्पताल की इमारत की हालत बहुत खराब है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*९९--श्री घनश्याम डिमरी (अनुपस्थित)--क्या नारायणव गढ़, जिला गढ़वाल के एन० ई० एस० ब्लाक में कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला गढ़वाल में स्थित नारायणव गढ़ एन० ई० एस० ब्लाक के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में चिकित्सालय है ।

* * *

बिना चिकित्सकों और भवनों के अस्पताल

*१०३--स्वामी विश्वेश्रानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसी कितनी सरकारी डिस्पेन्सरीज हैं और कहां-कहां पर हैं जहां इमारतों की व्यवस्था नहीं है और जहां चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

* * *

मटरुमल धन्नलाल टी० बी० अस्पताल, हाथरस में विद्युत यंत्रों तथा क्वार्टरों का प्रबन्ध करने की प्रार्थना

*११५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के श्री मटरूमल धन्नलाल टी० बी० अस्पताल में एक्सरे मशीन और बिजली से चलने वाले सभी कार्य क्यों बन्द हैं और उनकी व्यवस्था कब तक होने की आशा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस अस्पताल में एक्सरे मशीन चालू हो गई है और screening होती है परन्तु बिजली की बोल्टेज कम होने के कारण Xray films नहीं खींची जा रही हैं । जल विद्युत विभाग को सिविल सर्जन ने लिखा है जो एक sub-station हाथरस में खोल रहे हैं । जब यह खुल जायगा तब बिजली से चलने वाले सभी कार्य चालू हो जायेंगे ।

*११६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या इस अस्पताल में अभी तक किसी भी डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स तथा दिन-रात काम करने वालों के लिये किसी क्वार्टर की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस अस्पताल के कर्मचारियों के क्वार्टर बनवाने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है । आशा है अगले वर्ष कार्य प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सब-स्टेशन खोलने के लिये स्थानीय हाथरस आर्य समाज ने एक वर्ष पूर्व ही स्थान दे रखा है तो यह देर किस कारण हुई और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अगर वह नोटिस दें तो बिजली विभाग से पूछकर बता सकता हूं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--बिजली विभाग ने मेरे लिखने पर जवाब दिया था कि हम बहुत जल्द इंतजाम कर रहेहैं लेकिन अब एक साल से अधिक हो गया, तो क्या सरकार इसके लिये जल्दी कराने की कृपा करेगी और यह कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस वक्त तो नहीं बताया जा सकता कि कब तक हो जायगा ।

देहाती क्षेत्र के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

*११७—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के (१) शहरी क्षेत्रों, (२) देहाती क्षेत्रों में कितने ऐलोपैथी चिकित्सालय हैं ? उनमें कितने में डाक्टर नहीं हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में २७९ और देहाती क्षेत्रों में ५९२ सरकारी चिकित्सालय हैं। उनमें से शहरी क्षेत्रों में २ और देहाती क्षेत्रों में १५६ चिकित्सालों में डाक्टर नहीं हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मंत्री जी ने अभी अभी उत्तर में बताया कि शहरी क्षेत्रों में २ और देहाती क्षेत्रों में १५६ अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं तो मंत्री जी कृपया बतायें कि देहाती क्षेत्रों में इस तरह का बिलगाव क्यों रखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देहातों में दूर डाक्टर जाना नहीं चाहते, बहुत सों ने इस्तीफे दे दिये हैं।

कुंवर श्री पालसिंह—देहात में डाक्टर जाना नहीं चाहते, देहात में भी आदमी रहते हैं उनकी दवा दारू और सुरक्षा के लिये जब अस्पतालों में डाक्टर नहीं है तो सरकार उनको तोड़ने के लिए क्या सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विध्वंस जो करना चाहते हैं वह तोड़ने की बात सोच सकते हैं, हम तो बनाना चाहते हैं और बराबर मेडिकल कालेजेज बढ़ाते जाते हैं और इधर प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों के स्केल भी बढ़ाये हैं ताकि वहां आदमी जायं और हमारी जरूरत पूरी हो।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन १५६ अस्पतालों में देहातों में और २ अस्पतालों में शहरों में डाक्टर नहीं है वहां वह कब तक भेज दिये जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसे ही मिल जायंगे वैसे ही भेज दिये जायंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि देहात में डाक्टर इसलिये नहीं जाते कि उनका वेतन कम है, क्या मंत्री जी उनको अधिक वेतन देकर देहात का भत्ता भी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो मैंने अभी बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों में हमने अभी स्केल काफी बढ़ा दिये हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों पर जहां पर आजकल डाक्टर नहीं हैं दवादारू मिलने के क्या साधन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कम्पाउन्डर ही यह काम करते हैं।

श्री भीखालाल—क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है कि डाक्टर जो पढ़कर निकलें उन को अनिवार्य रूप से कुछ दिन देहातों में काम करना पड़े ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लिबर्टी संविधान में दी गई है इस तरह से कैसे फोर्स किया जाय, फिर भी अभी सोच रहे हैं कि कैसे इसका हल निकले।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि १५६ देहाती अस्पतालों में डाक्टर नहीं है सरकार गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करने के लिये डाक्टरों से सलाह लेकर क्या कोई छानबीन करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस विषय में हम सबसे ज्यादा दुखी हैं और डायरेक्टर और सचिवों से बराबर परामर्श करते रहते हैं कि किसी तरह से यह खानापूरी हो जाय तो बहुत बेहतर है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त करते समय डाक्टरों से कोई ऐसा शर्तनामा भी लिखाया जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने पर उनको दे हातों में काम करना पड़ेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा तो नहीं लिखाया जाता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरों के जो रहने वाले हैं और डाक्टरी पास हैं वह तो गांवों में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन जो देहाती लोग हैं डाक्टरी पास, क्या वह भी वहां नहीं जाना चाहते हैं, इसकी कोई जांच की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो देहात से आकर शहर में सकूनियत अख्तियार कर लेते हैं और मेडीकल कालेज में पांच वर्ष ग्लेमर में जिन्दगी काटते हैं वह देहात जाना नहीं चाहते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डाक्टरों ने त्यागपत्र दिये हैं देहात में न जाने के लिये तो उनके कारण क्या हैं और उन पर सरकार ने विचार किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे याद नहीं है, विचार तो जरूर किया गया होगा । मजबूरी है, इस्तीफा दिया तो मंजूर करना जरूरी होता है ।

[गृह मंत्री की प्रार्थना पर २० मार्च, १९५९ का स्थगित प्रश्न]

* * *

गढ़वाल जिले के 'कर्मभूमि' पत्र के सम्पादक को विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए आमंत्रित न करना

*२९---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन महीने के भीतर उसके खर्चे पर जिलास्तर के अखबारों के सम्पादकों की योजनान्तर्गत बने हुये या बन रहे निर्माण कार्यों की सैर के लिये निमंत्रण भेजे गये ? यदि हां, तो निमंत्रण भेजने का क्या आधार था और अल्मोड़ा के कितने अखबारों के संपादकों को न्यौता दिया गया ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरुप यादव)---जी हां । २८ जनवरी, १९५९ को शासन द्वारा प्रदेश के पश्चिमी एवं पहाड़ी जिलों (मेरठ, आगरा, झांसी, रुहेलखंड और कुमाऊं कमिश्नरियों) के प्रमुख समाचार-पत्रों के सम्पादकों व उनके मनोनीत प्रतिनिधियों को प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से परिचित कराने के लये एक दौरे का आयोजन किया गया था । इसमें जिला स्तर के उन सभी समाचार-पत्रों के सम्पादकों को नियंत्रित किया गया था जिनका प्रकाशन नियमित हो, जिनकी पृष्ठ संख्या पर्याप्त हो और जिनकी ग्राहक संख्या अपने जिले या वितरण क्षेत्र में सर्वाधिक हो तथा जिनकी पत्रकारिता शालीन और द्वेष रहित हो । यथा संभव प्रत्येक जिले से एक भाषा और प्रकाशनावधि (periodicity) के एक पत्र को ही आमंत्रित किया गया था । केवल अधिक ग्राहक संख्या वाले दैनिक पत्र ही एक जिले से एक से अधिक संख्या में आमंत्रित किये गये थे । अल्मोड़ा के प्रमुख समाचार पत्र "शक्ति" को भी आमंत्रित किया गया था एवं उनके प्रतिनिधि ने इसमें भाग भी लिया था ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या यह सही है कि यह जो मापदण्ड रखा गया है इसके बारे में एक जिले के संबंध में अपवाद है और वह है जिला गढ़वाल। वहां "कर्मभूमि" नाम का साप्ताहिक पत्र सबसे अधिक ग्राहक संख्या वाला है और उसका दृष्टिकोण इधर कुछ अधिक आलोचनात्मक होता जा रहा है, जबकि सहयोगी विचार का दूसरा पत्र "सत्यपथ" है, जिसके संरक्षक खाद्यमंत्री श्री जगमोहनसिंह नेगी हैं इसलिये "सत्यपथ" के सम्पादक को न्योता दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सही है कि जिन सम्पादक को आमंत्रित किया गया था उनका संबंध नेगीजी से कुछ था। लेकिन जिनको नहीं बुलाया गया वह इस दृष्टि से नहीं था। आलोचना की भी एक सीमा हुआ करती ह, वह बहुत आगे बढ़ गई थी। इस वजह से नहीं बुलाया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—पिछली मर्तबा जब सभासचिव श्री इस्तफा हुसैन ने २० मार्च को जबाव दिया था तो उन्होंने कहा था कि "कर्मभूमि" नियमित रूप से नहीं छपता है और माननीय यादव जी ने—जब पालीवाल जी ने पूछा था—कहा कि विरोधी पत्रों को भी हमने बुलाया है। ये बात सही है या आज की ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सभा-सचिव ने जो यह कहा था कि "कर्मभूमि" निश्चित रूप से नहीं छपता वह सही नहीं है। आज जो कहा जा रहा है वह सही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जो अनुपूरक प्रश्न की सामग्री आती है—उसकी एक प्रति प्रेस वालों को और माननीय अध्यक्ष को और एक प्रति मुझे मिल गई थी—क्या वह प्रति पढ़ने के बाद उन्होंने यह जवाब दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्होंने वह प्रति नहीं देखी थी, देखते तो गलत नहीं बताते। उन्होंन पूरा मैटर पढ़ा नहीं था, वह एक भूल हो गई, यह मैं कह रहा हूं।

श्री राजनारायण—क्या यह सही है, कि "कर्म-भूमि" अखबार उस जिले में सबसे ज्यादा नियमित है और उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, मगर चूंकि वह सरकार की सही आलोचना करता है इसलिये उसे नहीं बुलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बात सही है कि उसकी ग्राहक संख्या सबसे अधिक है। यह भी सही है कि वह पुराना अखबार है और नियमित रूप से निकलता है। यह बात सही नहीं है कि वह तमाम अखबार जो सरकारी आलोचना करते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। अगर ऐसी बात सही होती तो "सैनिक" से बढ़कर सरकार का कोई आलोचक नहीं है, लेकिन उसको बुलाया गया। वहां "सत्यपथ" अखबार निकलता है, और इस विचार से कि इतने बड़े पत्र जिनके ऐसे विचार हों कि वे सरकार की टीका-टिप्पणी व्यावहारिक दृष्टि से किया करें और ऐसे पत्र जिनके दिमाग खुले हुए हों और चीजों को देख करके सही सही टीका करें उनको बुला लिया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जितने भी सरकार के श्रमदान, योजनायें या विनोबा जी के कार्य चल रहे हैं उन पर वह अखबार आर्टिकिल लिखता है और रचनात्मक कार्यों का बड़ा समर्थक है "कर्मभूमि" अखबार। क्या यह बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे बराबर "कर्मभूमि" पढ़ने का अवसर नहीं मिला करता है।

श्री राजनारायण—तो क्या सरकार उस आधार को बतायेगी या उस अग्रलेख या समाचार को बतायेगी जिसके आधार पर "कर्मभूमि" के सम्पादक को निमंत्रण नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई खास बात नहीं है । एक जिले से एक ही अखबार वाले को बुलाया गया । "सत्यपथ" अखबार वहां निकलता था उनको बुला लिया । वे आये नहीं और इतना समय रहा नहीं कि हम "कर्मभूमि" को बुलायें । अगर समय होता तो बुला लेते, ऐसी कोई बात नहीं है ।

[३१ जुलाई, १९५९ के लिए निर्धारित प्रश्न]

पुलिस विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग की संख्या

*१—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के अन्दर पुलिस विभाग में कान्स्टेबिल से लेकर हेड कान्स्टेबिल तक अलग-अलग कुल कितने व्यक्ति हैं तथा उनमें परिगणित जाति और पिछड़ी जाति की संख्या क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न सूची "क" में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४७ पर)

*२—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में दरोगा से लेकर सुपरिन्टेंडेंट तक पुलिस विभाग में किन-किन पदों पर कितने-कितने व्यक्ति हैं तथा उनमें परिगणित जाति तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न सूची "ख" में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४४८ पर)

श्री गरीबदास—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सब-इंसपेक्टर्स डायरेक्ट चुने जाते हैं उनकी संख्या परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है । इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जब से यह नियम बना है तब से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जितना परसेंटेज उनका है उस प्रतिशत से वे सेलेक्शन में चुने जायं ।

श्री गरीबदास—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंसपेक्टर्स के जो स्थान हैं ४२२ इनमें से एक भी परिगणित जाति का नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरुप यादव—इंसपेक्टर्स सब-इंसपेक्टर्स से बनते हैं और बनने से पहले उनकी कार्यकुशलता सेलेक्शन कमेटी देखती है और जो अच्छे होते हैं उन्हीं की पदोन्नति हो सकती है ।

गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, पौड़ी-गढ़वाल को इन्टर कालेज बनाने की प्रार्थना

*३—**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, पौड़ी-गढ़वाल को इन्टर कालेज बनाया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उन्नाव जिले में स्थायी सहायता प्राप्त पुस्तकालय न होना

*४—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में सरकारी सहायता प्राप्त कहां-कहां और कौन-कौन पुस्तकालय हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जिला उन्नाव में कोई भी स्थायी सहायता प्राप्त पुस्तकालय नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोई अस्थायी सहायता प्राप्त पुस्तकालय वहां पर है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, तीन पुस्तकालयों को पिछले वर्ष अस्थायी सहायता दी गई । इनमें से एक त्रिपाठी विद्यापीठ हिन्दी साहित्य पुस्तकालय, उन्नाव को २०० रुपये, दूसरा है हिन्दी साहित्य पुस्तकालय समिति मौरावां, उन्नाव को ४५० रुपये और तीसरा है हिन्दी प्रसार पुस्तकालय, रनबीरपुर, उन्नाव को १०० रुपये ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या शिक्षा मंत्री जी मौरावां के साहित्य पुस्तकालय को उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस सहायता को स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस पर समय पर विचार किया जा सकता है ।

आजमगढ़ जिले में हरिजन कूप-निर्माण-कार्य

*५—**श्री विश्रामराय**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५७–५८ में और सन् १९५८–५९ में आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये पानी पीने के निमित्त कितने कुयें बनवाये गये ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—आजमगढ़ जिले में हरिजनों के पानी पीने के लिये सन् १९५७–५८ में २५ नये कुयें बनवाये गये और १६ पुराने कुओं की मरम्मत की गई ।

सन् १९५८–५९ में २२ नये कुयें बनवाये गये और ४ कुओं की मरम्मत की गई ।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के पानी पीने के लिये जो कुयें बनाये जाते हैं उनमें यह शर्त होती है कि पहले वे कुआं बनवा लें तब रुपया दिया जायगा, इसलिये कम कुएं बन पाते हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—कुए बनाने के लिये यह किया जाता है कि कुछ किस्त पहले दे दी जाती है और जब कुआं बन जाता है तो फिर बाकी किस्त दी जाती है ।

श्री रामशरण यादव—हरिजनों को कुओं बनाने के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह कुआं बनाने के बाद में दिया जाता है जिसके कारण जिला परिषद् और पब्लिक कार्यकर्त्ताओं की ओर से सरकार के पास यह मांग आयी है कि अनुदान का पहले आधा रुपया दे दिया जाया करे ताकि वे कुआं बनवा सकें ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—अगर ऐसी कोई मांग आयेगी तो इस पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या यह ठीक है कि बाराबंकी जिले में ३–३ और ४–४ साल से हरिजनों का कुओं के सम्बन्ध में रुपया बकाया है जो अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—यह प्रश्न तो आजमगढ़ जिले के लिये था । बाराबंकी के लिये सूचना चाहिए ।

राजनीतिक पीड़ित एवं हरिजन छात्रों को छात्र वृत्तियां ठीक समय पर न मिलने की शिकायत

*६—**श्री विश्रामराय**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के छात्रों को राजनैतिक पीड़ित और पिछड़ी जाति एवं हरिजन की हैसियत स्वीकृत छात्रवृत्तियां प्रतिमास ठीक समय पर देने की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस सम्बन्ध में उचित आदेश पहले से ही विद्यमान हैं ।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो आदेश गये हैं उनका पालन होता है या नहीं होता है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---छात्रवृत्तियां तीन किस्म की होती हैं । एक प्राइमरी, दूसरी हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिये और तीसरी डिग्री व ऊपर की कक्षाओं के लिये । पहले किस्म की छात्रवृत्तियां अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा दी जाती हैं । दूसरी और तीसरी के लिये संचालक, हरिजन सहायक विभाग देता है । इनके लिये समय-समय पर आदेश दिये जाते हैं कि ये छात्रवृत्तियां समय पर दे दी जाया करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या यह सही है कि हरिजन सहायक विभाग की ओर से जो छात्रवृत्तियां मंजूर होती हैं उसके लिये आवेदन-पत्र कई महीने बाद स्वीकृत होते हैं और रुपया भी कई महीने बाद स्वीकृत होता है जिससे इन छात्रवृत्तियों के पाने वालों को दिक्कत होती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---यह सही है कि दिक्कत होती है लेकिन शासन की ओर से बार-बार जिला विद्यालय निरीक्षक और दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा जाता है कि छात्र-वृत्तियां शुरू में ही स्वीकार करें ताकि विद्यार्थियों को कष्ट न हो ।

श्री प्रतापसिंह---प्रदेश में हरिजन की हैसियत से जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं क्या वे छात्रवृत्तियां प्रदेश की प्रिमिटिव ट्राइब्स थारू तथा बोक्सा के बच्चों को भी दी जाती हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---उनके लिये भी कुछ ऐसी सुविधा है ।

आगरा जिले से स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों के सहायतार्थ आवेदन-पत्र

*७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा जिला और शहर में अब तक स्वाधीनता संग्राम के कितने सैनिकों ने पेन्शन व एक मुश्त सहायता पाने के लिये आवेदन-पत्र दिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---३६० व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये ।

*८---**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी कोतवाली की नई इमारत पर व्यय

*९---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि झांसी में जो नयी कोतवाली बनी है उसका एस्टीमेट क्या था और उसमें कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---झांसी कोतवाली के निर्माण के लिये २,६६,३०० रुपयें का अनुमान (estimate) स्वीकार किया गया था जिसमें से १,६७,८९९ रुपयें अभी तक व्यय हो चुका है ।

*१०---**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कोतवाली के भवन के नीचे की दीवारे क्रैक हो गयीं हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । भवन के नीचे की दीवारों में कुछ बहुत महीन दरारें दिखलाई पड़ी हैं।

सहायता प्राप्त पुस्तकालय

*११---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने पुस्तकालय कहां-कहां है जिन्हें सन् १९५८-५९ के वित्तीय-वर्ष की १५ फरवरी, १९५९ तक आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---महिला मण्डल पुस्तकालय वाराणसी ।
कनवाश्रम समिति कोटद्वारा, गढवाल ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन संस्थाओं को कितनी-कितनी सहायता दी गयी और क्या यह सहायता प्रतिवर्ष रेकरिंग ग्रान्ट के रूप में मिलती रहेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—महिला मंडल पुस्तकालय, वाराणसी को १ हजार रुपया दिया गया और कनवाश्रम कोट द्वारा को ढाई सौ रुपया दिया गया । यह नहीं कहा जा सकता कि यह आवर्त्तक अनुदान है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या इस प्रश्न पर सरकार विचार करेगी कि इन पुस्तकालयों को शिक्षा संस्थाओं की तरह से रेकरिंग ग्रान्ट बराबर मिलती रहे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न सरकार के सामने है । लेकिन हमारे पुस्तकालय बहुत हैं । करीब १२–१३०० हैं जो देहातों में हैं । शहरों में अलग से हैं । कुछ पुस्तकालयों को रेकरिंग ग्रान्ट मिलती है जो बहुत बड़े पुस्तकालय होते हैं लेकिन बाकी को जो प्राविधान है उसमें थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है ।

हरिजन छात्रावास, मुजफ्फरनगर के अनुदान के अपव्यय के सम्बन्ध में शिकायत

*१२—**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में हरिजन छात्रावास को सन् १९५६ ई०, १९५७ ई० तथा १९५८ ई० में पृथक-पृथक कितना धन सहायतार्थ दिया गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—वर्ष १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में हरिजन छात्रावास, मुजफ्फरनगर को सहायतार्थ दिये गये धन का विवरण निम्न प्रकार है :—

	आवर्त्तक रुपये	अनावर्त्तक रुपये
१९५६–५७	८१०	५० भवन मरम्मत हेतु, २५० सज्जा आदि हेतु तथा २००० भवन में रसोई आदि के निर्माण हेतु ।
१९५७–५८	९९०	५००

*१३—**श्री बादाम सिंह**—क्या गृह मंत्री के पास गत वर्ष इस छात्रावास को मिलने वाली धनराशि के व्यय की जांच करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जिला विद्यालय निरीक्षक को जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जांच उन्होंने उप-जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा करवायी थी। उनकी रिपोर्ट से विदित होता है कि एक आरोप को छोड़कर शेष सभी आरोप या तो गलत साबित हुये या उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है ।

श्री बादामसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ढाई सौ रुपये सज्जा में लगाये गये तो इसमें क्या क्या सामान बनाया गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बादामसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २ हजार रुपये में रसोई बनायी गयी इसकी दोबारा जांच की जायगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यदि आप लिख कर देंगे तो करा ली जायगी ।

ग्रामोद्योग इण्टर कालेज, पुखरायां के अध्यापकों की शिकायतें

*१४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि ग्रामोद्योग इन्टर कालेज, पुखरायां, जिला कानपुर के कुछ अध्यापकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर के पास इस आशय की शिकायतें की हैं कि उक्त कालेज में उन्हें उचित ग्रेड व वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और श्रेष्ठता आदि का विचार किये बगैर दूसरे लोगों को वेतन वृद्धि दे दी गई है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में कब से शिकायतें आ रही हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, शिकायती पत्र चार अध्यापकों के, दिसम्बर, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ तक मिले थे जिन में से ३ के मामले में निर्णय लिया जा चुका है और चौथे की शिकायत, जो दिसम्बर, १९५८ में मिली थी, विचाराधीन है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी उन अध्यापकों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनका फैसला कर दिया गया है और क्या फैसला किया गया है तथा जिस अध्यापक का अभी मामला विचाराधीन है उसका कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जिनका फैसला हो चुका है उनमें से श्री रामदुलारे पाठक और श्री गिरजापति दुबे की मांग स्वीकार कर ली गयी है और उनको पिछला वेतन दिया गया है। तीसरे श्री बालबिहारीलाल श्रीवास्तव की मांग को उचित नहीं माना गया और चौथे श्री शिवगोविन्द गुप्त, हिन्दी अध्यापक के बारे में विचार हो रहा है और शायद जल्दी ही फैसला हो जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि श्री गिरजापति दुबे का फैसला हो जाने के बाद भी उनको अभी तक ग्रेड नहीं मिला है और न वेतन ही मिला है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—ऐसा है, क्योंकि उनके विरुद्ध प्रबन्ध ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है ।

लखनऊ जुबली कालेज के निलम्बित अध्यापक के विरुद्ध जांच

*१५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान लखनऊ के अतिरिक्त सेशन जज रामसूरतसिंह जी के २० जनवरी, १९५९ को दिये गये उस फैसले की ओर गया है जिस में उन्होंने लखनऊ के जुबली कालेज के एक अध्यापक के सम्बन्ध में लिखा है कि "वह (१) अध्यापक की खाल ओढ़े हुये गुन्डा है, (२) भेड़ की खाल ओढ़े हुये भेड़िया है, (३) अध्यापक रहने का पात्र नहीं है"? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उस अध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध जांच हो रही है।

ट्रेण्ड कम्पाउन्डरों की नौकरी

*१६—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, १९५७ में प्रदेश में होने वाली कम्पाउन्डर ट्रेनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में ऐसे कितने कम्पाउन्डर हैं जिन्होंने राजकीय अस्पतालों में ५ वर्ष तक सेवा अर्पित करने का बान्ड भरा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अक्तूबर, १९५७ में प्रदेश में होने वाली कम्पाउन्डर ट्रेनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले २१२ कम्पाउन्डरों ने ५ वर्ष की सेवा अर्पित करने का बान्ड भरा है ।

*१७—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के कम्पाउन्डरों में से कितनों को नौकरी प्रदान कर दी गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१०२ कम्पाउन्डरों को ।

*१८---श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, १९५७ के पश्चात् राजकीय अस्पतालों में ५ वर्ष का बान्ड भरने वाले कम्पाउन्डरों के बजाय बिना बान्ड भरे हुये कितने कम्पाउन्डरों को नौकरी में रखा गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---१८ कम्पाउन्डरों को ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, १९५७ के पश्चात् राजकीय अस्पतालों में सेवायें अर्पित करने के लिये ५ वर्ष के बांड भरने वाले कम्पाउन्डरों के बजाय बिना बांड भरे हुये कम्पाउन्डरों को नौकरी पर क्यों रखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ तो इसलिये कि जब वे मौके पर नहीं मिले तो एक टेम्पोरेरी अरेन्जमेन्ट कर दिया गया । इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने रख लिये कब्ल इसके कि यहां से इंस्ट्रक्शन्स उनके पास पहुंचे और कुछ को पोस्ट आफर की गयी मगर वे आये नहीं, लिहाजा दूसरों को रख लिया गया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कम्पाउन्डर्स ५ वर्ष का बांड भरे हुये हैं और उनकी सेवायें प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनको इस बांड की शर्तों से मुक्त कर देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुक्त कर देंगे तो कहां जायंगे । हमने सब सिविल सर्जन्स को आदेश जारी कर दिये हैं कि जैसे-जैसे विकेन्सी होती जायं इन्हीं लोगों को लेते जाओ ।

जनाना अस्पताल, हाथरस के स्थानान्तरण का सुझाव

*१९---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार को पता है कि हाथरस का जनाना अस्पताल इतने low level पर है कि प्रतिवर्ष अस्पताल के कमरों तक में पानी भर जाता है और मरीज जमीन पर उतर भी नहीं सकते ? क्या सरकार उसका स्थान परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---हाथरस का जनाना अस्पताल low level पर जरूर है परन्तु प्रतिवर्ष अस्पताल के कमरों में पानी नहीं भरता है । अभी इसके स्थान परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी अस्पताल में पानी भरने पर निकलवाने का या साधारणतया पानी भरने न पाये इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो पानी भरता है, साधारणतया नहीं आता है । फिर भी ड्रेनेज वगैरह के इन्तजाम में कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी इस सुझाव को स्वीकार करेंगे कि हाथरस में टी० बी० अस्पताल और सिविल अस्पताल के करीब जो जमीन है जो आसानी से मिल सकती है वहां पर इसको बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है ।

अलीगढ़ जिले में मोटर दुर्घटनायें

*२०---श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में माह नवम्बर और दिसम्बर सन् १९५८ में मोटर ट्रकों से कितने आदमी दब कर मरे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---पांच, जिनमें से एक स्त्री थी।

*२१---**श्री रामप्रसाद देशमुख**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मोटर वालों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---२ मुकदमों में ट्रक चालकों का चालान किया गया और अपराधियों को न्यायालय से सजा दी गयी।

तीसरे मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई चूंकि मृतक स्वयं अवैध दिशा में थे।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनको जो सजा दी गई है वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक अपराधी को तो एक साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना और दूसरे को दो साल का कठोर कारावास और ५०० रुपया जुर्माना।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ड्राइवरों को जो सजा दी गई है तो उनके लाइसेंस जब्त करने की भी कोई कोशिश की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी मुझे सूचना नहीं है। लाइसेंस मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत दिये जाते हैं उसमें जो नियम होंगे उनके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आदमी मरे हैं उनके लिये यह कहा गया है कि वे अपनी गलती से मरे हैं तो उनकी क्या गलती थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने तो स्पष्ट उत्तर दिया है कि दूसरे मुकदमे का इसलिये चालान नहीं हो सका कि जो सज्जन उसमें थे वे उस दिशा में थे जिधर उनको नहीं चलना चाहिये था ट्रैफिक रूल्स के अनुसार।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जितने ट्रकों से ऐक्सीडेंट्स होते हैं वह तेज रफ्तार के कारण होते हैं तो क्या वह कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे वह एक लिमिट के अन्दर ट्रक चलायें जिससे एक्सीडेंट्स न हो सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं जो उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतायेगी कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके घर वालों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार से मुआवजे का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि यह प्राइवेट आदमी थे। उनके खिलाफ वह कार्यवाही कर सकते हैं ?

प्रारम्भिक अनुदान--प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*२२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष (१९५८-५९) में प्रदेश के किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान कितना-कितना दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४४९-४५० पर)

नोट---तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

खीरी जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों को सहायता

*२३—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि खीरी जिले में सरकार द्वारा चालित कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आठ हैं।

*२४—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७-५८ में उन औषधालयों को अलग-अलग क्या सहायता दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन आठ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों पर सन् १९५७-५८ में व्यय इस प्रकार हुआ :—

	रु०	न० पै०
ओयल	९,३३३	३३
राजागंज	४,८१६	५१
फूलबहार	४,६८२	८७
अलीगंज	४,१०७	५०
मुन्डागालिब	४,०१८	६२
अबगवां	४,७३०	३४
ऊंचौलिया	४,४०२	७२
बेलरायां	४,७८४	०९

गोपीनाथ इण्टर कालेज, बखिरा के ट्रस्ट अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*२५—श्री राजकिशोर राव (जिला बहराइच)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेणी माधव गोपीनाथ इन्टर कालेज, बखिरा (बस्ती) के संस्थापक श्री गोपीनाथ नायक जी ने इस कालेज के निमित्त कोई ट्रस्ट की स्थापना की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*२६—श्री राजकिशोर राव—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ट्रस्ट के सम्बन्धित अधिकारी ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धनराशि कालेज को नहीं दे रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर के भवन की खराब हालत

*२७—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर शहर के जिस भवन में वर्तमान समय में स्थित है वह भवन कितने वर्षों से किराये पर है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लगभग १७ वर्ष।

*२८—श्री रामसूरत प्रसाद—क्या यह सही है कि उक्त राजकीय दीक्षा विद्यालय की प्रधानाध्यापिकाओं ने गत कई वर्षों से उस जर्जर भवन की ओर अपने सुझावों के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, १९५३-५४ में वर्तमान भवन के अध्याप्त करने पर, जिससे उसकी मरम्मत इत्यादि सरकारी खर्च पर हो सके, विचार किया गया पर धनाभाव के कारण अध्याप्त करना सम्भव न हो सका। अब पुनः राजकीय जे० टी० सी० गोरखपुर की भूमि पर भवन निर्माण का प्रश्न शासन के सम्मुख विचाराधीन है।

हरिजन सहायक विभाग, जौनपुर से गृह उद्योगों के लिए सहायता

*२९—श्री माता प्रसाद—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में हरिजन सहायक विभाग, जौनपुर द्वारा कितने हरिजनों को गृह-उद्योगों के निमित्त अनुदान दिया गया तथा उक्त अवधि में कितनों के आवेदन-पत्र सरकार को मिले थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१० हरिजनों को गृह उद्योगों के निमित्त अनुदान दिया गया।

७८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे।

ग्राम रक्षा समितियां, जिला मैनपुरी

*३०—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में इस वक्त कितनी ग्राम रक्षा समितियां हैं और कितने सदस्यों के पास बन्दूकों के लाइसेंस हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैनपुरी जिले में इस वक्त १,२४८ ग्राम रक्षा समितियां कार्य कर रही हैं। इन समितियों के १,०१५ सदस्यों के पास बन्दूकों के लायसेंस हैं।

बलिया कलेक्टरी में नियुक्तियां

*३१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले के कलेक्टरेट में पिछले दो वर्षों में कितनी नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—पचास।

*३२—श्री गौरीशंकर राय—उक्त नियुक्तियों में कितने व्यक्ति खाद्य एवं पूर्ति तथा सहायता एवं पुनर्वास विभाग के छटनी किये गये व्यक्ति लिये गये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—तीन।

शाहजहांपुर जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*३३—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८ में शाहजहांपुर जिला के किन-किन ग्रामों में अग्निकांड हुए, कितना-कितना नुकसान हुआ और सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची† में दिखा दी गई है।

इटावा जिले में चकबन्दी पर व्यय

*३४—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में सन् १९५६ से जनवरी सन् १९५९ तक कुल कितने ग्रामों में चकबन्दी हो चुकी है और कितने ग्रामों में होना शेष है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इटावा जिले में चकबन्दी योजना ३०६ गांवों में चल रही है। जनवरी सन् १९५९ के अन्त तक ९२ गांवों में नये चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका था, परन्तु उन गांवों के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिनियम की धारा ५२ के अन्तर्गत कार्य समाप्ति की विज्ञप्तियां प्रकाशित नहीं हुई थीं। २१४ ग्रामों में नये चकों पर कब्जा दिलाना शेष था।

*३५—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में जनवरी, १९५९ तक कितना रुपया इस विभाग में व्यय किया गया ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला इटावा में जनवरी, १९५९ के अन्त तक चकबन्दी के कार्य पर ६,२१,१७५ रुपये का व्यय हुआ।

टेस्ट वर्क का क्षेत्र

*३६--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश के किन-किन जिलों में सरकार की ओर से टेस्ट वर्क चलाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस समय (जुलाई के तीसरे सप्ताह तक) प्रदेश के केवल तीन जिलों (फैजाबाद, आजमगढ़ तथा गोरखपुर) में टेस्ट वर्क चलाये जा रहे हैं।

बलिया जिले में उपलवृष्टि से हानि

*३७--**श्री मान्धातासिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत माह जनवरी में परगना गड़हा, जिला बलिया में किन-किन गांवों में पत्थर पड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जनवरी, १९५९ में बलिया जिले के परगना गड़हा के ४८ ग्रामों में पत्थर पड़ा जिनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४५१ पर)

*३८--**श्री मान्धातासिंह**--क्या जिन गांवों में पत्थर पड़ा है उन गांवों की तमाम फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो कितने की क्षति पहुंची है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। १२ ग्रामों में रुपये में १२ आने से १६ आने तक की क्षति पहुंची तथा शेष ३६ ग्रामों में रुपये में ४ आने तक की क्षति हुई।

*३९--**श्री मान्धातासिंह**--क्या पत्थर गिरने से मकानात के खपरैल भी बरबाद हो गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। कुछ मकानों के खपरैल को भी नुकसान पहुंचा।

धौला ग्रामवासी, श्री चन्द्रिका पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत

*४०--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)--क्या न्याय मंत्री के पास दिनांक २६-२-५९ को इस आशय की शिकायत आई है कि दिनांक २१-२-५९ को तहसील सलेमपुर (देवरिया) के एक कुर्क अमीन ने ग्राम धौला, तहसील सलेमपुर के श्री चन्द्रिका पांडेय को उस समय बिना वारण्ट गिरफ्तार कर मारते पीटते तहसील लाये जब कि उनकी चाची की लाश घर में पड़ी थी और वे बाजार से कफन लाने जा रहे थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*४१--**श्री उग्रसेन**--क्या न्याय मंत्री शिकायती पत्र की मुख्य बातें जो उक्त घटना से सम्बन्धित हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--शिकायती पत्र प्रश्न-कर्ता का था। इस शिकायत की और मुख्य बातें प्रश्नकर्ता ने स्वयं प्रश्न संख्या ४० में दी हैं। बिना वारण्ट के गिरफ्तारी, बाजार से कफन लाते समय गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद मारने-पीटने क तीनों आरोप जांच के समय निराधार पाये गये। मृतक व्यक्ति से श्री पांडेय की कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वे दूसरे मकान में रहती थीं और गांव के सभी लोग इनको चाची कह कर पुकारते थे।

हरदोई जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*४२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई के बावन परगने में गत तीन वर्षों में कितने हरिजनों के मकानादि में आग लगने की दुर्घटना हुई है तथा उनके कितने व्यक्तियों को उक्त क्षतिपूर्ति के निमित्त सरकारी सहायता दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हरदोई जिले के बावन परगने में गत तीन वर्षों में ६८ हरिजनों के मकानादि में आग लगने की दुर्घटना हुई तथा ५ व्यक्तियों को सरकारी सहायता दी गई।

भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का वितरण

*४३—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आन्दोलन के सम्बन्ध में इस प्रदेश में कितने एकड़ भूमि दान स्वरूप दी गई, तथा कितने परिवारों में उस भूमि का वितरण हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

केन्द्र से स्त्री शिक्षा के लिए अनुदान का आश्वासन

*४४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्त्री शिक्षा की वृद्धि के हेतु केन्द्रीय सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में कितनी सहायता प्राप्त हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार की ओर से १४ लाख रुपये की सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया गया है।

सरकारी विश्वविद्यालयों में संस्कृत तथा अरबी के शिक्षकों का वेतन-क्रम

*४५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कितने संस्कृत तथा अरबी के शिक्षक हैं तथा उनके मासिक वेतन-क्रम क्या हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४५२ पर)

सलेमपुर-लार सड़क पर बस दुर्घटना

*४६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में सलेमपुर-लार रोड पर बस तथा रेलवे इंजन के टकराने से गत २६ तथा २७ दिसम्बर, को कोई दुर्घटना हुई है? यदि हां, तो इस में कितने हत या आहत हुए?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। २६ दिसम्बर, १९५८ को ऐसी दुर्घटना घटी। इसमें ६ व्यक्ति हत तथा १८ व्यक्ति आहत हुए।

मेडिकल कालेजों के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की मनाही

*४७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज के शिक्षक डाक्टरों द्वारा घर पर निजी चिकित्सा व्यवसाय किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह प्रतिबन्ध कब से लागू होने जा रहा है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—प्रदेश के तीनों मेडिकल कालेजों में नियुक्त डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को समाप्त करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के परामर्श से इस सरकार के विचाराधीन है। योजना के सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। अभी यह निश्चित नहीं है कि योजना कब से लागू की जायगी।

परेवावैस गांव में संयुक्त राज्य अमेरिका का गुब्बारा

*४८—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत २१ जनवरी को राज्य के पीलीभीत जिले में परेवावैस गांव में कोई गुब्बारा आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध का सम्पूर्ण विवरण सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, १४-१-५९ को एक गुब्बारा प्राप्त हुआ था। गुब्बारा उक्त दिन के १० बजे सुबह श्री शमशाद हुसेन खान ने देखा और पुलिस थाने में इसकी इत्तला कराई गई। थानाध्यक्ष, पुलिस स्टेशन, जहानाबाद फौरन ही घटनास्थल पर पहुंचे। जांच करने पर गुब्बारा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार का पाया गया जो मौसम का हाल जानने के लिये छोड़ा गया था। गुब्बारे में एक बैटरी तथा एक यंत्र है जो हवा के तापमान, दबाव तथा नमी सम्बन्धी सूचना प्रसारित करता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय की महिला शिक्षार्थियों के साथ छेड़छाड़ की कथित घटनाएं

*४९—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १९५८-५९ में लखनऊ विश्वविद्यालय में महिला शिक्षार्थियों के साथ छेड़-छाड़ की घटनाओं की सूचना लखनऊ पुलिस को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी घटनाओं की संख्या तथा उस पर सरकार की तरफ से की गई कार्यवाही का विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी किसी घटना की सूचना लखनऊ पुलिस को नहीं दी गई, अतः पुलिस द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

क्षय रोगियों को अनुदान

*५०—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के हर जिले से सन् १९५६ से सन् १९५७ में क्षय रोगियों से अनुदान की सहायता के लिये कितनें प्रार्थना-पत्र न्याय मंत्री के पास आये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षय रोगियों और अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों से अनुदान के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्र अलग-अलग तथा जिलेवार नहीं रक्खे जाते, इसलिये वांछित सूचना एकत्रित करने में अधिक समय तथा श्रम लगेगा जिसके अपेक्षाकृत उसकी उपयोगिता बहुत कम प्रतीत होती है।

*५१—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें से कितने रोगियों को अनुदान मिल चुका है और कितने प्रार्थना-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जून सन् १९५६ से क्षय रोगियों तथा अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दिये गये अनुदान का लेखा अलग अलग रखा गया है और क्षय रोगियों को तब से दिसम्बर १९५६ तक ८७० तथा जनवरी १९५७ से दिसम्बर १९५७ तक ९४८ अनुदान दिये गये।

प्रश्न संख्या ५० के उत्तर में वर्णित स्थितियों के कारण यह बताना कठिन है कि सन् १९५६ व १९५७ में केवल क्षय रोगियों से अनुदान के लिये प्राप्त कितने प्रार्थना-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं।

महामारी रोगों का फैलना

*५२--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार ने इसका पता लगाने की कोई कोशिश की है कि जिन जिलों में महामारी रोगों द्वारा अधिक मौतें हुई हैं उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

*५३--श्री गेंदासिंह--उक्त रोग फैलने वाले जिलों में सबसे पहले इस वर्ष कहां से बीमारियां शुरू हुईं और उसके कारणों की कोई रिपोर्ट सरकार को जिला अधिकारियों द्वारा मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हैजा--२६ जनवरी, १९५७ को समाप्त होने वाले सप्ताह में सबसे पहले हैजे की बीमारी की सूचना मिर्जापुर जिले से मिली थी जिसकी विस्तार-पूर्ण रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई । बीमारी फैलने का कारण बिहार के पड़ोसी जिलों से, रोग-ग्रस्त मरीजों का आना जाना रिपोर्ट किया गया था ।

प्लेग--१९५७ में सुल्तानपुर जिले में कुछ लोगों के पीड़ित होने की सूचना मिली थी । कोई विशेष कारण इस रोग का, जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नहीं सूचित किया गया ।

चेचक--इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर, खीरी और मुजफ्फरनगर जिलों से तथा इलाहाबाद, बांदा और कानपुर के नगरों से चेचक के प्रकोप की प्रथम सूचना मिली । इन स्थानों में चेचक के होने के कोई विशेष कारण नहीं हैं ।

लागू न किये गये तथा उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित अधिनियम

*५४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम विधान सभा तथा द्वितीय विधान सभा द्वारा अब तक कितने ऐसे विधेयक पारित किये गये जो अधिनियम बन जाने के बाद अभी तक लागू नहीं किये गये हैं । क्या सरकार उनके नाम तथा उनके लागू न किये जाने के कारण बताने की कृपा करेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रथम विधान सभा तथा द्वितीय विधान सभा द्वारा पारित किये गये अधिनियम जो अब तक लागू नहीं किये गये उनके नाम तथा लागू न किये जाने के कारण संलग्न सूची में दिये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४५३ पर)

*५५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम तथा द्वितीय विधान सभाद्वारा कितने विधेयक पारित किये जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतया अथवा अंशतः अवैध घोषित किये गये ? उनके नाम क्या-क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस प्रकार की सूचना समय समय पर रिपोर्ट्स में प्रकाशित होती रहती हैं जो सभी को आसानी से उपलब्ध हो सकती है ।

गोंठा गांव की कथित डकैती

*५६--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के दोहरी घाट थाना के अन्तर्गत गोंठा गांव में दिन दहाड़े १२ बजे कुछ शहरोज गांव के डकैतों एवं गुन्डों ने एक विधवा स्त्री की डकैती करके सब कुछ लूट ले गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं । ग्राम गोंठा, थाना दोहरीघाट में डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

*५७—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो इस सिलसिले में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई और उसका अब तक क्या परिणाम हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

बद्रीनाथपुरी के आस पास हिमपात स क्षति

*५८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वर्ष में बद्रीनाथपुरी और उसके आस-पास हिमपात के कारण कितने मकानों को क्षति पहुंची ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वर्त्तमान वर्ष में हिमपात से बद्रीनाथपुरी तथा उसके आस-पास में २६ मकानों को क्षति पहुंची ।

*५९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिमपात के कारण कितने मनुष्यों तथा पशुओं की जानें गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हिमपात से २ मनुष्यों की जानें गईं । पशु-धन की कोई हानि नहीं हुई ।

*६०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिमपात से क्षति-ग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वासन के निमित्त क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षति ग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वासन के निमित्त कोई सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

मिर्जापुर जिले में श्री अलबेलेप्रसाद मैजिस्ट्रेट की इजलास से गायब मिसिल का मिलना

*६१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला मिर्जापुर में श्री अलबेले प्रसाद, स्पेशल मैजिस्ट्रेट के इजलास से दो वर्ष पूर्व गायब हुई कोई मिसिल गत फरवरी मास में बरामद हो गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, मामला पुलिस को जांच के लिये दिया गया है ।

*६२-६३—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

वीरपुर विशेन हतवा ग्राम के अग्निपीड़ितों को अहेतुक सहायता

*६५—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, तहसील व परगना गोंडा, ग्राम सभा वीरपुर विशेन हतवा में १३-४-५९ ई० को डेढ़ बजे दिन को आग लग गई थी, और अग्नि से सारा गांव जलकर भस्म हो गया ? यदि हां, तो कितने घर जले और कितने धन व पशु तथा पेड़ जल गये और कितने का नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम वीरपुर विशेन हतवा में १३-४-५९ को दोपहर में आग लगी थी । १० घर जले और लगभग २,३१९ रु० की अनुमानित हानि हुई । किसी मनुष्य व पशु की मृत्यु नहीं हुई । कोई पेड़ नहीं जले ।

*६६—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त ग्राम में कौन-कौन अधिकारी गये और सरकारी सहायता क्या-क्या दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपरोक्त ग्राम में तहसीलदार गोंडा जांच के लिये गये और २०५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया ।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को सहायता देने के सम्बन्ध में जानकारी

*६७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कितने प्रार्थना-पत्र पेंशनों और कितने प्रार्थना-पत्र इकठ्ठी धनराशि सहायतार्थ प्राप्त करने के लिये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के जिलेवार प्राप्त हुए थे ?

*६८ —क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से जिलेवार कितने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन या सहायतार्थ इकट्ठी धनराशि दी जा चुकी है और कितने प्रार्थना-पत्र अभी जिलेवार विचाराधीन हैं और इनके फैसले कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्नों में वांछित सूचना के संकलन में जो श्रम और समय लगेगा वह प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुए लाभदायक न होगा । सदस्य महोदय यदि किसी विशेष जिले अथवा विशेष व्यक्ति को पेंशन आदि दिये जाने के संबंध में जानना चाहतें हों तो कार्यालय में आकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

यमुना नदी में शेरगढ़ के निकट गल्ले से भरी नाव डूबना

*६९—श्री गरीबदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिसम्बर, १९५८ में स्थान शेरगढ़, जिला जालौन के निकट यमुना नदी में जगम्मनपुर से आने वाली कोई गल्ले से भरी हुई नाव के डूबने की दुर्घटना हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी दुर्घटना दिसम्बर, १९५८ में तो नहीं, किन्तु ५ जनवरी, १९५९ को हुई थी ।

*७०—श्री गरीबदास—यदि हां, तो उक्त नाव किसकी थी और कितने व्यापारियों के कितने-कितने माल की हानि हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त नाव राजाराम उर्फ रजोले मल्लाह, निवासी कंजौसा की थी । कितने व्यापारियों का कितना-कितना नुकसान हुआ इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल सका, क्योंकि थाना कुठौंद में कोई रिपोर्ट नहीं की गई । नाव जहां डूबी थी वहां पानी केवल ६ या ७ हाथ गहरा था इसलिये डूबा हुआ सब गल्ला पानी से निकाल लिया गया । गल्ला भीगने से थोड़ी हानि अवश्य हुई ।

*७१—श्री त्रिलोकीसिंह—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

बन्दरेला की बिना खेती वाली भूमि को माताटीला बांध के पीड़ितों को देने का सुझाव

*७२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लेखपाल हल्का तालबेहट, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में बन्दरेला की १४३ एकड़ भूमि श्री मनीराम पुत्र पन्ना लाल, श्री लक्ष्मणप्रसाद पुत्र पन्नालाल, श्री सियाराम व मोतीलाल पुत्र राम रतन के नाम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस गांव में १४४.४५ एकड़ भूमि का एक सीरदारी का खाता श्री मनीराम, लक्ष्मण प्रसाद, कान्ती कुमार व सिया राम शरण के नाम है ।

*७३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि में से लगभग १२० एकड़ भूमि ८ वर्ष से बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो उसे बेदखल क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं । केवल ६४ एकड़ भूमि ऐसी है जो ३ साल से अधिक से खेती आदि के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई गई । इस भूमि के संबंध में जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १८७ (क) के अन्तर्गत हाकिम परगना ललितपुर के यहां कार्यवाही हो रही है । कथित सीरदारों को इस भूमि को काश्त में लाने के लिये जून १९५९ से ६ माह का अवसर दिया गया है ।

*७४--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार उक्त भूमि को माताटीला बांध से पीड़ित ग्राम-वासियों को दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

*७५--७७--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

खीरी जिले में टेलीफोन व टेलीग्राफ के तारों की चोरी तथा एक अखबार पर मुकदमा

*७८--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में जनवरी सन् १९५८ से अब तक टेलीफोन व टेलीग्राफ के खम्भों पर से तारों के चोरी जाने की रिपोर्ट जिले के किन-किन थानों में दर्ज की गई और इन रिपोटों के अनुसार कितने मुकदमें अदालत में भेजे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में तार के चोरी जाने की रिपोर्ट कोतवाली, पसगवां, मोहम्मदी, मैलानी, गोला तथा नीमगांव थानों में दर्ज की गई । अभी तक कोई मुकदमा न्यायालय नहीं भेजा गया ।

*७९--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में सन् १९५८ में कितने अखबारों पर जो जिले में प्रकाशित होते हैं और जो बिना डिक्लेरेशन के प्रकाशित हो रहे थे सरकार की ओर से मुकदमें चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक ।

हरिजन कल्याण बोर्ड का निर्माण

*८०--श्री रामशरण यादव तथा श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--(जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्टेट हरिजन कल्याण बोर्ड का निर्माण हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

सुभद्राकुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वरुनी बावतपुर

*८१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सुभद्रा कुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वरूनी बावतपुर, पोस्ट वरुनी, जिला वाराणसी को जहां वह चल रहा है वहां से हटाने के लिये जिलाधीश वाराणसी ने पत्र संख्या १९४६ ८--एल० ए० ओ०-(५२-५७), दिनांक २२-६-५६ का आदेश व्यवस्थापक, उक्त कालेज को दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

*८२---श्री ऊदल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुभद्रा कुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जो मान्यता मिली है क्या वह बावतपुर के नाम से है ? यदि हां, तो व्यवस्थापक ने वरूनी इसमें किसको आज्ञा से छोड़कर बावतपुर वरूनी कर दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

आजमगढ़ सदर अस्पताल के भवन की निर्माण योजना तथा शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में बहरों का आपरेशन

*८३---श्री मुक्तिनाथराय---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के नये भवन निर्माण की जो योजना कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है उस पर इस समय क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---योजना अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

*८४---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी के एक डाक्टर ने शल्य क्रिया द्वारा बहरापन दूर करने का सफल प्रयोग किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां ।

*८५---श्री मुक्तिनाथ राय---यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जानकारी, सदन को कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अवश्य । श्री शिवप्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी के कर्ण, कंठ एवं नासिका रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक डा० शिवरतनसिंह ने बहरापन दूर करने का सफल प्रयोग किया है । ओटो एल्कीरोसिन एक प्रकार का खानदानी रोग है, जिसमें कान की छोटी-छोटी हड्डियों के सख्त हो जाने की वजह से आवाज कान के अन्दरूनी हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है । यह रोग साधारणतया २० से ३० की आयु से शुरू होता है और बहरापन बढ़ता जाता है । इसका पहले कोई अच्छा इलाज नहीं था । सन् १९५५ में सेमुयेल रोजेन ने न्यूयार्क में इन हड्डियों को फिर से चलायमान करने का सफल प्रयत्न किया । हाल ही में श्री रोजेन जब भारत पधारे थे, उपरोक्त डाक्टर ने जाकर उनका आपरेशन करने का ढंग देखा और उससे प्रोत्साहित हो कर कुछ आपरेशन किये जो सफल रहें । अब तक डाक्टर शिवरतन सिंह ने चार आपरेशन किये जिनमें तीन अच्छे हुए ।

औरैया तहसील में मिडवाइफों के केन्द्र

*८६---श्री भजन लाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा की औरैया तहसील में कितनी मिडवाइफें जच्चा-बच्चा का कार्य निरीक्षण कर रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला इटावा की औरैया तहसील में सात मिडवाइफों के केन्द्र हैं, जिसमें इस समय चार में मिडवाइफ कार्य कर रही हैं । बाकी तीन में मिडवाइफ की जगह अस्थाई रूप से खाली है और शिक्षित दाइयां काम कर रही हैं ।

*८७---श्री भजन लाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन मिडवाइफों के केन्द्र कहां-कहां पर हैं और उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इटावा जिले की औरया तहसील में मिडवाइफों के केन्द्र निम्नलिखित ग्रामों में हैं:---

१---औरैया,
२---अजीतमल,
३---अतसू,
४---जगन्नाथपुर,
५---अयाना,
६---निगरा,
७---सेंगिनपुर ।

इन मिडवाइफों के कार्य के लिये ग्रामों की कोई निर्दिष्ट संख्या या क्षेत्र निश्चित नहीं हैं। साधारणतया ये केन्द्र के ग्राम से ५ मील के अन्दर ही काम करती है। विशेष परिस्थिति में वे इन ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में भी जा सकती है यदि सवारी मिल जाय।

प्राइमरी हेल्थ यूनिटों को मोटर गाड़ियां

*८८---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्राइमरी हेल्थ यूनिटों को यू० एन० आई० सी० ई० एफ० द्वारा सप्लाई होने वाली ३५ मोटर गाड़ियों में से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कितनी प्राप्त हो चुकी हैं और कितनी प्राप्त होना शेष है, वे कब तक आ जायेंगी तथा इन गाड़ियों के साथ और क्या-क्या सामान होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उत्तर प्रदेश सरकार तथा UNICEF और WHO के अन्तर्गत हुए एक समझोते के अनुसार राज्य के ३५ प्राइमरी हेल्थ यूनिटों को UNICEF से प्राप्त होने वाली ३५ गाड़ियों में से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में १५ मिल चुकी है और शेष २० गाड़ियां अभी मिलनी हैं जिनके कुछ महीनों में मिल जाने की आशा है। इन गाड़ियों के साथ कोई सामान नहीं मिलता है।

सूचना पंचांग की छपाई पर व्यय

*८९---डाक्टर खमानीसिंह (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस साल सूचना पंचांग छापने पर कितना खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१९,०९४ रु० ५० नये पैसे ।

*९०---डाक्टर खमानीसिंह---इसी साल के सूचना पंचांग के दूसरे अंक छापने पर कितना खर्च हुआ और दूसरा अंक निकालने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दूसरा अंक नहीं छापा गया। अतः उस पर व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

*९१---डाक्टर खमानीसिंह---दोनों अंकों से कितनी आमदनी हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पंचांग से १ मई, १९५९ तक ३,५८४ रु० ६४ नये पैसे की आमदनी हुई।

फर्रुखाबाद जिले में हरिजनों को सहायता

*९२---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में हरिजन सहायक अधिकारी द्वारा कितना रुपया हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों को अनुदान के रूप में सन् १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में दिया गया और किस कार्य को सम्पन्न करने के लिये दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---फर्रुखाबाद जिले में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के लिये अनुदान के रूप में गत तीन वर्षों में निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई :---

कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	धन जो दिया गया १९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९
	रु०	रु०	रु०
१---कूप निर्माण एवं सुधार ..	..	..	४,२०३	९,९३४
२---गृह निर्माण एवं सुधार ..	..	६९	९३०	९,५०९
३---कुटीर उद्योग ..	..	२,२००	२,०५०	२,०००
४---कृषि सुधार ..	..	..	..	१,५००
५---क्षय रोगियों को सहायता	..	..	..	६००
	२,२६९	७,१८३	२३,५४३

भ्रष्ट तहसीलदारों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही

*९३---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में १ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५९ तक राजस्व परिषद् के अधीनस्थ स्थायी तहसीलदारों में से कितनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें आई और क्या उनकी जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---२३ के विरुद्ध ऐसी शिकायतें आई। इनकी जिलेवार संख्या प्रस्तुत है :---

सहारनपुर	१
बुलन्दशहर	१
मथुरा	१
एटा	१
बदायूं	१
मुरादाबाद	२
रामपुर	१
पीलीभीत	१
झांसी	१
जौनपुर	१
गोरखपुर	२
देवरिया	१
बस्ती	१
लखनऊ	२
रायबरेली	१
हरदोई	२
फैजाबाद	१
सुल्तानपुर	१
प्रतापगढ़	१
कुल योग ..	२३

*९४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें से कितनों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गई और कितनों के मामले अदालतों को सौंपे गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२१ के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गयी और १ के विरुद्ध जारी है। किसी का मामला अदालत को नहीं सौंपा गया।

मिर्जापुर जिले की दक्षिणी कैमूर रेंज में दीवानी के मुकदमों की व्यवस्था

*९५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों से मिर्जापुर जिले में चोपन से दक्षिणी कैमूर रेंज के दीवानी के मुकदमे किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मिर्जापुर जिले में कैमूरगंज रेंज के दक्षिणी क्षेत्रों के दीवानी या माल के सभी मुकदमों को माल की कचहरियों द्वारा देखे जाने की व्यवस्था है।

ऐडवोकेट जनरल के सहायक की नियुक्ति

*९६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ऐडवोकेट जनरल की सहायता के लिये कोई सिंचाई विभाग के रिटायर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो कब से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। ३१ जुलाई, १९५६ से।

*९७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि इनको वेतन कितना दिया जाता है और पेन्शन कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मासिक वेतन— रु० ५८७.५० नये पैसे।
पेन्शन— रु० २७२.३१ नये पैसे।

सरेनी तथा गुरुबख्शगंज थानों के अन्तर्गत डकैतियां

*९८—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जन पद राय बरेली में थाना सरेनी तथा गुरुबख्शगंज में १ जनवरी, सन् १९५७ से सन् १९५९ की १५ मई तक कितने डाके पड़े, उनमें कितने छूट गये और क्रमशः कितने सजायाब हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में थाना सरैनी में ४ तथा गुरुबख्शगंज में ३ डाके पड़े। थाना सरैनी का कोई डाके का मुकदमा नहीं छूटा और एक सजायाब हुआ। थाना गुरबख्शगंज में तीनों डाके के मुकदमें अदालत से छूट गये और कोई सजायाब नहीं हुआ।

आंख अस्पताल, गोरखपुर को अनुदान

*९९—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आंख अस्पताल, गोरखपुर को वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में कितना अनुदान दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य गोरखपुर के उस आंख के अस्पताल से है जो सीतापुर के आंख के अस्पताल की एक शाखा है और जो डिस्ट्रिक्ट आई रिलीफ सोसाइटी द्वारा संचालित है तो उक्त अस्पताल को सन् १९५७–५८ में कुल ५,७०० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया।

*१००—श्री उग्रसेन—क्या सरकार को यह विदित है कि उक्त अस्पताल का भवन गोरखपुर शहर से दूर बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। अस्पताल का भवन गोलघर के पास और स्टेशन व विश्वविद्यालय के करीब है। इसके अतिरिक्त कोई और स्थान उपलब्ध नहीं था।

मदारपुर गांव का अग्निकाण्ड

*१०१—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५९ के अप्रैल मास के अन्तिम सप्ताह में उन्नाव जिले के पुरवा स्टेशन के अन्तर्गत मदारपुर गांव में भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप एक युवक और कई एक पशु जल कर मर गये हैं ? यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। उक्त अग्निकांड के फलस्वरूप एक युवक और केवल एक पशु की मृत्यु हुई और लगभग ४०,०८२ रुपये की अनुमानित हानि हुई।

देवरिया जिले में विभिन्न अपराध की घटनाएं

*१०२—श्री उग्रसेन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १-१-५९ से १-५-५९ तक की अवधि के अन्दर देवरिया जनपद में—

(अ) कितने कत्ल हुये और कहां-कहां, (ब) कितनी डकैतियां पड़ीं,
(स) कितनी चोरियां हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में देवरिया जिले में—

(अ) कुल ४ कत्ल निम्नांकित स्थानों में हुए:

१—ग्राम नौनिया पट्टी, सोनबरसा थाना पटहेरवा।
२—ग्राम भटौली, थाना रुद्रपुर।
३—ग्राम बरडीहा दलपत, थाना लार।
४—ग्राम जीता राय, थाना गौरी बाजार।

(ब) डकैती की कोई घटना नहीं हुई।
(स) चोरी की १०८ घटनाएं हुई।

उन्नाव जिले में नये आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति

*१०३—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव में श्री सैयद हसन रजा आनरेरी मैजिस्ट्रेट के निधन से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये इस कार्य के लिये बनी हुई जिला कमेटी की सिफारिश के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का सरकार ने निर्णय किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। योग्यता के आधार पर ऐसा किया गया।

रजिस्ट्रार कानूनगो को विशेष वेतन

*१०४—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसीलों के काम करने वाले रजिस्ट्रार कानून गो के वेतन का ग्रेड क्या हैं और उस वेतन के अलावा कुछ स्पेशल वेतन के रूप में दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वेतन-क्रम ६०—४—८० द० रो०—५—१०५—द० रो०—५—१२० रु० है। विशेष वेतन १५ रु० प्रतिमास नियत है।

*१०५—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल वेतन कुछ जिलों में दिया जाता है और कुछ जिलों में नहीं और यदि नहीं दिया जाता है तो क्यों और वह कौन-कौन से जिले हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विशेष वेतन प्रत्येक जिले में दिया जाता है ।

गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ का स्थानान्तरण

*१०६—श्री रामशरण यादव—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ को बनारस ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गवर्नमेन्ट बेसिक ट्रेनिंग कालेज जुलाई, १९५९ में वाराणसी स्थानान्तरित हो गया है ।

इसके स्थानान्तरण का कारण यह है कि अभी तक गवर्नमेन्ट बेसिक ट्रेनिंग कालेज तथा गवर्नमेन्ट कान्सट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज दो भवनों के अभाव में लखनऊ में एक ही भवन में चल रहे थे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेसिक ट्रेनिंग कालेज के लिये भवन बनाने या क्रय करने के लिये प्राविधान हुआ था जिसके अनुसार अब वाराणसी में टैगोर विला नामक एक बहुत बड़ा भवन क्रय कर लिया गया है और गवर्नमेन्ट बेसिक ट्रेनिंग कालेज वहां स्थानान्तरित हो गया है ।

*१०७—श्री रामशरण यादव—उक्त स्कीम में सरकार का कितना व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस योजना में शासन का निम्नलिखित व्यय हुआ है:—

भवन की कीमत—	
आवश्यक परिवर्तन तथा परिवर्द्धन ..	५.०६ लाख रु०
स्थानान्तरण में व्यय ..	०.०७ लाख रु०
कुल ..	५.१३ लाख रु०

*१०८—श्री लक्ष्मणराव कदम—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

फर्रुखाबाद जिला अन्तरिम परिषद् को स्कूलों की इमारतों के लिए अनुदान

*१०९—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला अन्तरिम परिषद् को १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितनी धनराशि स्कूलों की इमारत की व्यवस्था के लिये प्रदान की गई तथा उस रकम के व्यय का ब्यौरा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*११०-१११—श्री गुप्तारसिंह—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवी देवताओं के अश्लील चित्र छापने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का आदेश

*११२—श्री झारखंडेराय—क्या सरकर का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि आजकल पूजनीय हिन्दू देवी, देवताओं के अश्लील एवं गन्दे चित्र एवं कलेन्डर अनेक फर्मों की ओर से प्रकाशित हो सरे आम बाजारों में बिकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

*११३--**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---स्थानीय अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि जब कोई अश्लील किताब या चित्र आदि उनकी जानकारी में आवें तो उसके लेखक, मुद्रक प्रकाशक आदि के विरुद्ध तुरन्त आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाय ।

सीतापुर जिले में हरिजन समितियों की बैठक पर व्यय

*११४--**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ ई० से अप्रैल सन् १९५९ तक सीतापुर जिले में प्रचार निमित्त हरिजनों की मीटिंग में कितना धन व्यय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वित्तीय वर्ष १९५२-५३ से १९५८-५९ तक कुल ८,३६४ रु० व्यय किया गया ।

*११५--**श्री गनेशीलाल चौधरी**---यह धन किस व्यक्ति व किन-किन एजेन्सियों द्वारा व्यय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४५४-४५५ पर)

बाराबंकी जिले में हरिजनों को सहायता

*११६--**श्री भगौतीप्रसाद वर्मा** (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ से १९५९ तक बाराबंकी जिले में कितने हरिजनों को कुयें व मकान बनाने के लिये सहायता मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुयें बनाने के लिये ३३४ हरिजनों को व मकान बनाने के लिये ३२७ हरिजनों को सहायता दी गई है ।

मीरनपुर कटरा थाने के अन्तर्गत अपराध की घटनाएं

*११७--**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना मीरनपुर कटरा जिला शाहजहांपुर में १ मई, सन् १९५९ ई० तक कितने कत्ल हुए हैं तथा कितने केस चोरी और डकैती के हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---साल १९५९ में १ मई, सन् १९५९ तक ४ कत्ल तथा ९ चोरी के अपराध हुए । डकैती कोई नहीं हुई ।

*११८--**श्री बालकराम**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक फरवरी, सन् १९५८ से २८ फरवरी, सन् १९५९ तक खास कस्बा मीरनपुर कटरा में कितनी चोरियां हुई हैं और उन चोरियों के सम्बन्ध में कितने चोरों को सजाएं मिली हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में ११ चोरियां हुई जिनमें अभी तक कोई अभियुक्त दंडित नहीं हुआ है ।

*११९--**श्री बालकराम**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना मीरनपुर कटरा जिला शाहजहांपुर की हद में शारदा कैनाल ब्रांच शाहजहांपुर व राजवपुर तिलहर पर कितनी राहजनी १९५८ में हुई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई नहीं ।

*१२०--**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---[हटा दिया गया ।]

*१२१—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

जरीफनगर थाने के अन्तर्गत कत्ल व डकैतियां

*१२२—श्री टीकाराम (जिला बयायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना जरीफ नगर जिला बदायूं में मार्च व अप्रैल सन् १९५९ में कितनी कत्ल व डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मार्च १९५९ में जिला बदायूं के थाना जरीफनगर के अन्तर्गत एक कत्ल और एक डकैती की घटना हुई। अप्रैल १९५९ में कत्ल या डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव द्वारा स्कूल की खादिमाओं के वेतन में कटौती

*१२३—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों को १९५८ में कोई ऐसे आदेश भेजे हैं कि लड़कियों के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करने वाली खादिमाओं के वेतन में कटौती की जाय? यदि हां, तो अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव द्वारा खादिमाओं के वेतन में कटौती करने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर मिसेज आस्टिन नर्सिंग होम, सहारनपुर द्वारा सहायता की मांग

*१२४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या डा०मिसेज आस्टिन नर्सिग होम और अस्पताल सहारनपुर को सरकार ने १९५७-५८ में ५०० रु० सहायतार्थ दिये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस वर्ष भी उस अस्पताल की ओर से कोई मांग सहायता के लिये आई है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

श्री कामताप्रसाद वर्मा, स्टेशन मास्टर की अपील पर न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला का पुलिस अधिकारी पर आरोप

*१२५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला साहब तक उस फैसले की ओर गया है जो उन्होंने नार्दन रेलवे के लेन्डोरा के स्टेशन मास्टर श्री कामताप्रसाद वर्मा की अपील मई, १९५९ के चौथे सप्ताह में मंजूर करते हुये दिया और और जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पर जालसाजी करने तथा अपीलेण्ट के उच्च रेलवे अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है ? अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस मामले की जांच-पड़ताल स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेण्ट (भारत सरकार) ने की थी जिससे राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१२६-१२८—श्री सजीवनलाल—[स्थगित किया गया।]

कादीपुर तहसील के कुछ गांवों को शाहगंज तहसील में मिलाने की प्रार्थना

*१२९--कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुर जिले की तहसील कादीपुर के कतिपय ग्रामों ने अपन को जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में मिलाने के बाबत प्रार्थना-पत्र सन् १९५८ में दिया है? यदि हां, तो कितने गांवों ने तथा उसमें अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। सन् १९५८ में ७ ग्रामों तथा ११ ग्राम सभाओं के प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुये थे जो अभी सरकार के विचारधीन हैं। ७ ग्रामों ने जौनपुर या फैजाबाद किसी भी जिले में सम्मिलित किये जाने की इच्छा प्रकट की है।

*१३०-१३१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३२--कुंवर श्रीपाल सिंह---[स्थगित किया गया।]

विधायक निवास नं० १ में गेट असिस्टेंट

*१३३--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गेट असिटेन्टों की आवश्यकता केवल विधायक निवास नं० १ ही में क्यों पड़ी जब कि अन्य तीन नवासों मिं इसकी व्यवस्था नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गेट असिस्टेन्ट विधायक निवास १ में इसलिये रक्खे गये हैं कि इस निवास में प्रवेश के लिए मुख्य दो फाटक (गेट) हैं जहां पर से आने-जाने वालों के नाम रजिस्टर पर दर्ज किये जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अन्य तीन निवासों में संभव नहीं है, क्योंकि उन निवासों में फाटकों के अलावा अन्य कई मार्गों से भी प्रवेश किया जा सकता है।

विधायक निवास परामर्शदात्री समिति के सिफारिश के फलस्वरूप यह योजना विधायक निवास १ में प्रयोग के तौर पर फिलहाल आरम्भ की गई है।

चकबन्दी सम्बन्धी उज्रदारियों के फैसलों की भाषा

*१३४--श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में होने वाली चकबन्दी से उत्पन्न उजुरदारियों की सुनवाई करने वाले चकबन्दी अधिकारियों को अपना फैसला राज्य भाषा हिन्दी में ही देने का सरकार ने कोई आदेश भेजा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस समय चकबन्दी अधिकारी (Consolidation officers) तथा उनके अधीनस्थ सहायक चकबन्दी अधिकारी अपना फैसला प्रायः हिन्दी में ही लिखते हैं। इस विषय में आवश्यक आदेश कुछ समय पूर्व चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किये गये थे।

*१३५---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---[स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले के तहसीलदारों द्वारा एक राजाज्ञा न पालन करने की शिकायत

*१३६---श्री माताप्रसाद---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की तहसीलों में चपरासी उम्मीदवारों की सूची किस प्रकार तैयार की जाती है?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३७--श्री माताप्रसाद---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ५ अप्रैल , सन् १९५८ ई० की राजाज्ञा संख्या १६७३ (एम)/१-घ/४२ -ख-५३---जौनपुर के जिलाधीश द्वारा प्रत्येक तहसीलदारों को कब प्राप्त हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---५ अप्रैल, सन् १९५८ ई० की राजाज्ञा संख्या १६७३ (एम) /१ घ / ४२ ख-५३, जौनपुर के जिलाधीश द्वारा प्रत्येक तहसीलदार को निम्नलिखित तिथियों को प्राप्त हुई :

तहसीलदार	राजाज्ञा प्राप्त होने की तिथि
१---जौनपुर	अप्रैल १४, १९५८
२---मड़ियाहूं	अप्रैल १५, १९५८
३---मछलीशहर	अप्रैल १६, १९५८
४---शाहगंज	अप्रैल १५, १९५८
५---केराकत	अप्रैल १५, १९५८

*१३८---श्री माताप्रसाद---क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि उक्त राजाज्ञा का पालन तहसीलदारों द्वारा नहीं किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त राजाज्ञा का पालन पूर्ण रूप से किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के स्थायीकरण पर विचार

*१३९---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के स्थायीकरण के विषय पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

गोरखपुर जिले में रबी को क्षति

*१४०---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस वर्ष गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में रबी की फसल ठीक नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं। केवल फरेन्दा तहसील के मात्र ६ गांवों में ओला पड़ने से रुपये में दो आना की क्षति आंकी गई थी, और सदर तहसील (के कतिपय गांवों) में पछवा हवा चलने से फसल में रुपये में ४ से ६ आना तक की हानि हुई है।

*१४१---श्री गौरीराम गुप्त---यदि हां, तो इसके लिये किसानों को क्या सुविधाएं सरकार देने के लिये विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्षति की मात्रा इतनी कम थी कि नियमों के अन्तर्गत उन ग्रामों के किसानों को मालगुजारी व लगान में छूट नहीं दी जा सकती है।

गोरखपुर में टेस्ट वर्क पर व्यय

*१४२---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में मई, सन् १९५९ से जून सन् १९५९ तक कहां-कहां टेस्ट वर्क हुआ है तथा सरकार द्वारा इस सिलसिले में कितना-कितना रुपया कहां-कहां खर्च हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

नाम तहसील	कार्य का नाम	सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि
		रु०
१—महराजगंज	चेहरी बांध	३,३४०
२—फरेन्दा	मखनहां बांध	४,३३०
	नगवां बांध	७८०
३—बांसगाव	सहवा नाला	८००
	कौडा रकहत बांध	२,११५
४—सदर	राजधानी बांध	४,६००
	भगने कटसिकरा बांध	३,९४०
	छितहरी थूनी बांध	९,७२२
	योग . .	२९,६२७

सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त दवा देने पर व्यय

*१४३—श्री रामसूरतप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में चार सौ रुपये तथा उससे अधिक वेतन भोगी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की मुफ्त दवा तथा (re-imbursement) पर सन् १९५६-५७ ई० में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकारी कर्मचारियों पर ३१,५९४ रु० ९ आना।

उनके परिवार के सदस्यों पर ४३,४७२ रु० १५ आ० ३ पा०।

बाराबंकी जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*१४४—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत, १ अप्रैल, सन् १९५९ से ८ जून, १९५९ तक आग लगने की कितनी और कहां-कहां वारदातें हुईं कितने धन की क्षति हुई तथा कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला बाराबंकी में १ अप्रैल, सन् १९५९ से ८ जून, १९५९ तक आग लगने की ८८ घटनाएं हुई। क्षति व सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४५६-४५८ पर)

*१४५—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उक्त आग की जांच तथा सहायता के लिये जो कर्मचारी मौके पर गये उनके टी० ए० (भत्ता) में कितना धन खर्च हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अग्निकांड की जांच तथा सहायता के लिये जो कर्मचारी गये थे उनके टी० ए० भत्ते में ८७ रु० ६ न० पै० खर्च हुए।

बाराबंकी जिले में विभिन्न अपराध की घटनाएं

*१४६--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत १ जनवरी, १९५९ से २८ जून, १९५९ तक कितने कत्ल, डकैती, राहजनी, औरतों को भगाने के अपराध हुये और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४५९ पर)

मेजा तहसील में लेखपालों को वेतन वृद्धि न मिलना

*१४७--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में ऐसे कितने लेखपाल हैं जिनको अप्रैल, १९५३ में उनके वेतन में दी गई बढ़ोत्तरी अब तक नहीं दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पन्द्रह ।

*१४८-१५०--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २१ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५१--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १४ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

पुलिस कप्तान, मैनपुरी के पास थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें

१--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के कप्तान पुलिस के पास उक्त जिले के थानेदारों के खिलाफ रिश्वत लेने व मार-पीट करने व झूठा चालान करने की शिकायती दरख्वास्तें सन् १९५७-५८ ई० में कितनी आई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४६० पर)

आगरा में परिवार नियोजन आपरेशन सम्बन्धी सुविधाएं

२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ दिसम्बर, १९५८ तक आगरा शहर में परिवार नियोजन आपरेशनों के लिये क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--परिवार नियोजन योजना के प्रारम्भ के पूर्व से ही सरकारी अस्पतालों में पुरुषों (Vasactomy) और स्त्रियों (Ligation) के आपरेशनों की सुविधाएं उपलब्ध थीं ।

मई, १९५८ से लेडी लायल अस्पताल में एक सरकारी परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहा है जहां भी इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

३--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--[हटा दिया गया ।]

राज्य में जिलेवार डकैतियां

४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ ई० में उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितनी-कितनी डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४६१ पर)

लखनऊ में शहादतगंज थाना के अन्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनाएं

५--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना शहादतगंज शहर लखनऊ के थाने में जनवरी १९५९ ई० से २५ फरवरी १९५९ ई० तक कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां व कितनी रहजनियां व कितने कत्ल व कितने जेब काटने की घटनायें हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जनवरी सन् १९५९ से २५ फरवरी, सन् १९५९ तक लखनऊ नगर के थाना शहादतगंज में डकैती राहजनी कत्ल तथा जेब काटने की कोई घटना नहीं हुई केवल १२ घटनाएं चोरी की हुईं।

आगरा जिले में वृहत् जोत करदाता

६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा में वृहत् जोत कर देने वाले काश्तकारों की संख्या तहसीलवार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एक सूची जिसमें वांछित सूचना दी गई है माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४६२ पर)

दैवी आपत्तियों से उत्पन्न क्षति की पूर्ति के लिए सहायता

७--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च के अन्त एवं अप्रैल प्रारम्भ १९५९ में प्रदेश के अनेक जिलों में पानी, पत्थर, आन्धी से जन-धन की अत्यधिक हानि हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जन-धन की हानि हुई है, परन्तु अत्यधिक कहना उपयुक्त न होगा।

८--श्री झारखंडेराय--यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी-कितनी कुल ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हानि का विवरण संलग्न तालिका में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४६३-४६५ पर)

९--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस सिलसिले में सरकार ने क्या सहायता की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण उपर्युक्त प्रश्न ८ के उत्तर से सम्बन्धित तालिका में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४६३ पर।)

विभिन्न जोतों के काश्तकार

१०--श्री माताप्रसाद--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निम्न जोतों के हिसाब से काश्तकारों की संख्या कितनी है :--

अ--५,००० एकड़ या इससे अधिक।

ब--५,००० एकड़ से नीचे और १,००० एकड़ से ऊपर।

स--१,००० एकड़ से नीचे और ५०० एकड़ से ऊपर।

द--५०० एकड़ से नीचे और १०० एकड़ से ऊपर।

य--१०० एकड़ से नीचे और ५० एकड़ से ऊपर।

फ--३० एकड़ से नीचे और २० एकड़ से ऊपर।

ह—२० एकड़ से नीचे और साढ़े १२ एकड़ से ऊपर ।
ज—साढ़े १२ एकड़ से नीचे की संख्या ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के उत्तरों में विलम्ब की शिकायत

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं । श्रीमन्, १३५ नम्बर पर मेरा एक प्रश्न था जिसमें मैंने पूछा था कि अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के कुलपति को सरकार ने नजरबंद किया है । यदि हां, तो क्यों ? उसका उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला । वह एजेंडे पर भी आ गया है । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम लोगों को समय पर उत्तर मिल जाया करें ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न गृह मंत्री जी का था । अब तो वे इसका बाद में उत्तर देंगे, क्योंकि अभी तक उनके यहां से उत्तर आया नहीं है ।

गृह उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, उत्तर अभी तक नहीं भेजा जा सका है । इसको स्थगित करने के लिये प्रार्थना कल ही भेजी जा चुकी है जो तीन दिन पहले भेजनी चाहिये थी, लेकिन नहीं भेजी जा सकी । यदि आज प्रश्न सदन में आता तो मैं सदन से प्रार्थना करता कि इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है, दूसरे दिन ले लिया जायगा ।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में मुझे भी कठिनाई है । मेरा एजेंडे पर ८० नम्बर का प्रश्न था जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष—उनका जवाब जब आ जायगा तो उनको उपस्थित कर दिया जाय ।

मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के विषय में श्री चरणसिंह द्वारा वक्तव्य देने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)—मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय चौधरी चरण सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है । इस्तीफा उस समय हुआ है जब कि यह सदन नहीं चल रहा था । हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा रही है कि मंत्रि-मंडल से इस्तीफा देने के बाद मंत्री महोदय को अवकाश दिया जाता है कि वह अपना वक्तव्य सदन में दें । इसके लिये मैं श्रीमन् का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के १५ वें एडीशन के पेज ३६० पर और १६वें एडीशन के पेज ३६४ पर है इसकी ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें यह दिया हुआ है :—

"Explanation by a Member of the circumstances which have caused his resignation of an office in the Goverment is usunlly made immediately before the commencement of public business."

आज सदन का कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है । अतएव मेरी प्रार्थना है कि श्रीमन् इस पर आज्ञा दें । उसमें बहुत से और उदाहरण दिये हुये हैं । मैं श्रीमन् की सेवा के लिये बहुत से उदाहरण लिख कर लाया हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप उनको बाध्य करना चाहते हैं कि वह स्टेटमेंट दें ?

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल—बाध्य तो नहीं, लेकिन उनको मौका तो मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आपको उन्होंने वकालतनामा दिया है इस बारे में कहने के लिये ? क्या मामला है ? आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं ?

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल—मैं भी चाहता हूं और सदन भी उत्सुक है जानने के लिये ।

श्री अध्यक्ष—हमारी नियमावली में दिया हुआ है, उसमें भी यही है —

"Such statement shall be made after the questions and before the list of business for the day is entered upon."

उसमें भी वही नियम है जो आपने पढ़ कर सुनाया है । आर्डर आफ दि बिजिनेस में है कि किस सिलसिले में काम लिया जायगा । लेकिन वह काम तभी लिया जायगा जब वह वक्तव्य देना चाहें । तभी मैं वक्तव्य ले सकता हूं । उन्होंने मुझे सूचना दी है कि वह वक्तव्य देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे । कुछ दिनों के बाद वे देना चाहते हैं । तो मैं उनसे मिल कर या वह मुझ से मिल कर कोई दिन मुकर्रर करेंगे । उस रोज जब वह लिया जायगा, तो वह कार्यवाही प्रारम्भ होने के पहले ही लिया जायगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत श्री सियाराम शुक्ल के अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास दो सूचनाएं आयी हैं । उनमें सियाराम शुक्ल के सम्बन्ध में श्री जंगबहादुर वर्मा ने जो दिया है वह मैं ले रहा हूं । उसमें वह सिर्फ एक चीज स्पष्ट कर दें । उन्होंने लिखा है कि श्री शुक्ल जी २१ सितम्बर, १९५८ से बलरामपुर अस्पताल में अनशन कर रहे हैं । तो २१ सितम्बर, सन् १९५८ से आज नौ दस महीने हो गये, दस महीने से क्या अनशन बराबर जारी है, क्या खाना-पीना कुछ नहीं खाते हैं ?

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—वह जबर्दस्ती उनकी नाक से दूध और सन्तरे का रस खिलाया जाता है और उन्हें किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता है, इसलिये वह अभी जीवित हैं, लेकिन उनकी स्त्री कमला देवी की जिस तरह से मृत्यु हो गई उसी तरह से वह भी मरने ही वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष—तो आपको यह इसमें लिखना चाहिये था कि फोर्स्ड फीडिंग हो रही है, यह आपने लिखा नहीं । खैर, मैं इसको इजाजत देता हूं, इसको पढ़े देता हूं, और माननीय सम्बन्धित मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य किसी रोज दे दें जिस रोज देना उचित समझें ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं अभी दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसको पहले पढ़ दूं ।

"श्री सियाराम शुक्ल प्रधान अमोली कला जिला बाराबंकी व श्रीमती कमला देवी शुक्ला अपने व जनता के साथ हुई ज्यादती के सम्बन्ध में मांगों को लेकर बराबर आवाज उठाते रहे । सुनवाई न होने पर कई महीने तक अनशन भी किया जिसके फलस्वरूप श्रीमती शुक्ल की मृत्यु बलरामपुर अस्पताल में हो गई । परन्तु सरकार की ओर से उनकी मांगों के सम्बन्ध में आज तक कोई भी आश्वासन व समुचित कार्यवाही नहीं की गई । इस उपेक्षा व असावधानी के कारण श्री शुक्ल पुनः तारीख २१ सितम्बर, सन् १९५८ से बलरामपुर अस्पताल में अनशन कर रहे हैं ।"

और इतना मैं इसमें और जोड़ दूं कि जबर्दस्ती उनको फीडिंग कराया जा रहा है, खाना खिलाया जाता है या दूध पिलाया जाता है, जो कुछ भी हो ।

"उनके अनशन व उनकी मांगों का जनता से सीधे सम्बन्ध होने के कारण ग्राम व जिले में असन्तोष का वातावरण फैला हुआ है । श्री शुक्ल की स्थिति चिन्ताजनक है । मांगों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण होने पर उनकी जान बचाई जा सकती है ।

अतः नियम ५२ के अन्तर्गत उनके अनशन से उत्पन्न स्थिति व मांगों के स्पष्टीकरण के लिये समय का आबंटन चाहता हूं ।"

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, हमारी सूचना यह है कि श्री सियाराम शुक्ल और श्रीमती कमला देवी शुक्ल इनका अपने यहां के ग्राम समाज से कुछ झगड़ा था। इन्होंने अनशन शुरू किया उस सिलसिले में, २२ सितम्बर, सन् ५८ को सेक्शन ३०९ में वह गिरफ्तार हुए। पहले लखनऊ जेल में रखे गए और फिर बाद को बलरामपुर अस्पताल में रखे गये। श्रीमती शुक्ल के खिलाफ मुकदमा १९५८ के दिसम्बर में विद्ड्रा कर लिया गया। लेकिन वह अपने से अस्पताल में तीन महीने रहीं। गवर्नमेंट ने उनको नहीं रखा न्यूमोनिया से ३ मार्च, १९५९ को उनका देहान्त हो गया। शुक्ल जी ने अपना फास्ट जारी रखा। उनके खिलाफ जो मुकदमें थे वह १९५९ के जून में विद्ड्रा कर लिए गए। कोई मुकदमा उनके खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लेकिन वह जबर्दस्ती अस्पताल में पड़े हुए हैं। वहां से हटते नहीं।

श्री अध्यक्ष---उनकी मांग क्या थी कि उनके ऊपर से मुकदमें हटा लिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुकदमें हटा लिए गए उनके ऊपर से, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। एक और खुशी की बात है कि उनका वजन पहले ६० पौंड था, अब वह ७० पौंड हो गया है दस महीने के अनशन के बाद। अस्पताल वालों का कहना है कि वह जब चाहें जा सकते हैं। वह चाहे बाराबंकी चले जायं, या जहां चाहें चले जायं कोई दिक्कत किसी की तरफ से नहीं है न गवर्नमेंट की तरफ से न अस्पताल की तरफ से।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर कब मुकदमा चलाया गया था और कितने दिन के बाद मुकदमा उठाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने बतला दिया, २२ सितम्बर को गिरफ्तार किये गए सन् १९५८ में और मुकदमा उठाया गया जून १९५९ में।

श्री राजनारायण---तो एक साल दो महीने के बाद मुकदमा क्यों उठाया गया और इस मुकदमे के दरमियान में जो खर्चा लगा है जनता के धन का उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं समझता हूं सितम्बर से जून तक एक साल होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई आदमी गलत बात करे तो यह किसकी जिम्मेदारी है ? सरकार ने यह कृपा की कि मुकदमा उनके ऊपर से उठा लिया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शुक्ल और श्री शुक्ल ने अपने अनशन को प्रारम्भ करने से पहले सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं बता चुका हूं कि वह ग्राम-समाज से लड़ाई थी। उसमें सरकार के लिये कुछ करना सम्भव नहीं था।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था वह क्या-क्या शिकायतें थीं और उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायतें मेरे पास नहीं हैं। कार्यवाही के लिये मैंने बताया कि कोई खास नहीं हुई।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने जिलाधीश को नोटिस दिया था कि हम फलां तारीख से अनशन करेंगे तब अनशन किया तो उनको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद जिलाधीश से वहां के अधिकारियों ने मिलकर ग्राम-समाज का मुआयना करके एक फर्जी मुकदमा उनके ऊपर चलाया ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह आक्षेप है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस आशय का एक पत्र श्री शुक्ल को लिख कर भेजने का कष्ट करेंगे कि चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा उठा लिया गया है इसलिये वह अपना अनशन समाप्त कर दें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमने यही बहुत किया कि मुकदमा उठा लिया। मैं अनशनकारियों से कोई बातचीत नहीं किया करता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री शुक्ल को कोई बीमारी नहीं है तो वे अस्पताल में क्यों हैं और उनको अस्पताल से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---क्यों हैं यह तो वे जानें। वहां से कोई नहीं निकाला जाता क्योंकि अस्पताल वाले भी दयालु लोग हैं और मैं क्या कह सकता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अनशन करने की वजह से सरकार ने मुकदमा उठा लिया है या जांच के बाद मालूम हुआ कि वह निर्दोष हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने कहा कि दया करके मुकदमा उठा लिया।

गृह मंत्री के विरुद्ध अनर्हता का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---अब मैं श्री राजनारायण ने जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में अपना निर्णय सुना देता हूं।

माननीय राजनारायण जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९२ (१) के अनुसार श्री कमलापति त्रिपाठी को अनुच्छेद १९१ के खंड १ में वर्णित अनर्हताओं का भागी मानकर आदरणीय सदन में इस हेतु प्रश्न उठाया है कि मैं या आदरणीय सदन इस प्रश्न को महामान्य राज्यपाल (गवर्नर) के निर्णय के लिये भेज दें।

इंगलैंड के चालू संविधान के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने सदनों के संगठन तथा सदस्यों की योग्यता या चुनाव कराने की पद्धति या चुनाव के झगड़े तथा चुनाव के बाद किसी सदस्य की अनर्हता के सम्बन्ध में निर्णय देने के अधिकार हैं। वे अधिकार हमारे संविधान के द्वारा लोक-सभा या विधान सभाओं को नहीं दिये हैं बल्कि एक स्वतंत्र चुनाव कमीशन चुनावों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये, चुनावों के झगड़े निपटाने के लिये, ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने के लिये और चुनाव के बाद यदि किसी सदस्य में सदस्यता की अयोग्यता उत्पन्न हो गई हो तो उस प्रश्न का फैसला करने का अधिकार केन्द्र में प्रेसीडेंट और प्रदेश में गवर्नर के अधिकार में दे दिया है, जैसा अनुच्छेद १०२, १०३, १९१, १९२ और ३२४ इत्यादि से स्पष्ट है। ऐसी अवस्था में जब कि इस आदरणीय सदन को इस प्रश्न पर निर्णय देने का या इस बात की जांच करने का अधिकार नहीं है तो फिर अनुच्छेद १९२(१) के अनुसार केवल किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उपस्थित करने पर उसे महामान्य राज्यपाल के पास निर्णय के लिये भेजना, इतनी ही कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मेरी समझ में, इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। तथापि यदि इस प्रश्न को मैं महामान्य राज्यपाल के पास भेज देता हूं तो उससे कोई अवैधानिकता तो नहीं होगी परन्तु यह कार्य उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से कोई भी सदस्य या बाहरी व्यक्ति यह प्रश्न माननीय राज्यपाल के पास भेज सकता है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या ऐसे प्रश्नों को सदन में उठाने की मैं अनुमति दूं या न दूं। मेरी समझ में जबकि संविधान में ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार इस आदरणीय सदन को नहीं है तब इस प्रकार के प्रश्न उठाने की प्रथा

का प्रारम्भ यदि मैं करने दूं तो उससे ऐसी शिकायतों को प्रोत्साहन मिलेगा और सदन में सार्वजनिक विषयों पर शान्त वातावरण में विचार विनिमय करने में बाधा पड़ेगी।

इस विषय की चर्चा करने पर श्री रामस्वरूप वर्मा ने अनुच्छेद १९२ के शब्द "if any question arises" तथा शब्द "shall be referred" की ओर मेरा ध्यान दिलाया था और उनका कहना था कि यदि प्रश्न सदन में उपस्थित हो तो मामला गवर्नर को 'रिफर' किया जाना चाहिये। प्रश्न उपस्थित होने का साधारणतया मतलब यही समझना चाहिये कि किसी चुनाव की वैधानिकता सम्बन्धी विषय की जांच करते हुए यदि ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाय तो मामला गवर्नर को निर्देशित किया जा सकता है। जैसा कि हमारे प्रदेश में एक एलेक्शन पिटीशन में एलेक्शन-ट्रिब्यूनल के सामने ऐसा ही प्रश्न हमारे प्रदेश के मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के विषय में उपस्थित हो गया था और ट्रिब्यूनल को वह मामला महामान्य राज्यपाल को 'रिफर' करना आवश्यक मालूम पड़ा था। लेकिन इस आदरणीय सदन के कार्य संचालन में यह प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अवैधानिक ढंग से सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले ले तो भी अनुच्छेद १८९ (२) के अनुसार सदन की कार्यवाही अवैधानिक नहीं होती। हां, यद्यपि यह प्रश्न उठता नहीं है तो भी इस समय उसे उठाया जा रहा है। "Arise" नहीं हो रहा है वरन् "Raise" किया जा रहा है जिसकी मैं अनुज्ञा नहीं देता हूं।

जहां तक 'रिफर' करने का प्रश्न है किसी भी मामले को रिफर करने में यह आवश्यक नहीं है कि विशिष्ट अधिकारी ही उसे रिफर करे बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जानकारी में और विचार में प्रश्न उपस्थित हो गया हो वह चाहे तो मामले को महामान्य राज्यपाल के पास निर्देशित कर सकता है जिसमें वह निर्णय दे सकें। इसलिये इस प्रश्न को इस आदरणीय सदन में उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। अतएव उक्त कारणों से श्री राजनारायण जी ने जिस प्रश्न को उठाने का संकेत किया है उसे उठाने की अनुमति मैं नहीं देता और भविष्य में भी ऐसे प्रश्नों को उठाने के लिये किसी सदस्य को अधिकार नहीं रहेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आपने जो 'Raise' और 'Arise' का डिफरेंस किया है तो 'Arise' की बात तो स्वयं भूभगवान ही जानते होंगे।

श्री अध्यक्ष—आपके दिमाग में तो उठ गया। वहां एराइज हो गया। तो आप स्वयं भेज दीजिये। यहां तो वह तब एराइज होगा जब कि सदन के काम में कोई बाधा उपस्थित हो या उसकी कार्यवाही कोई अवैध सदस्य बैठने से अवैधानिक होने की संभावना हो। उसी अवस्था में यह प्रश्न उठ जाता कि कोई अवैध सदस्य सदन में कैसे बैठा क्योंकि हमारे सदन के काम में कोई अड़चन नहीं पड़ रही है इसलिए इस प्रश्न को उठाने की मैं इजाजत नहीं देता। मैं केवल पोस्ट आफिस बनना नहीं चाहता कि आप एक प्रश्न उठा दें और मैं उसे श्री राज्यपाल के पास भेज दूं। मैं चाहता हूं कि यहां अगर प्रश्न उठाया जाय तो आदरणीय सदन को निर्णय देने का भी अधिकार होना चाहिये। उस पर, अगर संविधान में अधिकार नहीं दिया गया है तो केवल उस प्रश्न को उठा कर जो काम दूसरे स्वयं कर सकते हैं उसे मैं भी करूं, ऐसा मैं करने को तैयार नहीं हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था आपने दी ह उस के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं निवेदन करना है, केवल एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी याददाश्त ऐसी है कि माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया गया है वह कुछ असल बकाये से विपरीत है। लेकिन वह क्या है यह मेरे लिये भी आवश्यक है कि मैं ऐसे मुकदमे के रेकार्डस् ला कर मान्यवर की सेवा में भेज दूं ताकि आपके निर्णय में कोई ऐसी बात न आये कि जो वाकयात के खिलाफ हो। मेरी याददाश्त ऐसी है कि गवर्नर को कोई रेफरेंस नहीं किया गया था उनके खिलाफ नेम करने की प्रोसिडिंग्स चलाई गयी

[त्रिलोकी सिंह]

थीं और उसमें फिर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट किया था और फिर नेमिंग की प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं ली जा सकती थीं यह हुआ था। लेकिन गवर्नर को कोई रेफरेंस नहीं किया गया। फिर भी हो सकता है कि मुझे ठीक याद न हो। मैं बाद में आपकी सेवा में भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैंने जो वाक्य कहे उन्हें मुकदमे के वाकयात पढ़ कर दुरुस्त कर लूंगा, उसमें फैक्ट्स का ही सवाल है। लेकिन प्रश्न उपस्थित करने के बारे में जो सिद्धान्त है वह तो मेरे निर्णय में स्पष्ट है। फर्ज कर लीजिये उस सिलसिले में ट्रिब्यूनल फैसला देने के पहले एक इन्क्वायरी कराता है तो उसके सामने वह प्रश्न "एराइज" हो गया यह कहा जा सकता है। क्योंकि सिटिंग मेम्बर का मामला था इसलिये गवर्नर के पास भेजा जा सकता था। इसलिये "एराइज" शब्द को अपने निर्णय में मैंने उपयोग किया था।

श्री राजनारायण द्वारा जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता था। ३-४ दिन पूर्व आपने माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा था कि हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन का मामला सब-जूडिस है या नहीं, इस सिलसिले में वह लीगल ओपीनियन नेता विरोधी दल को भेज दें। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने ओपीनियन ली थी वह माननीय नेता विरोधी दल को भेजी या नहीं भेजी और उस सम्बन्ध में स्थिति क्या है और गवर्नमेंट ऐडवोकेट की ओपीनियन ली गयी थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बताया कि लीगल ओपीनियन ली गयी थी। मैंने कहा था कि जो लीगल ओपीनियन ली है, उसको बतायें। मैं समझता हूं, नेता विरोधी दल इस सम्बन्ध में जानते होंगे ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अभी तक नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष---तो वह स्वयं बात-चीत कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---मैं समझता हूं कि आपका मतलब यह था कि जब नेता विरोधी दल को मालूम हो जायगा तो हमको भी मालूम हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष---वह तो हो जायगा।

श्री राजनारायण---क्यों कि यह पब्लिक से सम्बन्धित सवाल है, कहीं यह दो नेताओं के बीच में ही न रह जाय। इसमें जल्दी करायी जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, नेता विरोधी दल आपके संकेत को समझ लेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा भी निवेदन है। ५ महीने हो गये, मेरे प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्नों के बारे में मेरे कमरे में बात करें।

श्री टीकाराम पुजारी---कमरे में कहां जाऊं श्रीमन्, यहां नेताओं की बात सुनी जाती है, मेम्बरों की नहीं सुनी जाती। एक रजबहा है उसी की बात है ....

श्री अध्यक्ष---आप बगैर इजाजत बोलते हैं यह ठीक नहीं है, कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न ७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सर्वश्री जे० के० काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी प्राइवट लिमिटेड, कानपुर को ऋण देने के सम्बन्ध में दिनांक २ अप्रैल, १९५९ को निम्नलिखित तारांकित प्रश्न संख्या ७ पूछा गया था--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३, मार्च १९५९ के प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर में वित्त मंत्री ने जिस अधिकारी को बताया वे कौन हैं तथा उक्त कम्पनी को ९० लाख पया कब और किस शर्त पर दिया गया ?

इस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नोत्तरों के सम्बन्ध में सर्वश्री गोविन्द सिंह विष्ट तथा श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा सदन में पूछे गये निम्नलिखित प्रश्नों तथा उनके उत्तरों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

"श्री गोविन्द सिंह विष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन शर्तों में १३वीं शर्त के मुताबिक दूसरे डाइरेक्टर अभी तक क्यों नहीं नामांकित किये गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इस पर गवर्नमेंट विचार करेगी।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल--शर्त के मुताबिक अभी तक सरकार ने दूसरे डाइरेक्टर की नियुक्ति पर विचार क्यों नहीं किया ?

डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--जहां तक मुझे याद पड़ता है जिस काम के लिये रुपया दिया गया था वह अभी तक बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। जिस समय काम आगे बढ़ जायगा तो जरूर दूसरे डाइरेक्टर की नियुक्ति होगी।"

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उपरोक्त कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स पर श्री श्याम-सुन्दर लाल कक्कड़, उद्योग सचिव, दूसरे डाइरेक्टर के पद पर ३० सितम्बर, १९५८ को नियुक्त किये जा चुके थे। अतएव श्री बलदेल सिंह आर्य द्वारा दिया गया उपलिखित उत्तर निम्न प्रकार संशोधित कर लिया जाय और श्री पालीवाल का प्रश्न व संबंधित उत्तर विधान सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाय--

"दूसरे डाइरेक्टर के पद पर श्री श्याम सुन्दर लाल कक्कड़, आई० ए० एस०, उद्योग सचिव, नियुक्त किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह कार्यवाही छप चुकी है और अब नयी कार्यवाही और आ जायगी तो उसमें दोनों को पढ़ने से पता चल जायगा कि वह दुरुस्त हो गया है या नहीं।

६ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न ७६ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या ७६ पर ६ मार्च, १९५९ को श्री गंगाधर जाटव के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था--

"श्री गंगाधर जाटव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त स्टाफ कोर्स की कितने सब-इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग दी गई और उनमें से कितने सब-इंस्पेक्टरों को एस० श्री० बनाया गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप यादव]

श्री रामस्वरूप यादव---यह जो स्टाफ कोर्स है, जो कोई किसी थाने का इन्चार्ज या सर्किल इंस्पेक्टर होने वाला हो तथा जिसका सेवा काल ५ वर्ष से १० वर्ष तक का हो, ऐसे जितने सब-इंसपेक्टर थे उन सबको स्टाफ कोर्स देना जरूरी था और १६-१६ सब-इंसपेक्टरों के दो कोर्स हो चुके हैं।

श्री गंगाधर जाटव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंग कि इस ट्रेनिंग में इस साल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस स्टाफ कोर्स में दीक्षा देने के लिये एक सर्किल इंस्पेक्टर का स्थायी पद स्वीकार हुआ है जिस पर ३,१०० रु० खर्च हुआ।"

उक्त उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर इस प्रकार हैं :---

"५ वर्ष से १० वर्ष तक के सेवा काल वाले सब-इंस्पेक्टरों को पुलिस थाने के इंचार्ज के योग्य बनाये जाने के लिये अथवा दक्षतारोध पार करने के लिये इस स्टाफ कोर्स में प्रशिक्षा देना आवश्यक था और १६-१६ सब-इंस्पेक्टरों के दो कोर्स हो चुके हैं।

इस स्टाफ कोर्स में दीक्षा देने के लिये एक सर्किल इंस्पेक्टर का अस्थायी पद स्वीकार हुआ है जिस पर ३,१०० रुपया खर्च हुआ है।"

आपसे प्रार्थना है कि सदन की ६ मार्च, १९५९ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया जाय।

मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास आज एक अविश्वास का प्रस्ताव आया है, मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध जो कि श्री त्रिलोकीसिंह, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री राजनारायण, श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे और श्री झारखंडे राय जी का दस्तखती है वह इस प्रकार है :

"हम निम्नलिखित प्रस्ताव विधान सभा में पेश करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि अध्यक्ष महोदय ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करेंगे---

"विधान सभा की यह बैठक उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास प्रकट करती है।"

इसमें किसी को इसकी वैधानिकता के बारे में कोई आपत्ति है ?

मैं इसको वैध करार देता हूं। जो लोग इस पक्ष में हों कि अनुमति दी जाय वह कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(१०३ सदस्य खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष---इसके पक्ष में १०३ सदस्य हैं जो कि पंचमांश से अधिक हैं इसलिये सदन की अनुमति इसके लिये है।

अब इसके लिये नियम यह है कि १० रोज के अन्दर मैं कोई समय मुकर्रर करूं। मैं समझता हूं कि इस विषय में बात चीत करके जब सुविधा हो, विरोधी दल के नेता के लिये भी और सदन के लिये भी, वह दिन मैं मुकर्रर कर दूंगा। जहां तक मैं समझता हूं ६-७ अगस्त की तारीख ज्यादा अच्छी मालूम होती है क्योंकि ८ को है शनिवार और ९ को रविवार है और आज है ३१ तारीख और १० दिन के पहले इस पर वादविवाद होना चाहिये इसलिये ६-७ तारीख ही ज्यादा ठीक मालूम होती है। मैं समझता हूं कि इन तारीखों में आप लोग शायद एक रोज बहस करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, इस सिलसिले में सरकारी दल के चीफ हिप से मेरी बातें हुई थी और यह बात हुई थी कि इस संकल्प पर विचार करने के लिये २ दिन का समय नियत किया जाय। अभी मेरे कान में यह आवाज आयी है कि तारीख ७ को गैर सरकारी दिन है। इस प्रश्न पर मान्यवर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तारीख ७ गैर सरकारी दिन नहीं है ।

श्री त्रिलोकी सिंह---इसके लिये मैं अफसोस जाहिर करता हूं । मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर इसके लिये दिनांक ६ और ७ अगस्त नियत करने की कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आप देखते हैं कि इस सदन में विरोधी दलों की ओर से सरकार में अविश्वास के प्रस्ताव कई आ चुके हैं । उसका एक कारण तो यह है कि समय की कमी के कारण सरकार को हम समझा नहीं पाते । बिहार जैसे छोटे प्रदेश में जब अविश्वास का प्रस्ताव आया तो ३-४ दिन का समय रखा गया तो हमारी तो इतनी बड़ी असेम्बली है, इतना बड़ा प्रदेश है, उसके लिये केवल दो ही दिन रखे जायं, यह थोड़ा मजाक सा मालूम पड़ता है । हम चाहते हैं कि हम भी खुल कर अपने उद्गार प्रकट करें और सरकारी पक्ष के लोग भी उसका उत्तर सोचें, समझें और मनन करें । इसके अलावा माननीय सम्पूर्णानन्द जी से यह जानकर खुशी हुई कि वे आलोचना का स्वागत करते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें अवसर प्रदान करते हैं कि वे सरकार की खामियों, कमजोरियों और दोषों को हटायें, वे भी अब समझ गये होंगे और उनको अगर वह बात सही है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा और माननीय त्रिलोकी सिंह जी को भी इसमें कोई एतराज न होगा कि इसके लिये ४ दिन का समय नियत कर दिया जाय ।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो कुछ कहा उसमें मेरी बात जरूर सही है, लेकिन माननीय राजनारायण जी की हर बात गलत होती है । यह सही है कि कई बार अविश्वास के प्रस्ताव आये और आते रहेंगे, मैं समझता हूं कि चार दिन का समय बहुत ज्यादा है और काम हमारे पास बहुत है । दो दिन का समय भी ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो काफी अवश्य है । बाकी रही तारीख की बात, जो तारीख श्रीमन् उचित समझें वह मुझे मंजूर है ।

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से आया है इसलिय विरोधी दलों की समय की मांग पर उनको फिर से विचार करना चाहिये और कम से कम तीन दिन देने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा अन्यथा नियंत्रण करने में दिक्कत होगी और सदस्यों को भी असुविधा होगी ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यद्यपि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर बहस अभी समाप्त हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बोल नहीं पाये हैं, अपनी बातों को कह नहीं पाये हैं । इसके अलावा यह भी आपको विदित है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी काफी मतभेद है और उस पार्टी में अपनी सरकार पर अविश्वास है, वह भी बोलना चाहते हैं । इसलिये मेरा भी यह अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री इसको ३ दिन तो अवश्य कर दें ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मुझे भी आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करना है कि ठीक है ४ दिन न सही, लेकिन कम से कम ३ दिन का मौका दे दिया जाय । क्योंकि हो सकता है कि आयन्दा जितनी उम्मीद उनको है कि अविश्वास के प्रस्ताव आते रहें, शायद न आवें । ऐसी सूरत पैदा हो सकती है । अगर एक दिन का मौका और दे दिया जाय तो उसमें कोई खास आपत्ति तो उनको नहीं होनी चाहिये ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, नेता लोग तो बोल चुके अब मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय । सरकार अविश्वास के प्रस्ताव से घबड़ा रही है । एक सेठ था जिसके ऊपर से सांप निकल गया तो वह रोने लगा कि अब तो यह गैल पड़ गया । तो यह सरकार आज नहीं बदलेगी तो कल तो उसे बदलना ही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--नियम यह है कि यदि उपनियम (२) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाय, तो अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे । नियम के हिसाब से यह जरूरी प्रतीत होता है कि सदन के कार्य जो कुछ आगे आने वाले हैं इन सब के महत्व को देखते हुये जितने रोज दिये जाने चाहिये उतने ही रोज दिये जा सकते हैं। नियम में एक दिन पहले बताया, बाद में लिखा है कि एक से अधिक या दिन का भाग, इससे स्पष्ट है कि इसके ऊपर बहुत लम्बी चर्चा करने का इरादा जो नियम बनाने वाले थे उनका कम से कम नहीं था । नियम बनाने में सभी दलों के लोग थे और नेता विरोधी दल ने भी आज २ रोज चाहे हैं जब कि मैंने तो एक रोज ही कहा था । अगर अविश्वास के प्रस्ताव का खास महत्व हम लोग समझें तो थोड़े ही लोग आलोचना करें, इस तरह से नहीं जैसा कि श्री झारखंडेराय जी ने कहा कि राज्यपाल के सम्बोधन पर बहुत से लोग बोल नहीं सके हैं और वे बोलेंगे । उनको बोलने का मौका तो मिलता है और वह मौका तो हर रोज मिलता है, किसी न किसी विषय पर वे बोल सकते हैं, लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव पर मैं समझता हूं कि उसके महत्व को देख कर स्पीचेज थोड़ी हों, लेकिन वह बहुत विषयों को लेकर और मैं समझता हूं कि काफी जिम्मेदारी के साथ इन बातों को कहने की आवश्यकता होती है । तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि जो स्पीच होनी चाहिये वह महत्वपूर्ण होनी चाहिये । इसके लिये ३ रोज की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि २ रोज का समय इसके लिये काफी है । ६, ७ तारीख मैं इसके लिये निश्चित करता हूं जब कि अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर विवाद होगा और विचार होगा ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प

श्री अध्यक्ष--अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी । श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री प्रतापसिंह में से कोई अपने प्रस्ताव को उपस्थित कर सकते हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव रखना चाहता हूं --

"यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है ।"

(व्यवधान)

माननीय सदस्य खामोशी के साथ बाहर जायं तो बहुत अच्छा है क्योंकि सदन की कार्यवाही जारी है । माननीय सदस्य जारी रखें ।

श्री प्रतापसिंह--मान्यवर, आज जो मैं इस प्रस्ताव को आदरणीय सदन के सम्मुख रखता हूं उसके लिये मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मजबूत कारण है । मान्यवर, संविधान के अनुसार अध्यादेश राज्यपाल को ही लाने का हक है । आपकी आज्ञा से मैं संविधान के उस हिस्से को पढ़ देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--जरा शान्ति कायम रखें, माननीय सदस्य अपने स्थानों से जायं तो धीरे-धीरे जायं, बातें करते न जायं ।

श्री प्रतापसिंह--संविधान के अनुच्छेद २१३ में इस प्रकार लिखा है कि "उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधानसभा, तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हों यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थियों से अपेक्षित प्रतीत हों ।"

इसमें लिखा है "तुरन्त कार्यवाही करने के लिये वाधित" तो अब जो यह आर्डिनेन्स हमारे सामने है उसमें कोई कारण ऐसा नहीं है जिसके कारण सरकार को फौरन कार्यवाही करना जरूरी थी। सबसे पहले धारा ७ को देखा जाय उसमें लिखा है कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत के बिना किसी विश्वविद्यालय की कोई अचल सम्पत्ति नहीं बेची जा सकेगी। मैं मंत्री जी से आप के द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय है कि जिसने अपनी अचल सम्पत्ति को बेचा है ? यदि नहीं है तो फिर इस रोक को लगाने की क्या आवश्यकता थी ? हमें तो एक भी विश्वविद्यालय के विषय में नहीं मालूम कि फलां विश्वविद्यालय ने अपनी अचल सम्पत्ति बेच डाली है या गिरती रख दी है। हमारी समझ में नही आता कि इस प्रकार की रोक लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी। यह भी इसी आर्डिनेन्स में लिखा है कि कठिनाइयों का निवारण आदेश भी है। उन्होंने उसमें कहा है कि हम विश्वविद्यालयों के संशोधित ऐक्ट लागू कर रहे थे लेकिन इसबीच में एक रिट दाखिल हो गया जिससे हम उसकी कार्यवाही को संचालित न कर सके। जैसा कि कहा गया है कि हमारी न्याय शाखा जो है वह संविधान के अनुसार जो हमारे मूल अधिकार हैं उन की रक्षक है। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी या माननीय न्याय मंत्री जी जो उधर बैठे हैं इस बात में लगे हैं कि इस रिट के अधिकार को कैसे रोका जाय क्योंकि वह तो आज भी हो सकते हैं, हम कभी भी न्याय शाखा में जा सकते हैं और जूडिशियरी से न्याय ले सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि अनुच्छेद २१३ को इस्तेमाल किया गया।

श्री राजनारायण (वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। श्रीमन्, गवर्नर की जो पावर है वह अनुच्छेद २१३ में है, उसको देखा जाय। इस अनुच्छेद के अधीन, प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश "(क) राज्य की विधान सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान परिषद् है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधान मंडल के पुनः समवेत् होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उस के निरनुमोदन का संकल्प विधान सभा से पारित, और यदि विधान परिषद् है तो उससे स्वीकृत, हो जाता है तो यथा स्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा, तथा (ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा। श्रीमन्, इसकी व्याख्या की गई है आगे कि राज्यपाल महोदय किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसमें यह बताया गया है कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप अध्यादेश को क्वैश्चन कर रहे हैं। उसके लिये यह जगह नहीं है। इसके लिये तो कोर्ट है। इस पर फैसला हम नहीं दे सकते हैं।

श्री राजनारायण---अगर वह अध्यादेश विधान के मुताबिक ही नहीं है तो.....

श्री अध्यक्ष---मैं या यह सदन तो इस विषय में कोई फैसला दे नहीं सकता। अगर वैधानिक प्रश्न है तो हाईकोर्ट जाना चाहिये। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है या नहीं, यह सब तो वहीं तय होगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम यह कह रहे थे कि जब इस सदन के बुलाने की नोटिस जारी हो गई .....

श्री अध्यक्ष---यह सवाल नहीं है। अगर वह इनवैलिड है तो कोर्ट में ही तय होगा, यहां नहीं हो सकता। आप तो उसको डिस्एप्रूव कर सकते हैं, वह रास्ता आपके लिये खुला है।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन का ध्यान इस ओर दिला रहा था कि अध्यादेश के एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स में यह लिखा हुआ है कि लखनऊ यूनीवर्सिटी के एक डीन ने और कुछ सदस्यों ने रिट किया है उससे हमारे काम में बाधा है और इसलिये आध्यादेश लाना पड़ा। तो अध्यादेश हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका अपहरण नहीं कर सकता।

श्रीमन्, आप अध्यादेश का सेक्शन ४ देखें तो उसमें लिखा है "लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७"। मैंने बहुत खोजा, तमाम लोकल ऐक्ट्स भी देखे, गजट भी देखे लेकिन कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी अधिनियम, में १९५७ में कोई अमेन्डमेंन्ट नहीं मिला। यह सेक्शन ४ कन्फ्यूजिंग है, मैं चाहूंगा श्रीमन् कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका जवाब दें। उसके बाद, अगर इस बात का भी डर हो कि रिट हो जाय और हमारे काम में बाधा पड़े तो यह जिम्मेदारी तो व्यवस्थापिका की है, आदरणीय सदन की है कि वह ऐसे कानून बनाये जिससे कि कोई रिट सक्सेसफुल न हो सके और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट की है और उसके कानूनी सलाहकारों की है। १९५८ में कई यूनीवर्सिटीज के ऐक्ट्स में संशोधन किये गये। उसमें कानूनी सलाहकारों ने सही सलाह दी या नहीं, यह तो सरकार ही जवाब देगी। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर हम लोग किस तरह से कानून बनाते हैं। अगर कोई भी व्यवस्थापिका कानून बनावे और उसमें रिट सक्सेजफुल हो जाती है तो इससे प्रकट होता है कि हमारा लेजिस्लेशन कन्फ्यूजिंग है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से ऐम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स में से थोड़ा सा हिस्सा पढ़े देता हूं :—

> "इसका परिणाम यह हुआ है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारी निष्क्रिय हो गये हैं और नये प्राधिकारियों को पुनः संघटित नहीं किया गया है। इस प्रकार एक रिक्तता उत्पन्न हो गई है और विश्वविद्यालय का सामान्य कार्य रुक-सा गया है। यह आशंका थी कि इसी प्रकार की स्थिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) में भी उत्पन्न हो सकती है।"

मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के किसी डीन महोदय ने रिट किया और यह कहा जाता है कि यह डर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ऐसा हो सकता है। क्या मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि किस तरीके से---क्या सी० आई० डी० के जरिये से या किसी और तरीके से---उन्हें इस बात का पता लगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यह स्थिति आने वाली है? इलाहाबाद में भी किसी के अधिकारों पर कुठाराघात होने वाला है और वह रिट करने वाला है। इससे साफ जाहिर है कि आज सरकार यूनीवर्सिटी की आटोनामी पर हावी होना चाहती है। ऐसी कोई दलील इस बात की नहीं दी जाती है कि अमुक विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ तो दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ऐसा हो होगा। विश्वविद्यालयों में बुद्धिजीवी रहते हैं और ऊंचे तबके के लोग रहते हैं।

उसके बाद मान्यवर, बनारस विश्वविद्यालय का हवाला है जिसको आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति (Banaras Hindu University Enquiry Committee) की सिफारिशों पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के निम्नलिखित कालेजों को असंबद्ध करने (disaffiliate) के प्रश्न पर विचार कर रहा है---(१) डी० ए० वी० कालेज, (२) उदय प्रताप कालेज, (३) हरिश्चन्द्र कालेज, (४) बसन्त कालेज। इन कालेजों के प्रबन्धकों को कालेजों के भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता हुई इसलिये सरकार ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को वाराणसी के जिले में बढ़ाने का निर्णय किया है, जिससे, यदि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय उन्हें असंबद्ध करे, तो उन कालेजों को गोरखपुर विश्वविद्यालय

से सम्बद्ध करने में कोई कठिनाई न रहे। इस प्रयोजन के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम १९५६ में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक था।" मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि क्या उदय प्रताप कालेज का या गोरखपुर विश्वविद्यालय का कोई प्रस्ताव आया ? कौन से ऐसे रास्ते थे जिससे सरकार को मालूम हुआ कि ये कालेजेज बनारस विश्वविद्यालय अपने यहां नहीं लेने वाली है इसलिये यह जरूरी है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाय जिससे दूसरी यूनीवर्सिटीज में इन कालेजेज को लिया जा सके ? तो मैं समझता हूं यह भी एक ऐसा कारण है जिसके लिये आर्डिनेंस की आवश्यकता नहीं है बल्कि और भी तरीके हैं जिनके द्वारा उन कालेजों का प्रबन्ध खुद सरकार उन विश्वविद्यालयों को सलाह दे कर के कर सकती थी। यह भी कहा गया कि दिन प्रति दिन के काम में जो निकायें हैं अगर उनका चुनाव नहीं हुआ तो कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता। आज भी ऐसी यूनीवर्सिटीज हैं जहां ऐकेडेमिक काउन्सिल नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है और सेलेक्शन कमेटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम चल रहा है। वाइस-चांसलर वहां पर है रजिस्ट्रार है और यह मिल कर उस काम को चला रहे हैं। तो यह कहना कि निकायों का चुनाव नहीं कर सके इसलिये अध्यादेश लाना पड़ा है यह मैं समझता हूं व्यवस्थापिका के प्रति आदर नहीं होगा। अगर इन सब चीजों को लाना था तो व्यवस्थापिका को कांफीडेंस में लाने की बात थी पहले।

अब मान्यवर अध्यादेश कौन जारी करते हैं ? वे ही जिनको हम राज्यपाल कहते हैं। और किसके लिये करते हैं ? अपने लिये, उन चीजों के लिये जिनको खुद संचालित चांसलर की हैसियत से करते हैं। वे खुद जब चांसलर की हैसियत से काम करते हैं तो मैं समझता हूं सारी यूनीवर्सिटीज की खर्च करने और कर्ज लेने की बात पर नियन्त्रण कर सकते हैं। तो ताज्जुब है कि आज के अध्यादेश के द्वारा एक ही व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के द्वारा दूसरे अधिकार क्षेत्र में नियन्त्रण करने के लिये जारी कर रहा है।

जो कर्जे की बात कही गई उसको जरा पढ़ना चाहता हूं :

"यह भी पता चला है कि कुछ विश्वविद्यालय उन ऋणों की सहायता से जो वे बैंकों से प्राप्त करते हैं अपने साधनों से अधिक धन व्यय करते ह। इस प्रकार उनका घाटा बढता जाता है। विश्वविद्यालयों की इस प्रवृति को तुरन्त रोकना आवश्यक था"। मान्यवर यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम नियोजन काल से चल रहे हैं और हमारा देश पिछड़ा हुआ है। यहां पर जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, शिक्षा की संस्थाएं हैं जैसे-जैसे हम लोग आगे तरक्की कर रहे हैं हम यह भी जानते हैं, आज हमारे देश के बाहर जो व्यक्ति हैं वे चांद पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही सोच सकता हूं कि जो लड़के आर्ट्स में पढ़ते हैं उनको नियंत्रण करके विज्ञानशालाओं में भेजा जाय कोई यूनीवर्सिटी इस बात को सोचती है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा हो। बैक्वर्ड कंट्री के लिये जरूरी है कि सामाजिक व शिक्षा संस्थाओं में खर्चा हमेशा आमदनी से ज्यादा होता है उसको कर्जा लेना पड़ता है।

कुछ यूनीवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनके कोषाध्यक्ष आज से २ साल पहले इसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ऐसी यूनीवर्सिटी भी है जिसके कोषाध्यक्ष हमारे एडवोकेट जनरल हैं। दोनों सरकार के आदमी हैं। तो क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि प्रदेश में एक ऐसी यूनीवर्सिटी है जिसके ऊपर ४० लाख के ऊपर कर्जा है तो किसने यह कर्जा लिया – माननीय सदस्य ने लिया या सरकार के उस व्यक्ति ने लिया–जो दो ढाई साल पहले यहां बैठ कर कानून बनाता था। तो आर्डिनेन्स लाने की क्या जरूरत थी और बार-बार माननीय सदन में कहा गया कि इस प्रकार के अवैतनिक कोषाध्यक्ष हैं उनके पद को समाप्त किया जाय, तमाम एजिटेशन हुआ लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी और नतीजा यह हुआ कि वह कर्जा बराबर बढ़ता चला गया।

[श्री प्रताप सिंह]

क्या मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि २२ तारीख को यह अध्यादेश जारी किया गया और २७ तारीख को असेम्बली बुलाई गयी इसी समय के अन्दर यह ४० लाख के ऊपर का कर्जा है या कर्जा पहले से भी था, अगर पहले से था तो आर्डिनेन्स लाने की क्या जरूरत थी ? संविधान का अनुच्छेद २१३ इस बात को साफ कहता है कि आर्डिनेंस तभी लाना चाहिये जब कोई इमीडियेट ऐक्शन लेना हो। मान्यवर, पुराना कर्जा है, उसको चेक नहीं किया गया, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है क्योंकि सरकार के ही आदमी आज यूनिवर्सिटीज में कोषाध्यक्ष हैं, जिनके पद के बारे में मैं पहले ही बतला चुका हूं। शिक्षा मंत्री को मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट कमीशन के चेयरमैन श्री देशमुख ने लिख कर दिया है कि अवैतनिक कोषाध्यक्ष के पद को समाप्त किया जाय और विश्वविद्यालय के हिसाब-किताब और बहीखाते को सही रखा जाये। इससे शिक्षा मंत्री के हाथ और मजबूत हो जाते हैं।

दूसरी चीज जो मुझे कहनी है वह यह है कि मैं ही नहीं, आज हर दिमाग रखने वाला आदमी इस देश के अन्दर और देश के बाहर—यहां तक कि हमारे देश के बहुत ऊंचे दार्शनिक श्री श्री राधाकृष्णन् ने कहा है जब कभी वे शिक्षा संस्थाओं के या विश्वविद्यालयों के बारे में बोले हैं, चाहे उन्होंने कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से कहा हो या दार्शनिक की हैसियत से कहा हो —उन्होंने विश्वविद्यालय की आटोनामी पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जब तक कि ला ऐण्ड आर्डर का या अनुशासनहीनता का सवाल न हो, लेकिन यहां पर आर्डिनेंस इसलिये लाया जाता है कि साहब कर्जे पर रोक लगाना है और चल व अचल सम्पत्ति न बिक सके इसलिये यह आर्डिनेंस लाया गया है।

एक ओर हमसे कहा जाता है, चाहे माननीय मुख्य मंत्री बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री बोलें, कि आज हिन्दुस्तान के चारों तरफ तानाशाही के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन यह आर्डिनेंस क्या है ? क्या यहां रूल आफ आर्डिनेंस है या रूल आफ डेमोक्रेसी ? प्रीच किया जाता है प्रजातांत्रिक पद्धति को लेकिन रूल किया जाता है आर्डिनेंस के द्वारा जो कि एक तरह की तानाशाही ही है।

जिस समय विधान बना था तो उसमें अध्यक्ष महोदय, आपने भी राय दी होगी और दूसरे लोगों ने भी राय दी होगी। उस समय यह कहा गया कि प्रेसीडेंट को एमर्जेंट पावर्स इतनी दी गयी हैं कि वह कभी तानाशाह हो सकता है इस सम्बन्ध में मुझे स्वर्गीय अम्बेदकर जी के शब्द याद आ जाते हैं जिनमें उन्होंने कहा था "संविधान अच्छा हो या बुरा हो लेकिन यह उस पर निर्भर करता है जो उसको कार्य रूप में परिणत करता है।" तो हमारे अनुच्छद २१३ की मंशा क्या है ? मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहूंगा खास कर कैबिनेट से और कांग्रेस गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस आर्डिनेंस के लाने की कोई जरूरत नहीं थीं। मान्यवर इसी में देखिये राज्यपाल महोदय ने असेम्बली को एक मास बाद बुलाया तो इस बीच यें यूनिवर्सिटी आर्डिनेन्स, कोर्ट फीस आर्डिनेन्स, उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी आर्डिनेन्स और बेदखली आर्डिनेन्स आ गये । यानी जब कि २२ जून को यह पता था कि कि असेम्बली एक माह के अन्दर बैठने वाली है तो इस दरमियान में ५ आर्डिनेन्सेज को लाना मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं संविधान के प्रति भी आदर नहीं है और व्यवस्थापिका के प्रति भी आदर नहीं है और इस पर हमको सोचना होगा कि आया प्रजातांत्रिक प्रणाली को आर्डिनेन्स के जरिये चलाना है। श्रीमन् आप देखें कि सन् १९४२ के जमाने में भी अंग्रेजों ने वहां पर पुलिस नहीं रखी जबकि आपने महीनों बनारस विश्वविद्यालय में पुलिस तैनात रखी । इतने आर्डिनेन्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं निकाले थे जितने कि अब हमारी इस सरकार ने निकाले हैं । जब कभी भी ऐडमिशन होते हैं तो रुपया आता है। इधर कहा जाता है कि खर्चा कम करो और उधर सरकार ने बी० ए० फर्स्ट इयर में २०० विद्यार्थियों को ज्यादा भरती करने के लिये इजाजत यहां से दी है। अध्यक्ष महोदय

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सरकार, संस्था या व्यक्ति बिना कर्जे के चल सकता है ? इसी सरकार ने स्वयं अभी ८ लाख का लोन फ्लोट किया । अधिक न कह कर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स की पद्धति खराब है इसको समाप्त किया जाय और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में यह चीज नहीं की जायगी । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस आर्डिनेन्स का अननुमोदन करेगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन् इस आर्डिनेन्स के सिलसिले में जो कागज, पत्र सरकार के पास हों और जो मैटर हो जिसकी वजह से इसे लाना पड़ा वह हमारे सामने रहते तब तो हम कुछ बोल पायेंगे ताकि हमें मालूम हो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कितना कर्जा लिया और अगले ६ महीने में कौन बिल्डिंग बेचने वाली है ।

श्री अध्यक्ष---नियम में यह दिया हुआ है कि जब आर्डिनेन्स आवे तो एक स्टेटमेन्ट कि किन कारणों से यह आर्डिनेन्स लाया जा रहा है उसके साथ होना चाहिये और कोई भी मेम्बर ३ रोज का नोटिस देकर यह प्रस्ताव कर सकता है कि आर्डिनेन्स को डिसएप्रूव सदन करता है । तो इसके पीछे मेमोरेन्डम लगा हुआ है उसे आप देखिये ।

श्री गौरीशंकर राय---उसी मेमोरेन्डम में ही बताया है कि कुछ और कागजात हैं जिनकी बिना पर यह आर्डिनेन्स आया है ।

श्री अध्यक्ष---यदि माननीय शिक्षा मंत्री के पास कोई कागजात हों तो वे दिखा दें ।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---किन्हीं खास कागजात को अगर माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं अगर दिखाने लायक हुये तो। ऐसे जिन कारणों से इसको ले आना पड़ा उसके बारे में अगर कोई इत्तला चाहते हों तो वह पूछेगें तो हम बता देंगे ।

श्री गौरीशंकर राय---मंत्री जी यहां रहें तो . . .

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इसमें रहने की कोई बात नहीं है । नियम के अनुसार कागजात यहां पर आने चाहिये, ऐसी कोई बात नहीं है । वह तो जब विधेयक आयगा उस समय के लिये ऐसा नियम है लेकिन इस समय तो यह काफी है कि कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाय, वह उन्होंने दे दिया है ।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन् हर यूनिवर्सिटी के लिये यह हो रहा है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी . . .

श्री अध्यक्ष---आप नोट करके पूछें या भाषण में जिक्र कर दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, श्री प्रतापसिंह जी का जो अननुमोदन का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं । आप देखें कि जो अध्यादेश जारी है उसके जारी करने के लिये जो संविधान में अनुच्छेद २१३ है उसमें स्पष्ट है कि ऐसा अध्यादेश जारी किया जा सकता है किन्तु श्रीमन्, आप देखें कि हमारे संविधान के पास होने के पहले जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से लागू था उस समय गवर्नर तथा अन्य अधिकारियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और उनको हम हमेशा इस रूप में देखा करते थे कि यह प्रजातंत्र के विरुद्ध एक अस्त्र है और इस चीज को हम लोगों ने कभी ग्रहण नहीं किया । इसलिये यदि किन्हीं कारणों को लेकर विशेष अधिकार कुछ अधिकारियों को दिये जायं तो उसके लिये हमारे संविधान में माननीय राज्यपाल को अधिकार दिये हैं । किन्तु इसके साथ ही साथ यह प्राविजन है कि यह विशेषाधिकार हमेशा ही जल्दबाजी में या अनावश्यक कारणों से जारी न किये जायं ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

श्रीमन्, हम आपके सामने रखेंगे कि हमारी विधान सभा हमारे बीच में संगठित है और यथासमय उसका अधिवेशन भी होता रहता है फिर भी क्या कारण है कि ऐसा अध्यादेश आ जाय और वह भी एक नहीं दो नहीं, चार-चार उपस्थित किये जायं। आप देखें कि विधान सभा का २ अप्रैल को सेशन यकायक खत्म कर दिया गया और आपने घोषणा की भी थी कि आगे चलेगा लेकिन बीच में ही १८ दिन पहले सेशन खत्म कर दिया गया और हम उम्मीद करते थे जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का संकेत था कि अगला सेशन शुरू जुलाई में किया जायगा, लेकिन वह भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में किया गया इससे प्रगट होता है कि बीच में एक लम्बा काल इसलिये ले लिया गया कि अपनी मनमानी घर जानी करें और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह अध्यादेश हमारे सामने आये। मेरा विचार है कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती यदि डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है उसके अनुसार असेम्बली का सेशन उस काल तक चलता जब तक कि उसकी आवश्यकता थी और जो कार्य पूरे होने थे वह पूरे होते। लेकिन यह नहीं हुआ।

श्रीमन्, हम प्रार्थना करेंगे कि यह अध्यादेश यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में है और यूनिवर्सिटी विधेयक में स्टेट्यूटस के सम्बन्ध में अवधि निश्चित थी कि इतने समय में बन जाने चाहिये। और इसके लिये कोशिश की गई और शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ज्यादा समय लेना आवश्यक समझा और जो आपत्ति उठाई गई और रिट दाखिल हुये तो उसका यह परिणाम निकला कि सरकार ने सोचा कि एक वैकुअम की स्थिति पैदा हो रही है इसलिये आर्डिनेंस की जरूरत है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि अधिनियम हमेशा जल्दी में बनते हैं और स्टेट्यूट्स के लिये जो अधिकार दिये जाते हैं वह खटाई में पड़ जाते हैं। तीसरे रिट्स पेश करने की सम्भावना पैदा करने के बाद आज हमारे सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि रिट उपस्थित करने में बाधायें उपस्थित कर दी गई हैं आप देखेंगे कि ठीक आज की ही तारीख में रिट को उपस्थित करने को अवैध करने का अध्यादेश हमारे सामने है। उसमें भी इस का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रिट न हो सके। एक तरफ कानून कमजोर बनाये जायें, स्टेट्यूट्स बनाने की लम्बी रस्सी दे दी जाय और रिट्स के पेश करने में भी रोक कर दी जाय। यह चारों तरफ से पेशबन्दी हो रही है कि हम अपनी फ्री अपोनियम न दे सकें।

विशेष तौर से इस आर्डिनेंस के अन्तर्गत यह कहा जाता है जैसा कि:

"On the recommendation of the Banaras Hindu University Enquiry Committee Banaras Hindu University has been considering the question of disaffiliating the following Degree Colleges at Varanasi."

मालूम होता है कि इस यूनिवर्सिटी में कशमकश देखकर यह एक नया कदम उठाया जा रहा है। यदि यह सही भी है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीच प्रतिद्वन्दिता खड़ी करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि उस विश्वविद्यालय के कालेज जो कि उस नगर में हों उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में ऐफीलिएट करने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसा प्रयास हैं जो हार्ट बर्निंग पैदा करेगा। पहले जो यूनिवर्सिटीज पैरेलल एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स को ले कर कायम की गयीं। उसमें फिर झगड़ा पैदा करना और फिर बंदर-बाट रूप में न्याय करना, एक नया तरीका है, एक नयी मेंटेलिटी है आपके प्रबन्ध करने की। इसमें हमारे राज्यपाल जी को घसीटा जा रहा है। राज्यपाल जी की मोहर लेकर अध्यादेश जारी किया जा रहा है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि यह सरकार जो यह कारनामे कर रही है वह विधेयक ला कर हमारे सामने क्यों नहीं करती? एक अध्यादेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब के सम्बन्ध में एक डंडा उठाना कहां तक उचित है? मैं कहूंगा कि इसमें सारा दोष इस सरकार का है। अपने नियमों में साफ हृदय से कोई बात रख नहीं सकती और अपनी गलतियों पर परदा डालने के लिये राज्यपाल की आड़ लेती है और ऐसा अध्यादेश प्रस्तुत करती है जिसमें सभी बातें गोलमोल हैं जिससे प्रग्प्ट होता है कि वह अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में असफल है।

एक बात यह कही गई है कि कुछ कालेजेज पर कर्जा बढ़ रहा है। उसकी रोकथाम के लिये भी इस बात को सोच रहे हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कर्जा बढ़ाने की प्रवृत्ति को किसने उत्साहित किया है ?

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

यह हमारी सरकार का कार्य है। मुझे भी एक यूनिवर्सिटी कोर्ट का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी का दस सालका पुराना कर्जा सरकार ने एक कलम से अदा कर दिया और उन्होंने यह कहा कि अब कोशिश करेंगे कि कर्जा न बढ़े। लेकिन ठीक उसी सीनेट में प्रस्ताव आता है कि हमें कर्जा दिया जाय। इससे पता लगता है कि सरकार कर्जे की प्रवृत्ति खुद बढ़ाती है, उनको एनकरेज करती है। यह यूनिवर्सिटियां तो पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित हैं। उसमें सिवा खर्चीलापन लाने के और कुछ नहीं है। मैं एक मिसाल वाइस चांसलर की सैलरी की देता हूं। वाइस चांसलर की सैलरी इस सरकार के मुख्य मंत्री या जो बड़े से बड़े अधिकारी सेक्रेटेरियट के हैं उनसे कहीं ज्यादा है। इस प्रकार की बड़े ल्यूकरेटिव सैलरीज क्रिएट करके आप ऐसी बातें पैदा कर रहे हैं कि लोगों में खर्चीलेपन की प्रवृत्ति बढ़े। आज यूनिवर्सिटी में हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं और उनके कर्ज को रोकने के लिये हम कहते तो हैं लेकिन चाहते नहीं हैं और होता यह है कि यह जो अध्यादेश पेश किया गया यह यों कहा जाय कि यह सरकार ने अपनी गलतियों का कबूलियतनामा पेश किया है। उसकी गलतियों को जब वह विधेयक लायेगी तब तो हम पेश करेंगे ही। लेकिन उन्होंने जितने भी संशोधन पेश किये चाहे वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये हो, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, इन सब में वह असफल साबित हुये। वह हेस्टी लेजिस्लेशन बना। स्टेट्यूट्स बनाने में आपने लम्बी ढील दे दी, वह बन नहीं पाया और नतीजा यह हुआ कि लोगों को रिट का सहारा लेना पड़ा। उसमें एक वैकुअम क्रियेट हो गया जिसकी वजह से यह अध्यादेश लाना पड़ा। सरकार ने स्वयं अपने लिये एक जाल बना लिया जिसमें वह घिर गई जिस तरह कि मकड़ी स्वयं के बनाये हुये जाले में घिर जाती है। आज अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारे सामने विधेयक लाये। जब-जब आवश्यकता हो ऐसी तब-तब अधिवेशन बुलाया जाय बजाय इसके कि राज्यपाल का सहारा लिया जाय। विधेयकों में हम लोगों का विश्वास प्राप्त करके तब वह उसके अनुसार काम करें। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भाई प्रतापसिंह जी का अननुमोदन का प्रस्ताव है उसका सदन समर्थन करे। ऐसे अध्यादेशों की स्वीकृति हम कभी भी नहीं दे सकेंगे जो कि हमारे ऊपर इस तरह से लादे जायेंगे, जिनके बारे में हमारी कोई राय न ली गई हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर। यह हमारी प्रक्रिया नियमावली का नियम १२३ है, इसकी उपधारा (२) के मुताबिक कोई भी आर्डिनेन्स अगर हो तो उसको डिसएप्रूव करने का कोई सदस्य नोटिस दे सकता है रिजोल्यूशन की शकल में। उसमें केवल आपसे जानना इतना था कि क्या उसका अर्थ ऐसा नहीं निकलता कि वह मूव हो और एक दो स्पीचेज हों और फिर वह खत्म हो जाय क्योंकि उसके बाद वह बिल तो आना ही है। अगर सारे दिन इसकी मेरिट पर बहस होती चली जाय और फिर इसके बाद वही बातें बिल में भी आयें तो अनावश्यक समय सदन का जाता है। ऐसा लगता है कि उसका अर्थ यह है कि अगर डिसएप्रूव करने का कोई प्रस्ताव कोई सदस्य उठा दे तीन दिन की नोटिस देने के बाद तो फिर उस पर एक दो स्पीच हो जाय, सरकार की ओर से स्टेटमेन्ट हो जाय और फिर देख लें कि वह स्वीकृत हुआ या नहीं और अगर स्वीकृत हुआ तो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स को ट्रांसमिट हो जाय। हालांकि ऐसी कोई रुकावट नहीं है सारे दिन बहस होने में, लेकिन मंशा कुछ ऐसा ही उसका मालूम पड़ता है और शायद मैं समझता हूं कि पहले एकाध बार ऐसा हुआ भी है।

श्री राजनारायण---माननीय कमलापति जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया है जरा उसकी बारीकियों को देखा जाय कि वह व्यवस्था का प्रश्न क्यों नहीं है। श्रीमन्, अध्यादेश जारी होता है और ६ महीने तक अध्यादेश चल सकता है। यदि माननीय कमलापति जी की बात मान ली जाय और सदन बैठे और सदन लम्बा चले तो अध्यादेश के लिए विलम्ब भी किया जा सकता हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है और न तो सरकार को कोई हम बाध्य ही कर सकते हैं कि वह तत्काल ही सदन बैठे और तत्काल ही उसके लिए विधेयक लाये, परिस्थितिवश अगर ऐसी बात हो जाय तो यह दूसरी बात है। यों भी देखा जाय कि अगर वह अध्यादेश है और एक दिन के लिए भी उसका रहना अनुचित है, तो उसको नहीं रहना चाहिए। यह एक ही की बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसका सम्बन्ध सभी यूनीवर्सिटीज से है। इसी तरह से आप देखेंगे कि रिट पेटीशन का सम्बन्ध है हमको कुल रिट पेटीशन में जाना है और यह अध्यादेश रहता है तो हमको ५० रुपया देना पड़ेगा, हम गरीब आदमी हैं, ५० रुपया कहां से लायेंगे .....

श्री उपाध्यक्ष---आप तफसील में न जायं। सूत्र में ही बोलें।

श्री राजनारायण---मैं इसके औचित्य पर कह रहा हूं। माननीय कमलापति जी स्वतः बुद्धिमान हैं। अगर वह स्वतः इसके ऊपर गम्भीरता से सोचें, केवल सरकार के हित में न सोचें तो हमारी बात का समर्थन वह जरूर करेंगे, इतना हमको विश्वास है। क्योंकि इस में अगर उनकी बात मान ली जायगी तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने वैधानिक आपत्ति की वह एक क्षण भर भी रहती नहीं है। यदि वह अनियमित है तो उसका अवश्य विरोध किया जायगा और उसका विरोध करना चाहिये। यदि हम जनता के हित का प्रतिपादन नहीं करते हैं तो हम अपने कर्त्तव्य से गिरते हैं। इस पर पूरा विवाद होना चाहिये।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---जहां तक प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न है माननीय मन्त्री महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि विवाद हो, लेकिन वह कुछ जल्दी चाहते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस तरह का डिसएप्रूवल पहले भी मूव कर चुके हैं और मैं अनुभव के आधार पर श्रीमन् को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्न यहां पर उठाये जाते हैं और मन्त्री जी स्वयं विशेषज्ञ हैं परन्तु उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि जिस आर्डिनेन्स के बारे में हम बात करें यदि उसके डिटेल या मेरिट्स में जावें तब तो आपत्ति की बात है, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि आर्डिनेंस के लिये कोई जरूरत नहीं थी और न इसके लिये कोई गुंजायश थी। माननीय राजनारायण जी इसके लिये चाहे एक दिन लें या दो दिन यह उनके लिये अपनी बात है लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि इसकी कोई इमर्जेन्सी नहीं थी। इस पर अगर विवाद हो जाय तो मैं समझता हूं कि मन्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)---मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि न तो इसमें कोई सवाल प्वाइंट आफ आर्डर का है और न कोई क्वैश्चन रुलिंग की अवहेलना का है। सिर्फ सवाल इतना है कि यह आपकी डिस्क्रीशन पर है कि हाउस की बिजनेस को किस तरह से रेगुलेट करें। यह जनरन पावर चेयर की है।

जहां तक आर्डिनेंस को एप्रूव या डिसएप्रूव करने का सवाल है उसके लिये अनुच्छेद २१३ के मुताबिक ३ दिन का नोटिस देकर मोशन आ सकता है। मगर सिर्फ यह देखना है कि यहां इसके ऊपर जिस तरह से बहस लम्बी चौड़ी अभी हुई और उसके फाइनेन्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स, ट्रांसफर और एडवोकेट जनरल का जिक्र सब किया गया तो इसका कोई ताल्लुक इस डिसएप्रूवल से नहीं है। यह बात तो जाहिर है कि जिस वक्त तक यह आर्डिनेन्स पास नहीं होगा तो जैसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि ६ हफ्ते की उसके लिये बात है वह खामख्वाह खत्म हो जायगा। इस वजह से गवर्नर जिस आर्डिनेन्स को प्रोमलगेट करेंगे उसके बाद वह हाउस के सामने अप्रूवल के लिये आना लाजिमी है। इस पर अब लम्बी बहस का सवाल नहीं है बल्कि मुख्तसरसी बहस एप्रूवल और डिसएप्रूवल के लिये हो सकती है। इस वक्त आपके जरिये इस पर हाउस की बिजनेस को रेगुलेट करने का सवाल है कि उस पर कितने आदमी बोलेंगे, कितना डिस्कशन होगा। इन बातों पर गौर करके आप इसको रेगुलेट कर दें। उसके सिलसिले में एक यह सजेशन है कि यह एक इतना सिम्पुल मैटर है कि इस पर एक स्पीच उधर से हो जाय और एक आध इधर से हो जाय। हाउस के सामने जो बिजनेस है उसको देखते हुये यह काफी है। उसमें एक स्चीप के बजाय दो हो जायं। इसमें तो बिजनेस को रेगुलेट करने का सवाल इस वक्त सामने रख रहा हूं। असेम्बली पहले नहीं थी तो उस वक्त यह आर्डिनेन्स प्रोमलगेट किया गया और मुझे उम्मीद है कि हाउस इस स्टेज पर इस तरह के सवाल नहीं उठायेगा। सिर्फ इतनी बात आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको गौर कर के रेगुलेट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं न्याय मंत्री जी से सहमत हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और यह जो आर्डिनेन्स है यह अपना अलग ताल्लुक रखता है आने वाले विधेयक से, जो इस संबंध में आयेगा। तो हर स्टेज पर अलग-अलग और उचित वादविवाद होगा और उसके लिये जो अधिकार मुझे प्राप्त हैं उनका उपयोग तो मैं करूंगा ही, साथ ही साथ मेरी भी यह दिक्कत है कि वादविवाद के अंत का, क्लोजर का मोशन जब तक न आये, यह वादविवाद चलता रहेगा। मैं अपनी इच्छा से समय की पाबन्दी कर दूं या खुद बहस बन्द करा दूं यह मेरे अधिकार के बाहर की चीज है। वादविवाद का अन्त क्लोजर के मोशन से अगर मैं उसकी इजाजत दे दूं तो सदन की अनुमति से ही हो सकता है। जहां तक विषयांतर या बार-बार उसी चीज को दोहराने की बात है, मैं उसको रोक सकता हूं, वह मेरे अधिकार की बात है। जरूर मैं यह कोशिश करूंगा कि आवश्यकता से अधिक समय न दिया जाय और विषयांतर न हो।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गौरीशंकर राय—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये। आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और इसके अलावा मैं किसी माननीय सदस्य को बीच में रोक नहीं सकता।

श्री गौरीशंकर राय—मेरी इसी संबंध में....

श्री उपाध्यक्ष—आप मेरी आज्ञा का पालन करें। बैठ जाइये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री गौरीशंकर राय—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो आर्डिनेन्स हमारे सामने पेश हैं उसके लिये कुछ कागज पत्तर, कोई सामान आदि हमारे सामने नहीं है। जो आर्डर पेपर है उसके आखिर का पेज बताता है कि इस सरकार के पास कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा, जैसे यूनिवर्सिटीज का बढ़ता हुआ कर्ज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास कितना कर्ज बढ़ा या और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के पास कितना कर्ज बढ़ा, यह सारी चीजें हमारे सामने नहीं हैं। मैंने निवेदन किया कि वह कागज सरकार से हमको मिलने चाहिये। मैंने मंत्री जी से बात की। जब तक वे कागज हमारे सामने न हों हम बोल नहीं सकते और न कुछ कर सकते हैं। तो इस संबंध में मंत्री जी कोई व्यक्तव्य यदि दे सकें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपने यह डिजायरेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी बात कही। माननीय अध्यक्ष ने कोई व्यवस्था नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि सरकार के पास अगर कोई कागज हैं तो उनको दे देने चाहिये सुविधा के लिये।

श्री गौरीशंकर राय——मंत्री जी जानकारी कराने के लिये व्यक्तव्य देने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष——मंत्री जी जब निवेदन करेंगे तो मैं उनको समय दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा तो यही होता कि सब की शंका का समाधान होने के लिये मंत्री जी वह सब कागजात हमें उपलब्ध करा देते ताकि कोई गलतफहमी हमको न होती और हम भी सही बात कह सकते। यहां पर अभी केवल हमें अफवाहों के आधार पर अपने को निर्भर रखना पड़ता है और इसलिये हो सकता है कि कोई गलत बात भी निकल जाय। यह अध्यादेश जब से निकले हैं, यदि मैं गलत नहीं कहता हूं तो, उस समय तक इस आदरणीय सदन के बैठने की घोषणा हो चुकी थी। ये तीन, चार आर्डिनेन्स ऐसे समय निकले हैं जबकि असेम्बली होने की सूचना लोगों को प्राप्त हो चुकी थी। तो कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति थी कि जिसके कारण असेम्बली होने की सूचना के बाद भी आर्डिनेन्स निकाला जाता है यह मेरी समझ में नहीं आया। श्रीमन्, यह इस आदरणीय सदन के अधिकारों का अपहरण है, उनको छीनना है और ऐसे कार्य सरकार को नहीं करने चाहिये। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन अध्यादेशों के मातहत जो हुक्म निकलने वाले थे क्या वह निकले? उदाहरण के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये कोई हुक्म निकला? जहां तक मुझे सूचना है, ऐसा कोई हुक्म नहीं निकला, कोई आज्ञा जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या जरूरत इन अध्यादेशों को लाने की पड़ गयी? बहुत खोज-बीन करने के बाद यह पता लगा कि यह अध्यादेश केवल इसलिए निकला कि लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारा एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। एक पार्टी जिसके हाथ में शासन है उसमें झगड़ा पैदा हो गया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की ट्रेजररशिप किसके पास रहे तथा कांग्रेस की ट्रेजररशिप किसके पास रहे। तो केवल खजांचियों के पद से कांग्रेस का झगड़ा शुरू हुआ है। सारी पदों की बस्त है। मैं बाअदब अर्ज करूंगा कि आपका झगड़ा हो तो अपने घर में सुलझाइये, क्यों शिक्षा के केन्द्र को राजनीतिक झगड़े का अखाड़ा बनाते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी——मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अब तो केवल यह प्रश्न नहीं रह गया कि अध्यादेश क्यों जारी हुआ बल्कि उसकी मेरिट में कि कहां झगड़ा है और क्या है, ट्रेजररशिप वगैरह, सारी बातें जिनको मैं कह रहा था कि यह तो मेरिट में जाना पड़ेगा, वह प्रश्न उठे। तो क्या यह प्रस्ताव से संगत है, इस सम्बन्ध में रूलिंग चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट——मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वही कारण है कि प्रोफेसर शिप, डीनशिप और अन्य पद, सब समाप्त हो चुके हैं, पुराने स्टेट्यूट्स खत्म हो चुके हैं, नये निर्वाचन हुये। क्या स्टेट्यूट बन गया, वह यहां रखा गया था, हम समझते थे कि उसे विश्वविद्यालयों ने (Approve) किया होगा इसलिये हमने उसे संशोधित नहीं किया। लेकिन पता लगा है कि किसी विश्वविद्यालय से नहीं पूछा गया कि स्टेट्यूट्स कैसे बनने चाहिये। यानी ऐकैडेमिक मामले में भी विश्वविद्यालय से राय नहीं ली जाती। श्री कमलापति त्रिपाठी. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष——मुझे व्यवस्था देनी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——श्रीमन्, मैं उसी सम्बन्ध में कह रहा हूं कि ७ दिन के लिये ही नये डीन बनाये गये। वह Statutes से खत्म हो गये। इस अध्यादेश का अभिप्राय क्या है यह जानने के लिये इसमें जाना पड़ेगा। आप धारा १२ (क) को देखें जो नयी धारा बढ़ाई गयी है :

"यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी ऐसे सदस्य की पदावधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के अथवा मूल अधिनियम या आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन)

अधिनियम, १९५३ के अधीन निर्मित परिनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामांकित हुआ हो. . . . . ''

श्री उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त करें, यहां व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं उसी पर आ रहा हूं, यह सब बातें उसमें निहित हैं, यानी गोपनीय रूप से उन बातों में जाना पड़ेगा। या तो ऐसी कीचड़ को न लाया जाय और जब लाया जाता है तो कहा जाता है कि काला-काला बुरा दिखाई देता है। यहां हम नहीं लाते इन चीजों को बल्कि यही सरकार लाती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें। जो व्यवस्था का प्रश्न उठा है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि माननीय सदस्य को इस बात का अधिकार है कि जो भी कारण समझते हों वह माननीय सदन के सामने रखें और माननीय गृह मंत्री को अधिकार होगा कि उसका उत्तर दें कि यह बेबुनियाद है। तो अभी उनका भाषण सीमा से बाहर नहीं हुआ है। अगर होगा तो मैं देखूंगा।

(श्री गोविंदसिंह विष्ट से) आप जारी रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आज्ञा शिरोधार्य है।

श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था, मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया। सारा झगड़ा पदों के लिये है। एक ग्रुप चाहता हूं कि खजाना हमारे हाथ में ही रहे और सारी ताकत बनी रहे, उसके हाथ में ताकत आयी तो पुराने वाले को खदेड़े। आज १२ प्रोफेसर्स को नोटिस मिल गये हैं। उनका भाग्य अधर में लटक रहा है। बार-बार यहां पर बड़े सुन्दर व्याख्यान दिये जाते हैं, हमें उपदेश दिये जाते हैं कि राजनीतिक मामलों से लड़कों को अलग रखो, प्रोफेसर को अलग रखो, लेकिन :

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे"।

यहां असेम्बली में भी कुश्ती होती है और विश्वविद्यालय को भी राजनीतिक अखाड़ा बना लिया गया है, इससे हमें दुःख होता है। वहां के टीचर्स को यह लत डाल दी गयी है और इसके लिये जिम्मेदार हमारे बड़े-बड़े नेता लोग हैं। जब इन्होंने उनके ऊपर पालिटिक्स लादी है, उनको हाईकोर्ट जाने पर बाध्य करते हैं तो क्या इस तरह की बातों की शुरूआत हमारी तरफ से होती है? मुझे दुख है कि विश्वविद्यालय पढ़ने का स्थान होता है, वह विद्या का मंदिर है, उसकी पूजा होनी चाहिये, कद्र होनी चाहिये लेकिन वहां पर क्या छीछालेदर हो रही है। १५ जनवरी से तमाम बाडीज खत्म हैं, फंक्शन करना बन्द हो गया है। पहले हमारी तरफ से शिकायतें रहीं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, जो पहले का इन्तजाम था उसमें १६ लाख रुपया कर्जा कर दिया। तो जो रुपये की बात कही गई थी कि वह ऋण न लें और सन् १९५४ में सरकार ने वह ऋण चुका भी दिया था, लेकिन उतना रुपया चुकाने के बाद फिर यूनिवर्सिटी ने २२–२४ लाख रुपया कर्जा कर दिया है। यह नवाबी बढ़ती जा रही है। इस अध्यादेश में जो लिखा है कि संपत्ति आयंदा बंधक न हो सकेगी। फलाना न हो सकेगा ढिकाना न हो सकेगा, तो क्या कभी पहले जो आशंकायें हो रही थीं उनको जानने की कोशिश की गई? पुराने १६ लाख के बाद फिर २२ लाख रुपये कर्ज हो गये, हालांकि ठीक फीगर मालूम नहीं है। मुझे पता लगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पर ज्यादा कर्जा न बढ़े, अंट-शंट कर्जा न लिया जाय, इसके युनियर्सिटी को बचाने के लिये अध्यादेश निकला है, लेकिन जो और हुकुम होने चाहिये थे वह नदारद हैं। इस तरह से सरकार हमारे राइट्स पर इन्क्रोचमेन्ट करती है और राज्यपाल महोदय से सिफारिश करके आर्डिनेन्स निकलवा दिया जाता है। जब असेम्बली होने वाली थी तो उसे निकालने की क्या जरूरत थी।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

मैं इसके मेरिट्स के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है जब यह कहा जाता है कि लड़कों में अनुशासनहीनता है, डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन वहां पर प्रोफेसरों को पालिटिशियन बना दिया गया है और लड़कों में एक ऐसी परिपाटी ला दी गई है कि गुट के हिसाब से एलेक्शन होने लगे हैं जिससे खराबी आ गई है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि भगवान के लिये वे ऐसे काम न करें और पूरा कानून वे हाउस के सामने लायें, आर्डिनेन्स से काम नहीं चलेगा, और शिक्षा के मंदिर को न बिगाड़ें। यही मेरी प्रार्थना है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, मुझे थोड़ा-सा दुख इस बात का है कि माननीय गृहमंत्री जी इस सदन में विद्यमान नहीं है इस वजह से कि उन्होंने खुद प्रयत्न इस बात का किया कि अपोजीशन के मेम्बर इस पर कोई अधिक विचार प्रकट न कर सकें। मैं माननीय प्रताप सिंह जी का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस अध्यादेश का प्रश्न है मैं मौलिक सिद्धान्तों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे यह गलतफहमी या भ्रम जो है वह कुछ हद तक दूर हो सके। श्रीमन, कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के अनुच्छेद २१३ (१) के अधीन राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि जब लेजिसलेचर का सेशन न हो रहा हो, उस समय वह आर्डिनेन्स इश्यू कर सकते हैं। जहां तक इस बात का संबंध है, मुझे कुछ कहना नहीं है कि उनको अधिकार नहीं है लेकिन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल २१३ के दो अंश हैं। एक तो स्पष्ट है और हो सकता है कि उनको यह अधिकार हो। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस आर्टिकिल २१३ को बनाने के पीछे भावना क्या थी? अगर मंत्री जी कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की प्रोसीडिंग्स को ध्यान से पढ़ लेते तो सम्भवतः यह गलती न होती। यह राज्यपाल महोदय को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है, जिसका इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह सरकार की गलती है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस स्टेज पर मुझे मेरिट में नहीं जाना है। लेकिन कौन सी आफत थी जिसके कारण यह अध्यादेश लाया गया? इसमें कहा गया है कि यू० पी० यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस, १९५९। इसमें ५ कारण दिये गये हैं। पांचवां तो कुछ है नहीं, लेकिन ४ दिये हुए हैं। एक तो यह है कि यूनिवर्सिटीज इस कदर कर्जा लेती जाती हैं जिसका भुगतान सरकार को करना पड़ता है इसलिये सरकार के लिये लाजिमी हो गया कि आर्डिनेन्स लावे। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री पधार गये हैं और मेरी कठिनाई कुछ हद तक दूर हो गई है। यह सच है कि विश्वविद्यालयों के खर्च पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन यह आज की चीज नहीं है। एक मुद्दत से यह परिस्थिति चली आ रही है कि जब हालत खराब हुई तो सरकार ने रुपया दिया। लेकिन यह आर्डिनेन्स का कोई कारण नहीं हो सकता। यह कोई एमरजेंसी नहीं हो सकती। बल्कि सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न कई वर्षों से था और इस बीच में सदन कई बार बैठ चुका है। एक तो मुख्य कारण यह था जो मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है और मेमोरैण्डम में भी था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में परिस्थिति उत्पन्न हुई, स्वीकार है। लेकिन यह मानना कि चूंकि लखनऊ में हुई तो इलाहाबाद में भी होगी, यह भ्रम है।

तीसरी बात यह कही गई है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी इनक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है कि उस विश्वविद्यालय से कुछ कालेज डिसएफीलियेट किये जावें। एक तो आफत यह नहीं थी कि तत्काल वे ऐसा कर रहे थे ....

एक सदस्य---हो गये हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---अच्छा, उनके कथनानुसार मैं स्वीकार किये लेता हूं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि फैजाबाद में कामता प्रसाद सुन्दर लाल डिग्री कालेज में कौन-सी ऐसी परि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति हो गई थी, क्या उसकी एक्जीक्यूटिव ने कोई प्रस्ताव किया था या कोई डेपुटेशन मंत्री जी के पास आया था कि वह कालेज आगरा विश्वविद्यालय से डिसएफीलिएट करके गोरखपुर में मिला दिया जाय ? कोई नहीं आया, मैं भी उसकी एक्जीक्यूटिव में हूं। फैजाबाद त्रिशंकु की तरह से है, यह मेरी शिकायत हमेशा रही है।

गृह उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—आगरा से संबंध तोड़ना था।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं तो आगरा और बरेली दोनों से ही तोड़ना चाहता हू।

मैं इसकी मेंरिट में नहीं जाना चाहता हूं और न मुझे अधिकार है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय एक नहीं, अनेक भाषाओं के विद्वान है और मैं चाहूंगा कि वह आर्टिकिल २१३ के बनने पर जो कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में बहस हुई है उसे पढ़ लें। उससे उन्हें मालूम हो जायगा कि इसके पीछे स्प्रिट क्या थी। अगर इस तरह का तमाशा होता रहा तो एक दिन वह आवेगा जब कि बिल तो बाद को हमारे सामने आते रहेंगे लेकिन सदैव आर्डिनेंस से काम होता रहेगा। उसके बाद हम बोलने के लिये उठेंगे और मंत्री महोदय प्वाइंट आफ आर्डर के द्वारा या प्वाइंट आफ इनफर्मेशन पर या किसी कारण से हमें गैग करने का प्रयास करेंगे। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के संबंध में या बनारस से कालेज डिसऐफीलियेट होने के संबंध में आर्डिनेंस आता तो मुझे कोई शिकायत न होती।

इन शब्दों के साथ मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उनके अतिरिक्त दो एक बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां बार-बार आटोनामी की बात कही जाती है। अभी एक मामला आया था और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज आटोनामस बाडीज हैं। उनके संबंध में हमें कुछ नहीं करना है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि क्या यूनिवर्सिटीज की आटोनामी पर आज की प्रजातांत्रिक विधि से कोई आप हमला करना चाहते हैं। अगर नहीं, तो क्या उनकी आटोनामी पर यह हमला है या नहीं ? जितनी प्राइवेट बाडीज हैं, जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरी ऐसी संस्थायें हैं जिन्हें जनता चलाती है, क्या ऐसी किसी संस्था का उदाहरण देंगे जो बिना कर्जे के चल सकती है ? अभी लखनऊ म्यूनिसिपल बोर्ड के बारे में मुझे मालूम हुआ कि जितना कर्जा पहले था उससे कई गुना कर्जा सरकार ने बढ़ा दिया। हमारे उप मंत्री म्युनिसिपल बोर्ड के महकमें के भी मालिक थे वह जानते होंगे। ये संस्थायें जब तक कर्जा न लें, एक भी इन्टरमिडियेट कालेज की डिग्री कालेज की या यूनिवर्सिटी की बिल्डिग नहीं बन सकती। अब मान लिया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का कर्जा कुछ अधिक था, लेकिन यह सारी चीज किसी व्यक्ति को दृष्टि में रख कर, एक दल को दृष्टि में रख कर, दिमाग में रख कर कोई फैसला नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत ऊंचा है। उसके बारे में जितने शब्द माननीय मंत्री जी कह सकते हैं उतने शब्द मेरे पास नहीं है, जितनी प्रशंसा वह कर सकते हैं उतनी मैं नहीं कर सकता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि यूनवर्सिटी में जो यह कर्जा ४० लाख के करीब कहा जाता है, वह कब हुआ है ? वह जिस आदमी ने लिया है, जिनसे उनका झगड़ा है और जिस समय उसने लिया है उस समय वह कैबिनेट में था। उस समय सरकार ने उनको रोका क्यों नहीं। अब इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी। उस समय ही अपने कोलीग से कह देते कि कर्जा न लीजिये। अब मान लीजिये कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कर्जा लिया तो इसके मानी यह नहीं है सब यूनिवर्सिटीज ही कर्जा लेंगी।

आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की ही हालत खराब नहीं है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी नंगा नाच हो रहा है जिसकी ओर माननीय शिब्बन लाल जी और श्री मदन पांडेय जी ने सरकार

[श्री गौरी शंकरराय]

का ध्यान आकर्षित किया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो पार्टीबाजी हो रही है वह घृणित है और इलाहबाद में जो नृत्य हो रहा है वह किसी शिक्षा मंदिर के लिये सराहनीय नहीं है । आज सारे विश्वविद्यालयों का वातावरण विषाक्त हो रहा है । आज हमें सरकार की नीयत पर सुबहा हो रहा है कि वहां जो जातिवाद हो रहा है और फाइंनेन्सेज की जो गड़बड़ी हो रही है उसके लिये सरकार को हाईपावर कमेटी बिठानी चाहिये जो इस सारे मामले की जांच करे कि इसमें दोषी कौन है और बतावे कि इसके निराकरण का तरीका क्या होगा । लेकिन उसके निराकरण का तरीका यह नहीं है जो आपने किया है । अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कर्जा लिया था तो और कौन सी यूनिवर्सिटी ने कर्जा लिया था । माननीय मंत्री जी बतलावें कि पिछले ६ महीने में किस यूनिवर्सिटी ने बिल्डिंग को बेचा या अगले ६ महीनों में कौन बिल्डिंग वह बेचने जा रही थी । अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कोई काम किया तो इलाहबाद यूनिवर्सिटी ने क्या गुनाह किया था ? उसकी कौन सी बिल्डिंग बिकने वाली थी । केवल एक छोटी सी बात को लेकर आर्डिनेंस जारी कर दिया गया और लखनऊ विश्व-विद्यालय को दृष्टि में रख कर यह आर्डिनेन्स जारी कर दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कुछ अधिक निश्चित प्वाइन्ट बतलायें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री गौरीशंकर राय---इसके बारे में लाइब्रेरी में तो कोई लिटरेचर है नहीं और न सरकार की ओर से हमको इस बारे में कुछ आंकड़े दिये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप मुझे यह बता दें कि मैं सरकार को किस प्रकार से उसके लिये बाध्य कर सकता हूं ।

श्री गौरीशंकर राय---लेकिन श्रीमन् , मेरी भी तो मजबूरी है । हमारे पास इसके बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं और न लाइब्रेरी से हमें प्राप्त हो सकते हैं । बताया गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीयर आफ लिटीगेशन था । अगर यहां था तो क्या दूसरी यूनिवर्सिटीज में भीं था । २८ जून को हाईकोर्ट बन्द था और १५ जुलाई को यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी । इसी बीच में असेम्बली के खुलने के पहले कोई झगड़ा खड़ा हो जायगा, ऐसा मंत्री जी को स्वप्न हुआ और मंत्री जी ने आर्डिनेंस ला दिया । कहने का मतलब यह है कि आर्डिनेंस जैसी चीजों के लिये लाया जाता है वैसी चीज यह थी नहीं । जुलाई में जब आपने यह सेशन बुला लिया था तब यह मामला हुआ । २२ जून को आपको मालूम हुआ कि कुछ कालेज डिसएफिलिएट हो जायेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस-किस विश्वविद्यालय से डिसए-फिलिएट होने वाले थे जिससे आपको यह शीघ्रता करनी पड़ी । जो बात कही गई है मैं फिर कहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर पुनः एक बार विचार करें । यहां केरल के बारे में आलोचना हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का अधिकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यह नहीं बढ़ना चाहिये । यह बहुत बड़ा प्रश्न सारे देश के सामने है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को कहां तक अपने अधिकार को रखना चाहिये । कहां तक उसे हस्तक्षेप करना चाहिये और कहां तक नहीं करना चाहिये, यह भी एक सिद्धांत का प्रश्न है । मैं समझता हूं कि अगर सरकार प्रजातंत्र के सिद्धांत में विश्वास करती है तो उसे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर हमला नहीं करना चाहिये या आर्डिनेंस के द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर हमला नहीं करना चाहिये । अगर ऐसी कोई आपत्ति आने वाली हो तो उसके लिये सरकार एक बिल लाने के प्रश्न पर सोच विचार करती । इस विश्वविद्यालय के संबंध में एक अमेंडमेंट बिल आया तो क्या आप समझते हैं कि यह ४० लाख रुपये का कर्जा या असंख्य कर्जा संशोधन पेश होने के बाद बढ़ा है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में जो संशोधन विधेयक आया था उसके बाद में ये कर्ज लिये गये ? अगर माननीय मंत्री जी को ऐसी कोई जानकारी हो तो वे अपने जवाब में इसके बारे में अवश्य

बतलायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री प्रताप सिंह जी के इस प्रस्ताव को जो सदन के सामने पेश है, समर्थन करता हूं।

श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार की ओर से अध्यादेश की कोई पृष्ठभूमि मालूम हो जाती उससे अधिक जो इसमें लिखा हुआ है तो सम्भव है मरे बोलने की आवश्यकता न पड़ती या जो मुझे कहना है वह न कहना पड़ता। एक सिद्धांत सर्वमान्य है कि विश्वविद्यालय के कार्य में हस्तक्षेप कम से कम होने चाहिये। माननीय मंत्री जी भी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अध्यक्ष श्री देशमुख ने विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा का स्तर गिरता जाता है उसका एक कारण सरकार का बहुधा हस्तक्षेप भी है। वैसे तो अध्यादेश जारी करते हुए किसी भी बारे में बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता है, किन्तु विश्व विद्यालय जैसी संस्था के लिये जिसमें यह कहा जाता है कि वह अपना काम बिना हस्तक्षेप के करती रहे, वहां भी कोई परिस्थिति पैदा हो तो अध्यादेश जारी करने के लिये बहुत खास कारण होने चाहिये। यह स्पष्ट होना चाहिये कि यदि यह अध्यादेश जारी न होता तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती। श्रीमन्, यह अध्यादेश केवल एक विश्वविद्यालय के बारे में नहीं है। यह अध्यादेश लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में है, इस अध्यादेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भी चर्चा है। तो क्या समस्त विश्वविद्यालयों में एक ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी कि तत्काल ही कोई कार्य करने की आवश्यकता पड़ गयी? माननीय मंत्री जी को इस पर सोचना चाहिये कि क्या बात है। किसी एक विश्वविद्यालय में एक रोज में कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है किन्तु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो क्या कारण है? इससे तो एक बड़ी अजीब बात पैदा हो सकती है। कौन सी ऐसी विषम परिस्थिति है, इसके बारे में कोई चीज मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ने सोचा होगा, लेकिन मुझे अब तक जो इत्तला मिली है और जो स्पष्टीकरण हुआ है उससे प्रतीत होता है कि बहुत हल्के दिल से इस अध्यादेश को जारी किया गया है। श्रीमन्, जब माननीय मंत्री जी से यह पूछा गया कि इसकी पृष्ठभूमि बता दीजिये तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि जो इस में उद्देश्य दे रखे हैं उनसे स्पष्ट है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और न इस के मेरिट्स व डिमेरिट्स में ही जाना चाहता हूं, मैं तो इस को केवल एक ही कसौटी पर कसना चाहता हूं कि जब विधानसभा होने वाली थी तो इस अध्यादेश को जारी करने के लये क्या विषम परिस्थिति पैदा हो गई? इस में कारण दिये हुए हैं, उसमें से एक कारण यह है कि २६ नवम्बर को हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसके बारे में उन्होंने कोई संदेह उत्पन्न किया, उस की ओर उन्होंने इशारा किया है, जहां तक मुझे मालूम है कोई इशारा किसी स्टेट्यूट के बारे में नहीं किया गया है लेकिन मैं स्वीकार कर लूं कि हाईकोर्ट ने किसी चीज की तरफ २६ नवम्बर को ध्यान दिलाया और उसको उसी रोज रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज आर्डर से समाप्त किया। अगर ऐसी बात थी तो विधान सभा बजट सेशन हुआ अच्छा होता मंत्री जी उसका समाधान जिस संबंध में हाईकोर्ट ने कोई बात कही थी तब ही करा लेते। उसके बाद में यह कहा गया कि कुछ रिट पेटीशन आ गये, तो वह तो आज भी नहीं रुक सकते। रिट पेटीशन तो आर्डिनेंस, एक्ट और रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज आर्डर के खिलाफ भी हो सकता है, वह आर्डिनेंस के जारी करने से रुकता नहीं है इसलिये वह दलील जो दी गई है वह हमें कुछ खास जंचती नहीं है।

यह बात भी कही गई है कि यह परिस्थिति पैदा हो गई थी कि यूनिवर्सिटी में कोई संस्था नहीं रह गई थी, सब ने अपना काम करना बन्द कर दिया और ऐसी सूरत में हमें ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी। मैं इस व्योरे में जाना नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटीज के इन बाडीज ने काम करना क्यों बन्द कर दिया। कोई भी चीज हो रिमूवल आफ डिसएबिलिटीज आर्डर हो या स्टेचूट हो उस को निकालते वक्त यह देखना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति पैदा न हो। मैं इस

[श्री कैलाशप्रकाश]

को स्वीकार करता हूं कि आदमी से गलती होती है, हर चीज को इंसान नहीं समझ सकता, अगर ऐसी बात थी तब उचित था कि उसको सदन में लाया जाता, इसमें अगर मैं गलत होऊं तो माननीय मंत्री जी मुझे ठीक कर दें। जहां तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन बाडीज के फंक्शन न करने का ताल्लुक है अगर १५ जनवरी से वहां की बाडीज ने कार्य करना बन्द किया १५ जनवरी को ऐसी परिस्थिति आई तो उसी वक्त इस चीज को क्यों नहीं लाया गया, उसी समय इस सदन को मौका मिलना चाहिये था। इसलिये जो कारण लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में इस में दिये गये हैं मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं सम्भव है माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई पृष्ठभूमि आ जाय तो मैं संतुष्ट हो जाऊं।

अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में जो बात कही गई है वह भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि तत्काल कोई विषम परिस्थिति पैदा हो गई। अगर वाराणसी यूनिवर्सिटी किन्हीं कारणों से कुछ कालेजों को डिसएफिलियेट करती है और इस तरीके का कोई आदेश हो जाता है तो दो ही स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि या तो विधान सभा बैठी हो या न बैठी हो, अगर नहीं बैठी है तो जिस रोज आवश्यकता हो उसी रोज अध्यादेश निकाला जा सकता है, कोई देर नहीं होती और अगर विधान सभा बैठी है और कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है तो विधान सभा में ऐसा विषय रखना चाहिये और उस विषम परिस्थिति को ठीक करने के लिये यह विधान सभा एक दम राजी हो सकेगी। किन्हीं आशंकाओं के ऊपर, किन्हीं चीजों की कल्पना करके अध्यादेश जारी करना मुझको अनुचित मालूम होता है। हां, विधेयक लाया जाय, अधिनियम बनाया जाय, यह बात तो ठीक है।

श्रीमन्, इस अध्यादेश के आने से ऐसा एहसास होता है कि कहीं यूनिवर्सिटीज में इस तरीके का हमला हो रहा है या इस तरीके की कार्यवाही होने जा रही है कि न मालूम १०-१५ दिन के अन्दर युनिवर्सिटीज की जितनी प्रापर्टी है वह सब बेंच दी जायगी या गिरवीं रख दी जायेगी। यदि वास्तव में इस तरीके की कोई बात हो तो मैं पहला आदमी हूंगा जो कहेगा कि फौरन अध्यादेश जारी किया जाय। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। कर्ज यूनिवर्सिटीज पर है, बहुत दिन से रहता आया है। सन् १९५४-५५ में जबकि अधिनियम बना था तब भी था। पिछली दफा अधिनियम का संशोधन हुआ तब भी था। कर्जे ने इस तरह की विषम परिस्थिति पैदा कर दी हो कि विधान सभा बैठने वाली हो डेढ़ महीने के अन्दर और वहां अधिनियम पास कराया जा सकता हो और तब भी यह जरूरी हो जाय कि अध्यादेश जारी किया जाय, मुझे यह बात महसूस नहीं होती। किन्तु, माननीय मंत्री जी को अगर किसी यूनिवर्सिटी–लखनऊ, इलाहाबाद या गोरखपुर––के बारे में कोई आशंका या जानकारी हो या कोई तथ्य उनके पास हों कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का यह इरादा था कि वह सब चीजों को बेचना चाहते थे, या किन्हीं कर्ज देने वालों का यह इरादा था कि वह यूनिवर्सिटी को कराना चाहते थे तब तो मैं मान सकता हूं। लेकिन यह बात नहीं है तो अध्यादेश जरी करने का कोई औचित्य मुझे महसूस नहीं होता।

श्रीमन्, मुझे अधिक कहने की अवश्यकता नहीं है। मैं तो मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस रोज से यह अध्यादेश जारी हुआ है उस रोज से आज तक क्या कार्यवाही हुई है? अगर यह अध्यादेश जारी न होता तो यूनिवर्सिटी पर क्या अफत आ जाती? और इसके जारी होने के बाद किस यूनिवर्सिटी में किस चीज को रोक दिया है? यदि यह सब बातें सामने आवें तो परिस्थिति का थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स के बारे में सरकार क्या करने जा रही है इस बात की चर्चा यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स में मैं सुनता चला आया हूं। इस अध्यादेश

के बारे में भी उस रोज से जब कि यह अध्यादेश जारी हुआ १५ रोज पहले यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स इस बात को जानते थे। श्रीमन्, आश्चर्य इस बात का है कि यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती। लखनऊ यूनिवर्सिटी है। अगर वहां कोई बाडीज वर्क नहीं कर रही हैं तो वाइस-चांसलर तो है। मैं पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ कार्यवाही होती है उसके बारे में वाइस-चांसलर को कंसल्ट किया जाता है या नहीं ? प्रोफेसर्स को यह बात मालूम रहती है कि अध्यादेश या रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर आने वाले हैं, किन्तु न वाइस चांसलर को पता होता है और न जो कांस्टीट्यूटेड आथार्टीज है उनको पता चलता है। जब मुझसे यह बात कही गई कि कोई अध्यादेश आने वाला है, तो मैं समझता था कि माननीय कमलापति त्रिपाठी के मंत्रित्व काल में यदि कोई विषम परिस्थिति पैदा होगी तो वह विश्वविद्यालय के मामले को इतना पवित्र समझते हैं, शिक्षण संस्थाओं को इतना निहस्तक्षेप रखना चाहते हैं कि वह कोई अध्यादेश लाने वाले नहीं हैं। किन्तु मेरा खयाल गलत निकला और उन लोगों का खयाल सही निकला जो वहां इस तरीके की बातें करते थे। कुछ भी हो, सरकार को जो अपना काम करना है, चाहे वह कुछ लोगों की मरजी से काम होता हो, चाहें यहां के अधिकारियों की मरजी से होता हो, लेकिन एक बात सरकार को यह देख लेनी चाहिये कि उनके जो इरादे हैं और जो उनकी चीजें चलती रहती हैं वे ठीक वक्त पर जारी हों। सरकार के यहां से अगर सीक्रेट बातें उधर इधर जाती रहती हैं तो मुनासिब नहीं है।

श्रीमन्, एक बात कह कर के मैं इसको समाप्त कर देना चाहता हूं। मेरे कहने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि एक परिस्थिति प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में पड़ी। सरकार ने स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में लिया और उनके बनाते समय सरकार ने यूनिवर्सिटी से कंसल्ट किया। रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स आपने निकाला। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये आप नौ रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स निकाल चुके हैं। श्रीमन्, इसके बाद यह अध्यादेश जारी हो जाता है। तो उस यूनिवर्सिटी में ऐसा अनिश्चितता का वातावरण है, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें यह समझा जाता है कि अटोनामी होगी, कि वहां किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। इस हद तक सरकार का हस्तक्षेप, श्रीमन्, कोई अच्छी बात नहीं है।

मुझे मालूम हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिये दूसरा होस्टल खोलने की बात है। लड़कियां परेशान हैं। सुपरिंटेंडेंट से पूछा जाता है कि आप इनको स्थान दे सकते हैं या नहीं तो वे जवाब देती हैं कि जब दूसरा होस्टल खुल जायगा तो इनको स्थान मिल जायगा। सरकार को लिखकर भेज रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। आखिर कोई होस्टल खुलना है या नहीं खुलना है यह सरकार को देखना है। वह लड़कियां सस्पेंस में हैं और इस आशा में बैठी हुई हैं कि उनको स्थान मिलेगा। तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता ऐसी चीजों में है। जिससे विद्यार्थी या शिक्षकगण कोई सस्पेंस की स्थिति में न रहें। श्रीमन्, सम्भव है कि माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद मुझको कुछ संतोष हो जाय, लेकिन मैं उनसे विशेषकर निवेदन करूंगा कि जो जिज्ञासा के रूप में मैंने प्रश्न उठाये हैं उनपर वे प्रकाश डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न कई बार उपस्थित हो चुका है। माननीय गौरीशंकर राय जी ने भी यह कहा था कि शायद उपमंत्री जी या मंत्री जी इंटरवीन करके प्रकाश डालना चाहें। अगर ऐसी बात हो और अगर वह चाहें तो मैं उन्हें इंटरवीन करने की इजाजत दे दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---आपकी आज्ञा हो तो कह दूं, लेकिन नम्रतापूर्वक सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उससे फिर मेरा उत्तर देने का अधिकार नहीं छिन जायगा।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस विषय में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सदस्यों को, मित्रों को, कुछ इस बात का संदेह है कि इस आर्डिनेन्स को जारी करने के पहले कोई खास नीयत रही राजनीतिक या और कोई कब्जा करने की या सताने की या तंग करने की। मैं इसके पहले कि कुछ और कहूं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात बिलकुल नहीं है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? यह मैं बहुत थोड़े में बताऊंगा और मैं समझता हूं कि उससे हमारे साथियों और मित्रों को संतोष हो जायगा।

एक तो जैसे कि बनारस की बात है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने के लिये कालेजों को क्यों जरूरत पड़ी कि आर्डिनेन्स में रखा जाय। बात यह है कि एक मुदालियर कमेटी जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने बनायी है उसकी एक यह रिकमेंडेशन भी थी कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के जितने ऐफीलियेटेड कालेजेज हैं उनको तत्काल डिसऐफीलियेट कर दें और यह बात बनारस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को कदाचित् आदेश के रूप में बता दी गयी कि आप इन कालेजेज को डिसऐफीलियेट कर दीजिये। अब बनारस में ही मैं समझता हूं कुछ नहीं तो ५ डिग्री कालेजेज हैं और नियम यह है कि यूनिवर्सिटी के १५ मील के भीतर उसका जूरिस्डिक्शन है और उसके भीतर जो डिग्री कालेजेज हैं वे उससे एफिलियेट किये जायेंगे, लेकिन मई में कालेजेज के बन्द हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी से यह आदेश उनके पास भेजा गया कि तुम अपनी व्यवस्था करो कहीं और एफिलियेशन के लिये। तुम जुलाई से जब से यूनिवर्सिटी खुलती है डिसएफिलियेटेड समझे जाओगे। इस पर वहां के कालेजेज ने रिप्रेजेंटेशन किया ——खास कर हरिश्चन्द्र कालेज ने जो बहुत बड़ा कालेज है और जिसमें कई सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं——कि साहब आप हमारी व्यवस्था कीजिये, किसी यूनिवर्सिटी से हमको सम्बद्ध कराइये वर्ना कालेज खुलते ही हम एडमिशन कैसे करेंगे। अब यह प्रश्न हमारे सामने आया। हमने प्रयत्न किया कि यह डिसएफिलियेशन न हो, कुछ समय हमें मिल जाये, लेकिन वह आदेश निकल गया डिसएफिलियेशन के सम्बन्ध में। ऐक्ट के मुताबिक हम उनको गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध नहीं कर सकते थे जब तक कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जूरिस्डिकशन न बढ़ाया जाय। गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट में उनका क्षेत्र परिमित है। वहां के कालेज को वे एफिलियेशन दे नहीं सकते थे। अब हमारा सेशन जुलाई में होने वाला था और यह अन्दाज लगाया गया कि २६–२७ जुलाई तक सदन बैठेगा। अगर १५ जुलाई को बैठते और उसमें बिल लाकर ऐक्ट को अमेंड कर एफिलियेशन कराते तो कालेजेज में एडमिशन रुक जाता बनारस में कई हजार विद्यार्थियों का। तो यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि हम ऐक्ट में संशोधन करके आर्डिनेन्स के जरिये अधिकार ले लें ताकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का क्षेत्र वाराणसी में भी लागू हो जाय और वहां के कालेजेज यूनिवर्सिटी खुलने से पहले ही अपना एफिलियेशन का प्रबंध कर सकें।

अभी हमारे माननीय मित्र अवधेशप्रतापसिंह जी ने कहा कि फैजाबाद क्यों जोड़ दिया। मैं उन्हें स्मरण दिलाऊंगा इस अवसर से लाभ उठा कर कि फैजाबाद जोड़ने की मांग फैजाबाद की ओर से हो रही थी। हमारे पंडित देवीप्रसाद जी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने पारसाल भी, इस वर्ष भी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल जब पास हुआ तब भी और बजट के अवसर पर भी यह मांग बराबर की कि फैजाबाद को गोरखपुर से जोड़िये, ताकि हमारा काम अधिक सहूलियत से हो सके, आगरा से हमको सम्बद्ध न करिये, मैंने कहा कि एक ही तो वहां कालेज है, ३–४ डिग्री कालेज खुलने दीजिये तब ऐसा कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि एक डिग्री कालेज है, इसलिये और भी आवश्यक है कि फैजाबाद को गोरखपुर से सम्बद्ध किया जाय। बहुत दूर उनको सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई वजह नहीं है कि घाघरा के उस पार यूनिवर्सिटी हो और वे इधर से उधर करते रहें। मैंने बजट के वक्त कहा था कि अगर कोई अवसर आयेगा तो फैजाबाद को गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी।

ऐसी ही मांग मिर्जापुर से थी। बनारस डिवीजन सब गोरखपुर से सम्बद्ध है। एक वाराणसी नहीं था और एक मिर्जापुर नहीं था। गाजीपुर, जौनपुर और बलिया ये सब गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध हैं। हिन्दू यूनिवर्सिटी के कारण एक परिस्थिति यह पैदा हो गयी कि वाराणसी को भी गोरखपुर से सम्बद्ध कर दिया जाय। स्पष्टत: मेरी समझ में यह आया कि पूरी बनारस कमिश्नरी उसके साथ कर दें, अकेले मिर्जापुर क्यों छूटा रहे। एक ही एग्री कालेज शायद मिर्जापुर में भी है और मिर्जापुर के लोगों ने इसकी मांग भी की थी। इससे लाभ उठा कर इसको हमने जोड़ा। इसके लिये आर्डिनेन्स निकालना ही पड़ता। अगर यह न करते तो इन कालेजेज के डिग्री क्लासेज चल नहीं सकते थे।

अब यूनिवर्सिटी के कर्जे के बारे में और उसकी बाडीज के बनने के बारे में प्रश्न उठाया गया और कहा गया कि इसकी क्या आवश्यकता थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्यूट्स बने। हमारी अक्ल कम होगी, हमने कम समझा, दूर तक नहीं देख सके। पर उनको बनाने के पहले तमाम टीचर्स और वाइस-चांसलर्स उन यूनिवर्सिटियों के जिनके-जिनके स्टेट्यूट्स हमको बनाने थे हमने कंसल्ट किये थे और घंटों उस पर विचार किया था। मैं जानता हूं कि हमारे भाई कैलाशप्रकाश को भी इस बात की जानकारी है, क्योंकि वे उस वक्त शिक्षा विभाग के उपमंत्री थे। तो तमाम टीचर्स के रेप्रेजेन्टेटिव्ज और वाइस-चांसलर्स को कन्सल्ट करने के बाद वे स्टेट्यूट्स बने। फिर इन स्टेट्यूट्स को बनाने की जरूरत ऐक्ट में जो अमेंडमेंट किया हमने उसके कारण पड़ी और उसमें लेजिस्लेचर ने यह अधिकार दिया कि चूंकि ऐक्ट में हम परिवर्तन कर रहे हैं इसलिये स्टेट्यूट्स हम बना दें और बार-बार हमारे इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों की भी यह मांग हो रही थी कि जो पुराने स्टेट्यूट्स उनके बने हुये हैं उनके परिवर्तन की आवश्यकता है और हम परिवर्तन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कमेटी जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट की बनती है उसमें बहुत दिन लगते हैं। इसलिये उनकी मांग थी कि उनके स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार एक बार गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले ले। उसी के मुताबिक हमने काम किया। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में एक बड़ा भारी परिवर्तन जिसे आप कहें वह यह किया गया कि प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन कर दिया गया जैसा कि और तमाम यूनिवर्सिटीज में था और अकेले लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं था। यहां बाई मेजारिटी आफ वोट्स से चुनाव होता था। एक समानता आये सब में और जहां तक हो सके प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन के मुताबिक हम चुनाव करें, यह बात तमाम यूनिवर्सिटीज में थी। यह उस वक्त जब ऐक्ट पास हुआ था तब भी मैंने कहा था। राधाकृष्णन् कमीशन ने भी उसका समर्थन किया था। यह एक बड़ा भारी परिवर्तन हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ। तो जब प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन आपने मंजूर किया तो उसके मुताबिक तमाम बाडीज का चुनाव होना मंजूर हुआ। उसके लिये स्टेट्यूट्स बने। जब हमारा ऐक्ट बन रहा था तो उस वक्त एक बहस यह चली थी कि जो बाडीज हैं वे तुरन्त खत्म कर दी जायं। इसमें जो क्लाज हमने लगाया वह डिटरेंट क्लाज था कि जो आज है वह दूसरे टर्म में नहीं हो सकता है। इसका बहुत कुछ समर्थन हमारे मित्रों ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि जो आज कौंसिल का मेम्बर है वह अगले चुनाव में खड़ा भी न हो सकेगा। अगर बाडीज खत्म हो जायंगी तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी। इसलिये हमने एक अमेंडमेंट मूव किया और आप लोगों से उसे स्वीकार करवाया कि जो इस समय है वह अगले टर्म में खड़ा हो सकता है और ओरीजनल क्लाज को हमने हटाया इसीलिये कि सहूलियत पैदा हो जाय

माननीय, स्टेट्यूट्स बनाकर भेज दिये गये। इससे यह हुआ कि इनके द्वारा अथारिटीज का तथा यूनिवर्सिटी बाडीज का इलेक्शन हो जाय। यह सारे इलेक्शंस १५ जनवरी तक खत्म हो जाने चाहिये थे, लकिन आज तक नहीं हो पाये हैं। स्टेट्यूट्स बन जाने के बाद ऐक्ट के अनुसार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सब बाडीज खत्म हो जानी चाहिये थीं और जो तरीका है उसके अनुसार नई बन जानी चाहिये थीं, लेकिन मान्यवर, वह नहीं हो पाया । इलाहाबाद में शुरू हुआ और वह काफी आगे बढ़े हुये हैं। गोरखपुर में भी चुनाव चले, लेकिन रिट्स वगैरह दाखिल हुये। इस आर्डीनेन्स से वह कवर नहीं होते, लेकिन लोगों ने दायर कर दिये।

लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टेट्यूट्स लागू होने के बाद पुरानी अथारिटीज को रिप्लेस करने का सवाल आया। इसमें पहले चांसलर के पास रिप्रेजेन्टेशन हुये और रिट्स भी मूव हुये। एक बार एक रिट हाईकोर्ट में मूव हुआ। उसका फैसला हुआ कि इससे क्लीयर नहीं होता है यद्यपि लेजिस्लेचर का मंशा कुछ भी रहा हो, बहस मुबाहिसे में कोई भी बात आई हो कि उसकी अवधि डिटरमिन्ट हो गई लेकिन ऐक्ट के वर्डस में यह चीज क्लैरीफाई होनी चाहिये। इसलिये रिमूवल आफ डिफीकल्टीज का आर्डर निकाला गया और चुनाव की कोशिश शुरू हुई तो इस पर रिट दाखिल हुआ और इंजकशन्स हुये कि स्टे कर दिया जाय। आज तक हमारी बाडीज नहीं बन पाई हैं। मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि वाइस-चांसलर से क्या बातें हुई ? वह यहां कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो भी कंसल्टेशन जरूरी था वह किया गया। लेकिन सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि इंजक्शन ईश्यूड हैं। मुझ से यह कहा गया कि यूनिवर्सिटीज के खुलने पर यदि यह काम पूरे नहीं हुये तो हमारे कामों में बाधा पड़ेगी। इसके अलावा यह कि इम्पोर्टेंट डिसीशन्स भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पुरानी एक्जीक्यूटिव कौंसिल खत्म हो गई और नई बन नहीं पाती। इसलिये काम रोकना पड़ता है। सारे लेजिस्लेचर की मंशा ऐक्ट के बनाने में चाहे जो रही हो कि इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करें, लेकिन वह सब नलीफाई हो गई; आपका मंशा आपके पास, वहां न एक्जिक्यूटिव काउन्सिल बन सकती है, न कोर्ट का एलेक्शन हो सकता है। एग्जिक्यूटिव काउंसिल सबसे बड़ी अथारिटी होती है। सेलेक्शन कमेटी में एक्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रतिनिधि होते हैं। वह नहीं बन सकती। यह परिस्थिति है। अगर यह ख्याल हो कि कहीं किसी प्रोफेसर को कुछ बता दिया गया तो ऐसा नहीं है। यह जरूर है कि आज कल तो मालूम नहीं कहां से कहां चीज लीक आउट हो जाती है। किसी को मालूम हो गया हो या न मालूम हुआ हो यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो वहां की अथारिटीज हैं वाइस-चांसलर हैं, उसके भी अधिकार ऐक्ट और स्टेट्यूटस के मुताबिक परिमित हैं। सेलेक्शन कमेटी कैसे बने जिसमें एग्जिक्यूटिव काउंसिल के भी मेम्बर होने चाहिये। कैसे बने जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल ही नहीं है। कहा यह जाता है कि वहां अनार्की चल रही है। अब गवर्नमेन्ट ऐसी हालत में क्या करे ? हमने राय ली। यह भी मालूम हुआ कि रिट्स वैकेट नहीं होंगे जब तक इस तरह के आर्डर्स नहीं होंगे। ऐक्ट में अमेंडमेंट करने के लिये हमारे पास समय नहीं था। दो-तीन-चार महीने लग जाते। ऐक्ट हमने पेश किया था वह आपने पास किया। हमने अपनी बेवकूफी से कमी रह गयी होगी पर आप भी उसमें शामिल हो गये। वह यहां से पास हुआ। अब मालूम हुआ कि रिट्स वैकेट नहीं होंगे। बाडीज नहीं बन सकतीं। मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी का काम नहीं चल सकता। इस तरह से अत्यन्त दुख के साथ ले आना पड़ा। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी आटोनामी पर हमला है। हमारे भाई गौरीशंकर जी ने एक तरफ यह शिकायत की और दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा कि जो नियुक्तियां होती हैं, उनमें सरकार को दखल देना चाहिये। जरा ख्याल कीजिये, कितने परस्पर विरोधी विचार प्रकट किये जाते हैं।

(व्यवधान)

जांच बैठाने में क्या आटोनामी पर हस्तक्षेप नहीं होगा ? जांच बैठायें कैसे ? ऐक्ट और स्टेट्यूट्स के मुताबिक सारा सेलेक्शन और अप्वाइंटमेन्ट्स यूनिवर्सिटीज के हाथ में हैं। उसमें गवर्नमेन्ट का कोई हस्तक्षेप है नहीं। सेलेक्शन कमेटी होती है। चांसलर सबसे बड़ी अथारिटी है। उसके बनाने का कौन-सा तरीका है, क्या परसोनेल होगा, यह स्टेट्युट्स में लिखा हुआ है।

श्री गौरीशंकर राय--एक्जीक्यूटिव कौंसिल में गवर्नमेन्ट भेजती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुछ नामिनेशन होते हैं, बाकी चुनाव होता है। उस चुनाव के लिये आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका मंजूर किया। एग्जिक्यूटिव काउन्सिल कैसे बनती है, कौन लोग बैठेंगे, चुनाव का क्या तरीका हो यह सब ऐक्ट और स्टेट्यूट्स में लिखा हुआ है। वह हमने और आपने पास करके भेजा है। सेलेक्शन और अप्वाइंटमेंट कैसे होंगे यह भी लिखा है। चांसलर उसकी अथारिटी है। गवर्नमेन्ट कोई हस्तक्षेप करती नहीं। किसी को शिकायत होती है तो वह चांसलर के यहां रिप्रेजेन्टेशन करता है या अगर सेलेक्शन कमेटी के प्रोसीड्योर में कोई गलती मालूम होती है तो अपील चांसलर के यहां होती है। सारा मेथड कानून में दिया हुआ है। अप्वाइण्टमेंट्स में हस्तक्षेप करना क्या आटोनामी में हस्तक्षेप करना नहीं है? और आज हमारी बाडीज नहीं बन पा रही हैं वहां के किन्हीं अधिकारियों की वजह से--कोई डीन है, डीन एक्जीक्यूटिव कौंसिल में होता है, अब उसका टर्म खत्म हुआ, उसने एक रिट दायर किया कि यह ऐक्ट ही अल्ट्रावायरस है और सारे एलेक्शंस रोक दिये गये, बाडी बन नहीं पा रही है और उसमें आपने पावर दे रखा था कि रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर निकाल सके, उसके बाद हाई कोर्ट का ख्याल हुआ कि ऐक्ट अमेंड कर लेना चाहिये और बिना ऐक्ट को अमेंड किये हुये उस परिस्थिति को ला नहीं सकते जिसमें कि यह बाडीज बन सकें। ऐक्ट अमेंड करने का टाइम हमारे पास है नहीं। हमारे ही आर्डर्स थे, रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का अख्तियार था, हमने निकाला, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हुआ हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन होना चाहिये, वर्ड्स ऐसे हैं कि हम इसके बाहर नहीं जा सकते, ऐक्ट को अमेंड करो। समय नहीं है ऐक्ट को अमेंड करने का। इसलिये यह अध्यादेश निकालने की जरूरत पड़ी।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप देखें कर्ज वाली बात, हमारी यूनिवर्सिटीज खर्च करने के लिये पूरी तरह से बहुत सीमा तक स्वतंत्र हैं। यह बहुत बार प्रश्न उठ चुका है। उनके खर्चे पर क्या कोई गवर्नमेन्ट का कंट्रोल होना चाहिये। यह जो कमीशन कायम हुए हैं उनके सामने भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। आप में से भी बहुत से मित्रों ने बजट के समय बहस करते हुये इस बात को उठाया था। सवाल यह उठता है, मान्यवर, क्या दो मिनट और हैं...

श्री उपाध्यक्ष--अगर आप चाहें तो मैं कुछ और समय बढ़ा सकता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, मैं खत्म कर दूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह समय का बंटन किस प्रकार हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष--२५ मिनट मंत्री जी के लिये हैं अगर वह प्रथम बार बोलें तो, और अभी २३ मिनट हुये हैं। उसके बाद अगर बोलेंगे तो १५ मिनट।

श्री राजनारायण--मैं एक वैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं, वह यह कि यह प्रस्ताव के मुताबिक लिया जा रहा है या विधेयक के मुताबिक?

श्री उपाध्यक्ष--बैठें आप। मैं बताऊं। यह प्रस्ताव के तमाम नियम इस विवाद में लागू हैं। इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री अगर प्रथम बार उसमें भाषण दें तो २५ मिनट बोल सकते हैं या अध्यक्ष जितना समय और दे दें उतने समय तक बोल सकते हैं। माननीय मंत्री जी अगर समय चाहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं चार-पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। इतना ही आप कृपा करके दे दें।

श्री राजनारायण---आपने कहा कि प्रस्ताव के मुताबिक चल रहे हैं तो यह देखा जाय कि प्रस्ताव के लिये समय बंटन की परिपाटी दूसरी है और विधेयक के लिये दूसरी है। तो प्रस्ताव में मंत्री जी एक मर्तबा इंटरवीन करेंगे और फिर प्रस्ताव के आखिर में उत्तर करेंगे। यह प्रस्ताव प्रतापसिंह जी का है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य पहले नियम को पढ़ लें फिर उसको उठावें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---हमारे भाई राजनारायण जी ने तो कहा था कि वह हमको आखीर में समय दे देंगे। मैं तीन-चार मिनट और चाहता हूं ज्यादा नहीं।

अब यूनिवर्सिटी की बात यह है कि यह प्रश्न हमेशा उठता रहा है, इसमें कोई आटोनामी के ऊपर झगड़ा नहीं है और न उनकी आटोनामी पर कोई हस्तक्षेप है। यूनिवर्सिटीज खर्च करती हैं, खर्च वह करती हैं, रुपया हमको देना पड़ता है। मनमाना खर्च कर सकती हैं। उनके खर्च के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब प्रश्न यह होता है कि अगर यूनिवर्सिटीज इस तरह से खर्च करती चली जायं और कर्जा कर कर के गवर्नमेन्ट के सिर पर लादती चली जायं और हमारे लिये सिवाय इसके कि हम कर्ज को अदा करते रहें और उनके खर्च पर किसी तरह का कंट्रोल न कर पायें यह स्थिति क्या हमारे लिये वांछनीय है और क्या इस बोझ को हम उठा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि एक बार यूनिवर्सिटीज ने कर्जा लादा अपने ऊपर। ३१ मार्च सन् १९५४ तक लखनऊ यूनिवर्सिटी का कर्जा १६,७०,००० रुपया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का १८,४३,००० रुपया कर्जा था। इन दोनों को मिलाकर ३४,३५ लाख रुपया कर्जा था। यह प्रश्न यहां की सरकार के सामने आया। बड़ी बहस हुई, फिर यह हुआ कि इस तरह का कर्जा अदा करने की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट की नहीं है, क्योंकि हर साल ग्रांट उनके खर्चे के मुताबिक सरकार उनको देती है। इस तरह का प्राविजन हमारे ऐक्ट और स्टेट्यूट्स में है कि कोई भी नया खर्चा गवर्नमेन्ट से अप्रूवल लेकर वह करे, लेकिन सन् १९५४ तक उन्होंने इतना कर्जा अपने ऊपर कर लिया। इस तरह के कर्जे को अदा करना पड़ता है। अगर उसको अदा न करें तो यूनिवर्सिटी बन्द हो जायं और यदि बन्द न भी हों तो जिनका कर्जा है वह यूनिवर्सिटी की जायदाद को नीलाम करें। यूनिवर्सिटी की जो मेज, कुर्सी, लेबोरेटरी और सामान है वह नीलाम हो और यदि कर्जा दिया जाय तो आप उसको और करते चले जायं। यह परिस्थिति सन् १९५४ में पैदा हुई। फिर फैसला हुआ कि यह कर्जा अदा कर दिया जाय। तो जब ऐक्ट बना उसके मुताबक यह हुआ कि जो नया खर्चा पोस्ट वगैरह का हो वह यूनिवर्सिटी गवर्नमेन्ट की अप्रूवल लेकर बढ़ाये।

मान्यवर, सन् १९५४ और १९५८ के बीच में बावजूद आपके कानून और उसकी धाराओं के फिर यूनिवर्सिटीज के ऊपर कर्जा हुआ। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर, हमने सुना है कि २१,७३,००० रुपये का कर्जा इधर फिर कर लिया है इन ४ वर्षों के अन्दर। गवर्नमेन्ट ने ३ लाख ५ लाख और ४ लाख किश्तों में देकर उनके १६,१७ लाख रुपये के करजे को पिछले ४ वर्षों में अदा किया है। वह अब भी अदा हो रहा है जो कि २१,७३,००० रुपया उन्होंने कर्जा अपने ऊपर किया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह कैसे खर्च किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये कौंसिल जिम्मेदार है। वहां पर कुछ पोस्टें बढ़ी हैं और दूसरा भी काम हुआ है। उसके लिये वहां की एक्जीक्यूटिव कौंसिल बड़ी भारी अथारिटी है वह खर्च करती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ भलमनसाहत से काम किया और उन्होंने अपने ऊपर केवल ३ लाख का कर्जा किया इन चार वर्षों के अन्दर हो। अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल

कालेज है उसका १७,६१,००० रुपया कर्जा अलग से है, यह भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही ऊपर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी ३ लाख कर्जा कर चुकी है। अब यह प्रश्न हमारे बजट के सामने भी आता कि हम क्या करें। कानून में यूनिवर्सिटी के लिखा हुआ है कि बिना अप्रूवल के गवर्नमेन्ट के खर्चा यूनिवर्सिटी न करे। वहां पर पोस्ट क्रियेट होती चलती हैं। ६,६ वर्ष से ये पोस्टें बराबर चल रही हैं। हर साल गवर्नमेन्ट लिखती है कि इन पोस्टों को हम अप्रूव नहीं करते, क्योंकि हमारे बजट में गुंजाइश नहीं है। वह पोस्टें हर साल बढ़ती हैं और चलती रहती हैं और क्रियेट भी होती चलती हैं। नई चार्जें, नये काम यूनिवर्सिटी में होने चाहिये, टीचर भी बढ़ें और लेबोरेटरी भी बढ़े, पोस्टें भी बढ़ें, लेकिन उसकी सीमा भी होना चाहिये। ऐसा होता है कि किसी के घर में एक घर फूंकता लड़का हो, वह घर को फूंकता चले और दूसरी तरफ मकान बनता भी चले। यही परिस्थिति कुछ हो जाती है। अभी देशमुख जी की बात कही गई। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की यह सिफारिश है कि ट्रेजरार की पोस्ट हटाई जाय और फाइनेंस को गवर्नमेन्ट कंट्रोल करे। उसके लिये हमसे कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की राय ले ली जाय। उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास भी भेजा है। हमने कहा है कि गवर्नमेन्ट से क्या राय ले रहे हो, लेकिन यह परिस्थिति है। जिनको आप बड़ी भारी अथारिटी कहते हो वह कहते हैं कि यह चीज खत्म करो, क्योंकि यह चीज चल नहीं सकती। और इस आर्डिनेन्स में केवल इतना कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की इम्मूवेबिल प्रापर्टी को कोई भी आदमी या बैंक अगर वह यूनिवर्सिटी को कर्जा देता है तो वह कर्ज में नीलाम या अटैच नहीं कर सकता। यह इसलिये कि इस कर्ज देने और लेने की प्रवृत्ति पर कुछ रोक लगे, कुछ असर पड़े। यह परिस्थिति उस समय हमारे सामने थी जबकि यह मसला पहले पहल हमारे सामने आया था। हमने उनकी आटोनामी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। समय समय पर ऐसी बातें आयीं कि जिनको जोड़ कर यह बात निकली और मैं समझता हूं कि अगर निष्पक्षतापूर्वक विचार करें तो देखेंगे कि इसमें अटोनामी पर कहीं आघात नहीं है। हमने उन्हीं बातों को किया है कि जिनकी वजह से आटोनामी नहीं रह रही है। जैसा गौरीशंकर जी ने कहा कि तुम उनकी जांच करो और उनके अप्वाइन्टमेंट आदि में और दूसरी चीजों में हस्तक्षेप करो जिनकी वजह से ऐसी परिस्थिति उठती है और फिर उन दिक्कतों को दूर करने की चेष्टा करो, तो यह भी हो सकता है। मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को समाप्त किया जाय और इस पर राय ली जाय।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसका विरोध तो हम कर ही रहे हैं और आप इसको खुद ही एलऊ नहीं करेंगे, क्योंकि कमलापति त्रिपाठी जी का अभी अंतरिम भाषण हुआ है। आपने शादय कहा था कि आप अगर बीच में हस्तक्षेप करना चाहते हों तो अपना मत प्रकट कर सकते हैं, ताकि सदस्यों को कुछ जानकारी हो सके और वे उस रोशनी में चल सकें। तो इस पर आपने २५ मिनट का समय दिया और भाषण २५ मिनट का हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका ख्याल है कि अब यहां नयी रोशनी में भाषण होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश निकालने का एक विशेष अधिकार है जो संविधान के अन्तर्गत किसी राज्य की सरकार को प्राप्त है। उसी संविधान के अन्तर्गत इस आदरणीय सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसका अननुमोदन करे। श्रीमन्, जो अधिकार संविधान के अन्तर्गत दिया हुआ है उसका इस प्रकार से हनन करना कि इस आदरणीय सदन में, जिसके सदस्यों की संख्या ४३१ हो, सम्भव है दो चार कम हों, बहस मुबाहिसे के लिये केवल घंटा या डेढ़ घंटा देना मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब क्लोजर का मोशन आये तो मान्यवर इस बात को देख लें कि किसी प्रकार की

[श्री त्रिलोकी सिंह]

ऐसी बात तो नहीं है कि जो लोग इस बाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको मौका न मिला हो और जितना समय इस के लिये मिलना चाहिये उसमें कोई कमी हो रही है। एक बात में और अर्ज करूंगा कि आम तौर पर यह भी संसदीय प्रथा है कि क्लोजर का मोशन जो प्रस्ताव पेश करता है या तो उससे बात करके लाया जाय, आपस की सलाह से कि इसमें घंटा दो घंटा या चार घंटा लगेगा, उतनी बहस काफी होगी, और जब सलाह में कोई फैसला न हो सके तभी फिर किसी दूसरे को अधिकार है कि चूंकि फिजूल की बहस हो रही है इसलिये क्लोजर का मोशन लाया जाय। जहां तक मुझे इत्तला है, इस सिलसिले में सरकार की पार्टी की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं हुआ कि कितना समय लगेगा, कितने समय पर वह राजी हैं। तो बिना इस प्रकार के व्यवहार के यदि मिनिस्टर खुद क्लोजर मूव करें, इसकी तो कहीं प्रथा ही नहीं मिलेगी....

एक सदस्य--मिनिस्टर ने कोई क्लोजर मूव नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने कोई क्लोजर मूव नहीं किया है।

श्री त्रिलोकीसिंह--माफ कीजिये, मैंने गलत समझा। अपनी कही हुई बात को मैं वापस लेता हूं। मेरी राय में जो प्रश्न यहां उपस्थित है उस पर बहस चालू रहना चाहिये और फिर थोड़ी देर बाद यदि कोई साहब प्रस्ताव लायें और उस समय अगर उसे आप मुनासिब समझें तो उनको इजाजत दें।

†श्री रामेश्वर प्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्लोज़र मूव किया था मैं जरा उसका स्पष्टीकरण कर दूं। मैं अपने माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान का हवाला दिया। मैंने जो मूव किया है वह संविधान प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत ही किया है, उसके खिलाफ नहीं किया है।

उसके साथ-साथ जो माननीय मंत्री जी का भाषण हुआ उसके पहले सुबह से इस आर्डिनेंस पर बहस हो रही है, पहला बिजनेस यही हुआ। उसके बाद जो माननीय मंत्री जी का भाषण हुआ मैं समझता हूं उससे स्थिति काफी साफ हो गयी है।

तीसरी बात यह है कि यह तो अभी आर्डिनेंस है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। इसके बाद ही बिल आने वाला है। तो उसपर हम फिर विचार करेंगे।

तो इन परिस्थितियों में मैंने क्लोज़र मूव किया है। मैं समझता हूं यह उचित समय है और इस बहस को बन्द करके प्रस्ताव पास कर दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं शायद हमारे विरोधी दल के नेता इसमें इन्टरवीन करना चाहते हैं। तो बावजूद इसके कि क्लोज़र मूव्ड है, आप थोड़ा सा समय और दे दें मुझे कोई आपत्ति नहीं मालूम होती। ३ तो बज ही रहे हैं। जितना और समय आप चाहें, दें। यह सभी के लिये है। मैं तो रामेश्वरप्रसाद जी से कहूंगा कि वह क्लोजर को इंजंक्शन द्वारा स्थगित समझें।

श्री उपाध्यक्ष--मेरे सामने जो प्रश्न विवादान्त का रखा गया उस सम्बन्ध में मैंने दोनों पक्षों की राय ली। एक प्रश्न रामेश्वरप्रसाद जी ने उठा दिया कि अभी तो यह अध्यादेश है, फिर विधेयक आयेगा। यह कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि जो राय सदस्य जाहिर करें उससे प्रभावित हो कर वह विधेयक न लावें और यह आर्डिनेंस रद्द हो जाय। तो कोई निश्चित नहीं है कि वह आवेगा ही। तो मैं माननीय सदस्य को रोक नहीं सकता कि उस आशा में कम भाषण करें और मैं समझता हूं उचित वाद-विवाद के लिहाज से भी वह समय नहीं आया है कि इस विवादान्त के प्रस्ताव को मैं मंजूर करूं। इसलिये मैं कहता हूं कि विवाद जारी रहे।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह रूल्स की किताब में बाद में दिखा दूंगा। आपने कहा था कि रूल्स दिखाऊं, लेकिन भाषण को बुला लिया। किन्तु मैं चाहता हूं कि आपका डिपार्टमेंट भी पढ़ ले और आपको मैं भी बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष--यह सब क्या है, स्पष्टीकरण चाहते हों तो कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--१०७ पेज पर देखें--

"After the member who makes a motion has spoken, other members may speak on the motiion in such order as the Speaker may determine. If any member when called upon by the Speaker does not speak, he shall not be entitled.....

श्री उपाध्यक्ष--नियम कौन-सा है ?

श्री राजनारायण--२९२ नियम। आपने जो माननीय मंत्री जी को बीच में अपना भाषण करने का अधिकार दिया।

श्री उपाध्यक्ष--आप नियम ९९ देखें।

श्री राजनारायण--९९ को तो मैं खुद पढ़ता। यह है--

"No speech shall, except with the permission of the Speaker, exceed fifteen minutes in duration".

एक सदस्य--यह अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ?

श्री राजनारायण--सचमुच बड़ी शर्म आती है कि अंग्रेजी में ये बांटी जाती हैं। सरकार को भी शर्म आनी चाहिये कि वह ऐसी किताबें न बांटे।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--एक प्रश्न चल रहा है।

नियमों के द्वारा वह चाहते हैं कि यह स्पष्ट हो जाय कि कितना समय माननीय मंत्री जी को और माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, आपने हिन्दी में नियम ९९ पढ़ने को कहा। ९९ में यह है--"किसी भाषण की अवधि अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी :

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बद्ध विभाब का भारसाधक मंत्री, जब वे उस पर पहली बार बोलें, २५ मिनट तक या इससे इतने और अधिक समय तक जिसकी अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बोल सकेंगे"

इसमें लिखा है कि पहली बार बोलेंगे इसलिये किसी दूसरे भाषण के लिये नहीं है। मान लीजिये एक विधेयक है उस पर हमने संशोधन प्रस्तुत किया.....

श्री उपाध्यक्ष--यह रेजोल्यूशन के सम्बन्ध में है। आप नियम ९६ देखें "संकल्पों का प्रस्ताव तथा वापसी", यह रेजोल्यूशन के लिये ही है।

श्री राजनारायण--लेकिन मंत्री जी की तरफ से तो रेजोल्यूशन नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--जी हां, माननीय सदस्य की ओर से है।

श्री राजनारायण--यह है कि जो से अध्यादेश है वह अनुमोदित किया जाय।

[श्री उपाध्यक्ष--वह भारसाधक मंत्री हैं।

श्री राजनारायण---इसका मतलब यह है कि जब प्रथम बार बोलें तो आप उनको २५ मिनट देंगे और उसके बाद चाहें तो उसी कन्टीनुएशन में वह आप से ५० मिनट या ४० मिनट के लिये कह सकते हैं । यह केवल पहली बार के लिये है न कि दूसरी बार या तीसरी बार के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी दो बार बोल सकते हैं । पहले भाषण के लिये लिखा है २५ मिनट उनको दिया जायगा और दूसरे भाषण के समय जैसा कि नियम ९९ में परन्तुक के पहले लिखा है : "किसी भाषण की अवधि अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना १५ मिनट से अधिक नहीं होगी" उनको १५ मिनट का समय होगा और पहली बार २५ मिनट का होगा लेकिन मुझे अधिकार है कि मैं पहली बार भी और दूसरी बार भी उनके समय को बढ़ा सकता हूं ।

श्री राजनारायण---इसमें शंका मेरी यह है कि राइट आफ रेप्लाई किसको है, मूवर को है या मंत्री जी को है ? यह राइट जिसको होगा वह दोबारा बोलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---२९२ (३) के अन्तर्गत दोनों को ही है ।

श्री राजनारायण---अंतिम राइट आफ रेप्लाई किस को है ?

श्री उपाध्यक्ष---जैसी स्थिति होगी ।

श्री राजनारायण---इसमें स्थिति ऐसी है जैसी कि मैं कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---अंतिम भाषण किसका होगा, यह प्रश्न नहीं है ।

श्री राजनारायण---जहां मंत्री को राइट आफ रेप्लाई नहीं है वहां क्या वह दो बार बोलेगा । जहां मंत्री को राइट आफ रेप्लाई है वहां तो वह बीच में भी इन्टरवीन कर सकता है, लेकिन जहां पर राइट आफ रेप्लाई नहीं है वहां उसको नहीं मिल सकता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, मेरी प्रार्थना यह थी कि मैं आपके आदेश से बोला और हमारे भाई राजनारायण जी ने कहा कि तुम को जवाब देने के लिये मौका मिलेगा, लेकिन फिर उन्होंने यह प्रश्न उठा दिया । अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः यानी प्रसन्न भी हों तब भी भयंकर लगें ।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अगर तीन बार भी बोलना चाहें तो वह बोल सकते हैं, लेकिन नियमों की जब बात आती है तो उसको रखना पड़ता है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय कमलापति जी को एक घंटा बोलने दिया जाय ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी इस बात को ध्यान में रखें कि जितना ही इन्टरवीनिंग भाषण मंत्री जी का लम्बा होगा उतना ही वह मैटीरियल देगा । इसलिये उधर के बैठने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मंत्री जी के इतने लम्बे इन्टरवीनिंग भाषण के बाद, इतना मैटीरियल देने वाले भाषण के बाद फौरन ही क्लोजर मूव कर देना बुद्धिसंगत नहीं मालूम होता ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, काफी प्रकाश लोगों को मिल गया । मैं अपनी ओर से, आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों के और खास तौर पर माननीय कमलापति जी को बता देना चाहता हूं कि कभी भी समय पर पाबंदी लगाना अच्छा नहीं होता । हम तो सदैव ही इस विचारधारा के रहे हैं कि भाषण असीम वातावरण में हों और जब कि जनतंत्र की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दुहाई दी जाती हो, उस समय लोग दूसरे के विचारों को सुनना पसंद न करे, विचारों को समय की परिधि में बांध कर अपने ढंग से नियंत्रित करना चाहें, यह उचित नहीं है।

मैं आपके द्वारा माननीय कमलापति जी से एक निवेदन कर दूं कि सदन में कई बार चर्चा हुई मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट की। उस रिपोर्ट से माननीय कमलापति जी भी अपने को संबद्ध करते हैं। इसी सदन में दो, तीन बार कहा गया था, काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर जब लाठीचार्ज हुआ तो सरकार ने कहा कि उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो केन्द्रीय सरकार का विषय है। वे जानते हैं कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट में क्यों यह बात आयी कि वाराणसी विश्वद्यालय के नियंत्रण में रहने वाले कालेजों का सम्बन्ध उनसे तोड़ दिया जाय। क्या इस बात की सफाई माननीय मंत्री जी ने अपने बीच के भाषण में की? क्या उन्होंने इस बात को बताया कि सरकार की क्या इच्छा थी? मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिये केन्द्रीय सरकार से कोई आदेश वहां गया, जैसा कि कमलापति जी ने संकेत किया, या विश्वविद्यालय को यह अधिकार था कि वह कोई ऐसा आदेश दे जिससे वे कालेजेज असंबद्ध हो जायं, तो क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उन कालेजेज की तरफ से आया था कि हमको अलहैदा कर दिया जाय? मैं वहां के हरिश्चन्द्र कालेज से संबंधित रहा हूं और हरिश्चन्द्र कालेज और डी० ए० वी० कालेज के प्रोफेसर्स और अध्यापक मुझसे मिलते रहते हैं, तो उन्होंने और वाराणसी में रहने वाली जनता ने क्या कसूर किया था कि उनको वाराणसी विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया और उसका सम्बन्ध गोरखपुर विश्वविद्यालय से कर दिया गया? क्या उन लोगों ने ऐसी कोई मांग की थी? माननीय कमलापति जी कहते हैं कि उन्होंने की थी। "मूंदौ आंख कतऊ कोई नाहिं" फैजाबाद के लिये कहा गया कि वह आगरे से बहुत दूर पड़ता है। नदी के पार गोरखपुर है क्यों न उसका सम्बन्ध उससे कर दिया जाय? क्या वाराणसी के कालेजों पर वह चीज लागू नहीं होती? फिर क्यों उनका सम्बन्ध काशी विश्वविद्यालय से तोड़ कर गोरखपुर से कर दिया गया? बनारस और गोरखपुर की दूरी तो माननीय मंत्री जी जानते ही होंगे। इतनी दूर जाने में क्या दिक्कतें और परेशानियां होंगी? कोर्ट की, समितियों की तथा दूसरी बैठकों में सम्मिलित होने में क्या दिक्कतें होंगी, क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है? मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट बिलकुल एकांकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार काम नहीं होना चाहिये। क्या केन्द्रीय सरकार को इस सरकार ने ऐसा बताया? जब बजट अधिवेशन चल रहा था तो कई दिनों विवाद इस सदन में चला। तब क्या सरकार सो रही थी? मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पहले ही प्रकाशित हो गयी थी। वाराणसी में और सारे प्रदेश में इसके लिये तूफान मचा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आता कि वाराणसी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वहां के प्रोफेसर्स ने ऐसा कौन-सा पाप किया जो उनको इतने सन्निकट विश्वविद्यालय से हटा कर इतनी दूर फेंक दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष—यह डिसएफीलीएशन क्या राज्य सरकार ने किया?

श्री राजनारायण—मैं केवल इतना ही जानता हूं कि वह राज्य सरकार के संकेत पर हुआ था। राज्य सरकार ने जब अध्यादेश जारी कर दिया तो वहां के अधिकारियों को संकेत कर दिया कि देखो, अब हमने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि इस समय तुम अपने यहां से सम्बन्ध विच्छेद कर लो तो अब कोई वावेला नहीं मचेगा और अगर वहां के प्रोफेसर्स वगैरह हमसे कहेंगे तो हम उनसे कह देंगे कि अब आप गोरखपुर चले जायं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं जरा बात साफ कर दूं कि ऐसी बात नहीं थी। हरिश्चन्द्र कालेज से रिप्रेजेंटेशन आया, वहां के और कालेजों के लोग आये और उन्होंने कहा कि हमको आर्डर मिल गया है कि तुम्हारा कालेज १ जुलाई से डिसऐफिलिएट कर दिया गया है

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इसलिये तुम अपनी व्यवस्था किसी दूसरी जगह कर लो। इसलिये अगर हमारे कालेज का कहीं एफिलियेशन नहीं होता है तो न हमारे यहां ऐडमिशन ही हो सकता है न वह डिग्री कालेज ही चलेगा। तो जब उनको ऐसे आदेश मिल चुके थे तब जा कर हमें यह कार्य करना पड़ा।

श्री राजनारायण—मैं माननीय कमलापति जी का आभारी हूं कि उन्होंने यह बात साफ कर दी लेकिन यह बात मुझे पहले से भी साफ थी और अपने भाषण के अन्दर भी उन्होंने साफ कर दिया था लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। पहली जुलाई से न उनका सम्बन्ध विच्छेद होना था, "खोखी उठे भिनसहरा और मुंह बायें सांझ"। माननीय कमलापति जी वाराणसी के रहने वाले हैं, क्या वे कह सकते हैं कि पहली जुलाई से सम्बन्ध विच्छेद का निश्चय केन्द्रीय सरकार ने किया या इस निश्चय को लेने के पूर्व प्रान्तीय सरकार की कोई सम्मति ली थी? क्या प्रान्तीय सरकार बिलकुल हवा है कि यहां तो कह दिया कि हमको इस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो वहां पर मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, प्रान्तीय सरकार को इसकी जानकारी है और मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट उसे पढ़ाई गयी है। राज्यपाल महोदय जब वाराणसी गये तो वहां का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि यहां के कालेजों को काशी विश्वविद्यालय से हटा कर दूसरी जगह न जाने दें। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या किया है? माननीय कमलापति जी बतलायें कि जब उन्होंने सारे प्रदेश की शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया है तो क्यों नहीं प्रान्तीय सरकार का डेपुटेशन केन्द्रीय सरकार के पास भेजा, क्यों नहीं मेमोरेंडम भेजा और क्यों नहीं प्रान्तीय सरकार ने माननीय नेता विरोधी दल से कहा कि वाराणसी के ५, ६ कालेजों को डिसऐफिलिएट करके गोरखपुर भेजा जा रहा है इसलिये आप इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत करें या यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बातचीत करें। एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गयी है मगर आप जरा देखें कि हरिश्चन्द्र कालेज के अधिकारी चिन्तित हो गये और हम सब को चिन्ता हुई कि केन्द्रीय सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बनारस में रहने वाले कालेजों को पहली जुलाई से डिसऐफिलियेट कर दिया। जब सब लोगों को यह मालूम हुआ कि इन कालेजों को काशी विश्वविद्यालय से काट कर गोरखपुर भेजा जा रहा है तो सभी चिन्ता में पड़ गये। फिर माननीय कमलापति त्रिपाठी जी, जो सारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, वे दिल्ली क्यों नहीं गये या यहां से कोई प्रतिनिधिमंडल वहां क्यों नहीं भेजा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में इस तरह की धांधलियां नहीं चलेंगी? क्या माननीय कमलापति जी ने अपने कर्त्तव्य को पूरा किया? माननीय कमलापति जी को जो अधिकार मिले हैं क्या उस अधिकार का उन्होंने सही इस्तेमाल किया है? मैं तो कत्तई मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से बिना पूछे हुए ही इस तरह का कदम उठाया हो। उन सारी बातों का केन्द्रीय सरकार समर्थन करती है, प्रान्तीय सरकार समर्थन करती है जो काशी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हो रही है और मुझे मालूम है कि प्रान्तीय सरकार की राय से सारी बातें हो रही हैं।

श्रीमन्, मेरे माननीय मित्र ने जो इस सम्बन्ध में संशोधन पेश किया है कि इसका अननुमोदन किया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे सामने जो तर्क रखे गये उनसे यह नहीं मालूम हो सका कि इस अध्यादेश की आवश्यकता क्या थी। मुझे मालूम है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने, वहां के कोषाध्यक्ष और बड़े-बड़े उच्चाधिकारियों ने अपने अपने जमींदारी बान्ड्स विश्वविद्यालय कोष से खरीदवाये हैं। क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम नहीं है? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है? रोज उनके दरबार में लोग आते हैं और तमाम तरह की बातें कहते हैं, उनको क्या मालूम नहीं है कि किस अधिकारी ने विश्वविद्यालय के पैसे से जमींदारी बांड खरीदे हैं? वह चाहें तो उसकी लिस्ट सदन के सामने उपस्थित करें तब सब को पता होगा कि किस तरह से वहां के अधिकारी विश्वविद्यालय के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा आभास है कि जो बनारस की बातें हैं वह श्री कमलापति जी को जानना चाहिये, अगर वह

नहीं जानते हैं तो उन का दोष है। अभी श्री गौरीशंकर राय जी का हवाला देकर कहा गया कि सरकार से कहा जाता है कि हस्तक्षेप करो। कभी-कभी दूसरे मंत्री लोग भी ऐसा कहते हैं कि तुम चाहते तो हो कि हस्तक्षेप न हो और कहते हो कि सरकार हस्तक्षेप करे। हम तो सदा कहते हैं कि सही माने में अगर शक्ति का बटवारा हो जाय तो हमें कतई भी किसी मंत्री के पास जाने की कभी आवश्यकता न होगी, लेकिन जब सारी शक्ति मंत्री जी अपने हाथ में ले लेंगे और उनके हाथ में ताकत पहुंचने से कुन्बापरस्ती, भाई-भतीजावाद बढ़ेगा तो हमें उनके पास जाना ही पड़ेगा और तब वह किस तरह अनुचित होगा। सारी ताकत भी वह अपने हाथ में लिये बैठे रहें और हर तरह की तानाशाही, खुराफात हो तो क्या उसपर भी हम कुछ न कहें कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है? मैंने उनसे पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि बनारस का एक मामला नहीं है सैकड़ों मामले हैं। वहां के डिप्टी डायरेक्टर अधिकारी हैं, वहां एक प्रोफेसर के बारे में आर्डर हुआ उसको लेकर वह मैनेजमेंट के पास पहुंच गया, मैनेजमेंट विरोध में था, फिर आर्डर रिवाइज किया गया और कहा गया कि पहला आर्डर ही ठीक है। प्रोफेसर को चार्ज नहीं दिया जाता। फिर सरकार की ओर से डिप्टी डायरेक्टर से कहा जाता है कि अपने आर्डर को चेन्ज करो, वह कहते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। फिर मंत्री जी की तरफ से कहा जाता है कि उस आर्डर को बदलो। इस तरह से शिक्षा की नीति चल सकती है, इतना बड़ा अधिकार अपने हाथ में लेने के बाद डिप्टी डायरेक्टर दो-दो आर्डर देते हैं, रिवीजन को रिवाइज कराया जाता है। यदि सरकार के इशारे पर भी डिप्टी डायरेक्टर काम नहीं करते तो सरकार उन को परेशान करती है। किस कानून, किस सिद्धान्त, किस संविधान में लिखा है कि बार-बार रिवीजन को रिवाइज किया जाय?

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—हस्तक्षेप कहां हुआ है, वह आप बतायें।

श्री राजनारायण—यह हुआ है एक वाराणसी के कालेज में।

श्री उपाध्यक्ष—आप व्यक्तिगत मामलों को लेकर ज्यादा न कहें।

श्री राजनारायण—मैं नीति पर आ रहा था श्रीमन्, मैं बता रहा था कि सरकार ने सारी ताकत अपने हाथ में ले रखी है अगर उस को सरकार दे दे, मेरा मतलब है कि वाराणसी के अन्दर जितने कालेज हैं वे वाराणसी की जनता द्वारा चुने हुए लोगों की कमेटी से संचालित हों, तो हमें या किसी को कभी सरकार के पास आने की जरूरत न होगी। इसी को मैं चौखम्बा राज्य कहता हूं। इसी तरह से सभी प्रारम्भिक शिक्षा संस्थाएं अगर ग्राम सभाओं के अन्तर्गत चली जायं तो कोई दौड़ कर नहीं जायगा मंत्री जी के पास और वह अपना काम आप सम्भाल लेंगी, परन्तु सरकार तो शिक्षा में भी तानाशाही चला रही है। आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, सभी संशोधित कर डाले गये। मैं बड़े अदब के साथ कहना चहता हूं कि उस समय आप उपाध्यक्ष पद पर नहीं थे उस समय एक सदस्य की हैसियत से इस विषय में आपने भी अपनी सम्मति व्यक्त की थी। प्रोफेसर्स की और वाइस-चांसलर की नियुक्ति हर चीज सरकार ने अपने हाथ में रखी है। अभी मैं पिछली बार माननीय राज्यपाल जी से मिलने गया तो मैंने देखा कि गोरखपुर के वाइस-चांसलर महोदय वहां पहले से ही मौजूद थे। आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो झगड़ा खड़ा है उसे आप नहीं जानते? क्या सदन के सम्मानित सदस्य नहीं जानते?

श्री उपाध्यक्ष—यह विषयान्तर है।

श्री राजनारायण—उसमें जाने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन जा रहा हूं इसलिये कि माननीय कमलापति जी ने जिक्र कर दिया। सारी कोर्ट का काम ठप, शिक्षण संस्था की सारी व्यवस्था ठप। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? सारी सरकार ठप है, सारी

[श्री राजनारायण]

शिक्षण संस्थाएं ठप हैं, सारा विधान ठप है। खुली हुई क्या चीज है ? खुली हुई है कुन्बापरस्ती। अगर माननीय सी० बी० गुप्ता कमलापति जी के ग्रुप में होते तो कोई हस्तक्षेप की जरूरत न होती। कोई प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की व्यवस्था चालू करने की जरूरत न होती, क्योंकि अब वहां की व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में है जहां कि सरकारी तिकड़म चलती नहीं, इसलिये जरूरत हुई। हमारा न सी० बी० गुप्ता से मतलब है न सम्पूर्णानन्द जी से मतलब है। हमारा विधान से, कायदे से और कानून से मतलब है। जो सही काम करेगा उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत करेगा उसकी निन्दा करेंगे चाहे कोई हो। हम यह नहीं मानते हैं कि जवाहर लाल जी तो दूध के धोये हैं बाकी सब गलत हैं।

सरकार यह अध्यादेश क्यों चाहती है ? इस अध्यादेश को हटाने का जो प्रस्ताव भाई प्रतापसिंह जी ने मूव किया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, और आपके द्ववारा निहायत अदब के साथ कमलापति त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें और सदन का समय नष्ट न होने दें, उसका सदपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अगर मंत्री जी अपनी हटवादिता का परिचय दें तो भाई प्रतापसिंह के संशोधन के पक्ष में सभी अपना मत दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के स्पष्टीकरण को सुना और उसके पहले माननीय कैलाशप्रकाश की टिप्पणी भी सुनी। साथ ही माननीय राजनारायण जी के ठपवादी भाषण को भी सुना। उससे ऐसा लगा कि ..

श्री उपाध्यक्ष---आपने माननीय राजनारायण जी के भाषण को क्या विशेषण दिया ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---ठपवादी। श्रीमन्, हमारा जो मुख्य विषय है वह अध्यादेश है। इसके दो अंग हैं। एक तो यह कि अध्यादेश की आवश्यकता थी या नहीं और दूसरे जिन-जिन विषयों पर उसमें चर्चा है वह आवश्यक हैं या नहीं।

मान्यवर, अध्यादेश में जिन यूनिवर्सिटीज की चर्चा हैं उनमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी है। अभी पारसाल जो यूनिवर्सिटी का कार्य शुरू हुआ तो उसमें कोई ऐसी विधि नहीं थी जिसमें कोर्ट बन सके। तो हम सब लोगों नें जो उधर के विधायक थे, कहा कि एक वाइस (–) चांसलर को इतनी शक्ति दे दें कि सारी यूनिवर्सिटी को शैशवावस्था में चलाये ठीक नहीं है। इसलिये कोई परामर्शदात्री समिति की तरह से प्रशासन की ओर से या चांसलर की ओर से होनी चाहिये जो सुझाव दे या नियंत्रित रूप में रखे, और उसी सुझाव के अनुसार चांसलर ने कुछ लोगों की एक समिति बनाई जिसका कार्यकाल इसी मई, जून में समाप्त हो गया। उसके मातहत १६५ नियुक्तियां हुईं। ४०–४५ अध्यापक राणा प्रताप कालेज के सब लोग ले लिये गये। राणा प्रताप एक साम्प्रदायिक संस्था है ....

श्री उपाध्यक्ष---इस अध्यादेश से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---कांस्टीटुएन्ट कालेज है श्रीमन्। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो कोर्ट बनाने की बात है.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वान्ट आफ आर्डर ....

उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्ता बोल रहे हैं वे संस्था को कम्यूनल कह रहे हैं जिसके सदस्य यहां उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यह अनुचित बात है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में आप इस तरह क आपत्तिजनक शब्द न कहें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि इस तरह से तो बहुत सी संस्थायें इस प्रदेश में कम्यूनल हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की। किसी संस्था का केरेक्टर कम्युनल हो सकता है ।

श्री राजनारायण---यह सरकार साम्प्रदायिक है और साम्प्रदायिक संस्थायें चला रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप बीच में इस तरह से न बोलें ।

श्री राजनारायण---वे बैठ गये थे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---तो मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कह रहा था । उसके अन्तर्गत जो एक मुख्य संस्था अधिष्ठात्री थी सनेट का वह काम नहीं कर रही है वहन बन सकी । इसी प्रकार ग्रेजुएट कांस्टीटुयेंसी का चुनाव भी अभी अधर में लटका हुआ है । अब जब ऐसी स्थिति हो तो क्या किया जाय ? वाइस-चांसलर के विरुद्ध एक संस्था बनी जिसमें केवल सात सदस्य थे जिसके बारे में माननीय मदनपांडेय जी ने कल भी कहा था और आज भी कहा । अब उन सात सदस्यों में से ३ सदस्यों की कार्यकारिणी उन्होंने बना ली और वाइस-चांसलर के विरुद्ध चार्जेज बनाये । अब अगर इस तरह से अटानामास बाडीज में ही सही, सारी संस्थाएं काम करने लग जायं तो आवश्यक हो जायगा कि उसमें हस्तक्षेप किया जाय । अब अगर चुनाव होगा तो वहां के सब लोग चुनेंगे और साथ ही साथ ग्रेजुएट कांस्टीटुयेंसी से भी चुनाव हो जायगा । इसलिये गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये यह करना अत्यावश्यक था और इसलिये भी यह आवश्यक था कि जुलाई में और उससे पहले यह चीज कायम हो जानी चाहिये थी जिसमें उसके ऐप्रूवल से तमाम काम शुरू हो सकें । इसलिये आवश्यकता थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये ऐसा अध्यादेश जारी हो और वह हुआ ।

अब इलाहाबाद के बारे में बात है । हम विधान सभा में देखते हैं कि हमारे आजकल जो लाज हैं वे इस कारण कि परिस्थितियां इतनी विकसित होती जा रही हैं, और विज्ञान के साथ-साथ उनका इतना विकास होता जा रहा है कि जितने विधान यह सदन ही बनाता है वह छोटे पड़ते जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में जो घुमा फिरा कर अपने स्वार्थों के हितों में कायदे कानून को किस तरह से रखा जा सकता है जानते हैं। इसलिये ऐसी दिक्कतें पड़ती हैं। पारसाल भी इसलिये अमेंडमेंट आया और इस साल भी अमेंडमेंट आया । इसलिये अध्यादेश लाना पड़ा कि उस चीज को किस तरह से ठीक किया जाय । और सदन का कर्त्तव्य है, इस सरकार का कर्त्तव्य है और शिक्षा मंत्री जी का कर्त्तव्य है कि वह इस मामले को ठीक ठीक हल कर दें ।

हस्तक्षेप की बात कौं जहां तक सम्बन्ध है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने फिगर्स दिये कि सन् १९५४ में लखनऊ एवं इलाहाबाद का ३४ लाख कर्जा था और १०,१५ लाख इधर कर्जा और हुआ । इसके साथ ही यह भी बात सही है कि दस, दस और पन्द्रह पन्द्रह वर्षों से जो लोग इसमें हैं उनके स्वार्थों को धक्का लगता है तो वे लोग प्रजातंत्र के नाम पर, किसी को रोकते हैं नहीं, तरह तरह की बातें पैदा करते रहते हैं। इसलिये जो लोग प्रशासन में हैं वे भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और यह सब होने दें, यह उचित नहीं है और उनके लिये आवश्यक है कि वे ऐसा कानून बनावें जिसमें उस संस्था के चलने में कम से कम हस्तक्षेप हो और उसमें व्यवस्था आ सके । श्रीमन्, यह भी सही है कि अगर उसमें विधि विधान नहीं होगा तो जैसा कि राजनारायण जी कहते हैं कि जातिवाद है, बिरादरी-वाद है, स्वार्थवाद है रिश्तेदारवाद है, चचा भतीजावाद है वह और अधिक चलने लगेगा । जितना अभी चल रहा है उससे अधिक चलने लगेगा । विश्वविद्यालय ऐटानामस है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें जो लोग सत्ता में हैं वे ऐसी चाजें कर रहे हैं, जिनमें यह आवश्यक था कि

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

लखनऊ और इलाहाबाद दोनों विश्वविद्यालयों में, इस सत्र के शुरू होने के पहले वहां के लिये अध्यादेश जारी हों। जुलाई में नयी नियुक्तियां होती हैं। हर साल कुछ नियुक्तियां होती हैं, कुछ को प्रोमोशन्स मिलते हैं। अब इसे कौन करेगा अगर एक्जाक्यूटिव कौंसिल डिफंक्ट पड़ा हुआ है। शासन ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। वह इसमें ऐसा काम करे इसलिये जो अध्यादेश जून में जारी किया गया वह आवश्यक था और समय की मांग थी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो दिक्कतें आ गयी थीं उन दिक्कतों को दूर करने की बात है। प्रशासन ने कोई सत्ता हाथ में नहीं ली है। रही धन की बात तो यूनिवर्सिटी की जो आमदनी है उसके बाद अगर घाटा आये तो वह प्रशासन देता है। लिहाजा प्रशासन को अधिकार है कि उसके खर्चे पर नियंत्रण रखे। जो यह व्यवस्था रखी गयी है वह यही है कि बिना प्रशासन की स्वीकृति के कोई व्यय नहीं हो सकता। यह मान लिया जाय कि किसी का १८ लाख रुपये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर कर्जा है और वह किसी कम्पीटेंट कोर्ट में दावा करे और विश्वविद्यालय के होस्टल्सऔर वाइस-चांसलर की कोठी नीलाम होने लगे तो शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी ? इसलिये ऐसी परिस्थिति से बचने के लिये यूनिवर्सिटी की जो सम्पत्ति है उसका सुरक्षित रहना अनिवार्य है, ताकि शिक्षण का काम ठीक से चलता रहे। इसलिये यह आवश्यक है कि कोई पूंजीपति सुप्रीमकोर्ट में जा कर उसको नीलाम करा सके, इसे रोका जाय, क्योंकि शिक्षा संस्थाएं ऐसे स्थान हैं जहां राष्ट्र का विकास होता है। प्रशासक वगैरह हर तरह के लोग वहीं से आते हैं। उनकी तरफ से आंख नहीं मूंद सकते।

काशी विश्वविद्यालय की बात जो है वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। उसके हस्तक्षेप में दुख हुआ, केन्द्र को लिखा गया। बहुत से माननीय सदस्यों ने लिखा। मैं भी मानता हूं कि वह नहीं होना चाहिये था। किसी परिस्थितिवश ऐसा हो गया। मुदालियर कमेटी बैठी। उसने रिपोर्ट दी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार कह दिया गया कि वाराणसी के ३ डिग्री कालेज हरिश्चन्द्र, बसन्त कालेज व डी०ए०वी० को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया जाय, क्योंकि वाराणसी का विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है। इन कालेजेज के विद्यार्थियों की संख्या मिला कर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। उससे बड़ा कारबार बढ़ जाता है। इसलिये उन्होंने कहा कि काशी विश्वविद्यालय का जो रेजिडेंशियल करेक्टर है उसे मेनटेन करने के लिये डिग्री कालेजेज को जुलाई से पहले डिसएफिलियेट कर दिया जाय। पत्रों में इसकी बड़ी चर्चा थी। यह परिस्थिति थी। हजारों लड़के इन कालेजेज में पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई बन्द न हो जाय, उसके लिये कोई व्यवस्था की जाय, इसी के कारण तीनों डिग्री कालेज किसी विश्वविद्यालय को देने थे। आगरा बहुत दूर पड़ता है। जैसा मंत्री जी ने कहा गोरखपुर ७ वें रीजन में आता है और सबसे निकट पड़ता है। फैजाबाद भी उसमें आता है। इंटरमीडिएट तक जो रीजन है वह ७वां रीजन है जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर है। इसलिये डिग्री कालेजेज भी इस रीजन के गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही एफिलियेट किये जा सकते थे। इसलिये बनारस के अलावा मिर्जापुर और फैजाबाद भी उसमें आ गये। इन ३ डिग्री कालेजेज को संयोग से काशी विश्वविद्यालय ने डिसएफिलियेट भी कर दिया होता, जिससे हजारों लड़कों की जिन्दगी खराब हो जाती। इसलिये गोरखपुर विश्वविद्यालय से इनको एफिलियेट किया गया। एक वर्ष के लिये फिलहाल यह एफिलियेशन मिला है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक था कि बनारस जिले को भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्दर कर दिया जाय।

रही फैजाबाद की बात। तो इसके लिये हमने बार बार मांग की कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इसको एफिलियेट किया जाय। इंटरमीडिएट तक की एजूकेशन गोरखपुर डिवीजन से व्यवस्थित रहती है, इसलिये यह आवश्यक था कि डिग्री कालेजेज भी उसमें मिला दिये जायं। १९५६ में जब ऐक्ट आया तब यह मांग की गयी। १९५७ में फिर यह मांग की गयी की गोरखपुर से फैजाबाद को मिला दिया जाय। अब आप बतलायें कि अध्यादेश में कौन सी ऐसी बात है जो समय से पहले हो गयी, जिसकी मांग नहीं थी या जो आवश्यक नहीं था। आवश्यकता

थी और यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति पर भी आर्थिक दृष्टि से ही प्रशासन का कंट्रोल रखा गया और साथ ही साथ शिक्षा का प्रसार व प्रचार हो सके, एडमीनिस्ट्रेशन ठीक से चल सके और कोर्ट व कायदे कानून को ले कर बाडीज डिफंक्ट न हो सके इस कारण यह अध्यादेश लागू किया गया। इसलिये यह एक ऐसा निर्दोष अध्यादेश है जिसका समर्थन सभी पार्टीज की ओर से होना चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि किसी को कोई इसमें आपत्ति हो सकती है ?

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह अध्यादेश जारी करने की जरूरत क्यों हुई ?. सरकार के मंत्रियों तथा उनके मंत्रियों द्वारा बनाये हुये कानून इस कदर कमजोर, कन्फ्यूज्ड और लचर थे, लेजिस्लेशन इस कदर हेस्टी और कन्फ्यूज्ड था कि उसमें लैक्यूना रहा और लोगों को रिट्स के द्वारा हाई कोर्ट जाने की नौबत आयी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अब तो सफाई हो गयी।

श्री सुरथबहादुर शाह---जरा सुनिये। तो मैं आपसे इजाजत मांगा कि मैं आपके मंत्री से यह कहूं कि "डू यू विश टु टेक ऐडवैन्टेज आफ योर ओन डिफाल्ट ?"

श्री उपाध्यक्ष---अंग्रेजी में माननीय सदस्य न बोलें।

श्री सुरथबहादुर शाह---श्रीमन्, वे समझ गये, वे शिक्षा मंत्री हैं। आर्डिनेन्स का जारी करना कांस्टीट्यूशन को मिसयूज करना है, और डेमोक्रेसी का हनन है। महज यह कह देना कि इन मजबूरियों की वजह से किया गया, काफी नहीं है। जैसा मैंने अर्ज किया, ये खुद अपनी डिफाल्ट्स का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की दुर्दशा का कारण क्या है। यदि यह कहा जाय कि एक ओर वे पेशेवर एग्जीक्यूटिव कौंसिलर्स हैं जो कि उसको अपनी बपौती बनाना चाहते हैं तो दूसरी ओर ये और इनकी सरकार है।

फिर उन्होंने १६ लाख का कर्जा अदा करने की बात तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भलमनसाहत के बारे में फरमाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से भलमनसाहत नहीं हुई, क्यों ? इसलिये नहीं हुई कि वहां जो शख्स थे वे कल तक आपकी सरकार के एक प्रमुख और खास आदमी थे और आज भी यू० पी० सी० सी० के खास हैं।

श्री उपाध्यक्ष---'आप' के बजाय माननीय मंत्री और सरकार कहें, क्योंकि बार बार 'आप' कहने से मुझे परेशानी होती है।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, मैं सम्बोधन आपको करना चाहता हूं। 'आप' से मेरा मतलब उन्हीं से है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि "फार दि सेक आफ वन बैड ब्वाय व्हाई डू यू वान्ट टु पेनेलाइज आल ? (For the sake of one bad boy why do you want to penalise all ") ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह जो 'आॅल' उन्होंने कहा आप समझे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---सदन की भाषा हिन्दी है इसलिये मैं हिन्दी में ही समझता हूं।

श्री सुरथबहादुरशाह---तो इसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा सन्देह होता है कि हमारे मंत्री महोदय को कुछ जरा संकोच, कुछ जरा तकलीफ इस बात की होती है कि जो यह शिक्षा की नीति बरतना चाहते हैं यह अपनी पार्टी की नीति को सोचते हुये करना चाहते हैं, कहीं कुछ ऐसा न कर डालें कि पार्टी में सफाई देनी पड़े। वरना सन् १९५७ में आपने स्टैट्यूटस लागू

[श्री सुरथबहादुर शाह]

किये और आज तीन वर्ष में आप कुछ कर ही नहीं पाये ? आपके ऐसे कमजोर सलाहकार हैं। यह तो आपके मंत्रियों की हालत है। आज तीन स ल हो गये ५०–६० टीचर्स अभी तक पड़े हुये हैं, दो ग्रेड सिस्टम ही नहीं लागू हो पाया। ५५ टीचर्स के करीब तो एफिशेन्सी बार पर रुके हुये हैं। यह तो कानून की हालत है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऋण लेने की शक्ति को ले लेना यह फिर मेरे खयाल से गलत है। कारण कि डेवलपमेंट स्टेज में किसी भी संस्था का काम बगैर कर्जे के चल नहीं सकता है और विशेषकर जब कि आपने जनता को इतना गरीब और दरिद्र कर दिया है कि वह एक पैसा भी चन्दे में देने को तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––मेरी कोई सरकार नहीं है, सरकार कांग्रेस दल की है।

श्री सुरथबहादुरशाह––श्रीमन्, मेरा मतलब इस बदकिस्मत प्रदेश की खुशकिस्मत सरकार से है। तो जब इतना दरिद्र कर दिया है.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––और राजे, महाराजे ?

श्री सुरथबहादुरशाह––आप भी तो वर्तमान राजे हैं। फिर आप किस मुंह से कहते हैं ? श्रीमन्, बंगलिंग आफ फाईनेन्सेज के बारे में मंत्री जी ने प्रकाश डाला था उसके बारे में एक मोटी सी बात अर्ज करूं कि कैनिंग कालेज को अवध के ताल्लुकेदारों से ७५,००० रुपया सालाना मिला करता था। १९२१ में कैनिंग कालेज सब्सक्रिपशन ऐक्ट बना और जब जमींदारी अबोलीशन हुआ तो इस ऐक्ट के अनुसार यह रुपया नहीं काटा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि ६ लाख का घाटा उठाना पड़ा और पब्लिक एक्सचेकर पर उतना ही बोझ डाल दिया। आपके यहां स्वयं फाइनेन्सेज के बंगलिंग की तो यह हालत है और दोष देते हैं यूनिवर्सिटी को।

हस्तक्षेप के बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि हस्तक्षेप करना इंक्वायरी के बाद एक चीज है और पहले करना दूसरी चीज है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बिठाने के लिये कहा गया था, लेकिन आपने बिठायी ? उसी वक्त यह भी कहा गया था कि आनरेरी ट्रेजरार का पद एक फायनेंशियल एक्सपर्ट को दिया जाना चाहिये, लेकिन आपने उसको कहां किया ? मुझे संदेह है कि आपको यह डर रहा होगा कि घर के लोग खा जायंगे। यह उन लोगों की गलती है जो आपके कल तक सर्वेसर्वा थे और आज भी यू० पी० सी० सी० में हैं और किसी न किसी तरह से अब भी वह यहां आना चाहते हैं। यह तो आपका दोष है। दूसरों के सिर क्यों डालना चाहते हैं।

एक बात यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उनकी नीयत यूनिवर्सिटीज पर कब्जा करने की नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी की औटोनामी पर वह कब्जा करना चाहते हैं। यह तो उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के नक्शे पर चल रहे हैं। जो इनके १२ वर्ष पहले मालिक छोड़ गये हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी बात उनकी समझ में नहीं आती है। दूसरों को वह कहते हैं कि हिन्दी में बोलो, लेकिन यह भी गुलामी के जमाने के पढ़े हुए हैं और अपने नोट्स भी अंग्रेजी में लिखते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि स्टैट्यूटस लागू होने पर पुरानी कौंसिलें खत्म हो गई और नई बनने में दिक्कतें हुईं। दूसरी बात यह भी है कि जो एक बार मेम्बर हो चुका वह दुबारा खड़ा नहीं हो सकता है। यह बात क्यों हुई? बहुत मामूली सी बात है कि जो लोग यूनिवर्सिटी को अपनी बपौती बना चुके हैं उनको किसी न किसी तरह से खड़े होने का मौका मिले। इसलिये ऐसा हुआ। यूनिवर्सिटी के मामले में, खुसूसन प्रोफेसर्स के बारे में,

तो इसमें एक आध ही केस ऐसा मालूम हुआ है और वह भी यह कि जो होना चाहिये वही हुआ है। उसने अपना रिप्रेजेंटेशन चांसलर को दिया और वह हो गया। तो ऐसी सूरत में अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के बारे में अध्यादेश या बिल से खिलवाड़ करना बहुत अच्छा नहीं है। इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज के बिलों को जिन मंत्री महोदयों ने पाइलट किया था, उनके अनुभव से वर्तमान शिक्षा मंत्री को लाभ उठाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के मामलों को लाइट तरीके से नहीं लेना चाहिए। उन पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। एक गलती को अध्यादेश के द्वारा यानी दूसरी गलती से कवर करना उचित नहीं है।

अन्त में श्रीमन्, मैं यही अर्ज करूंगा कि शिक्षा तथा शिक्षा नीति के विषय में मंत्री महोदय जिस प्रकार से भी चाहें खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी और वहां के लाखों तुलबा व छात्रों, जिन का भविष्य आचार्यों के ऊपर निर्भर होता है, उनसे खिलवाड़ करना उचित नहीं है। मंत्री महोदय यह याद रखें कि आचार्यों का अभिशाप अमोघ है।

इन शब्दों के साथ मैं नैनीताल के माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतापसिंह द्वारा प्रस्तुत अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ के सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष पेश किया है। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे अनन्य मित्र, माननीय मणि जी चले गये जिन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में अध्यादेश की सिपारिश की और इसकी तारीफ की। मुझे खयाल आया श्रीमन्, जब इस सदन में गोरखपुर विश्वविद्यालय 'स्टेटयूट' चल रहा था उस समय माननीय मणि जी ने एक संशोधन रखा था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कृषि फैकल्टी खोल दी जाय। उस का हम विरोधी पक्ष के सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन विधि की विडम्बना ऐसी रही कि जिनका यह प्रस्ताव था उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया। देश और प्रदेश के अखबारों में इसकी काफी शोहरत हुई। जो माननीय मणि जी स्वयं अपने संशोधन का समर्थन नहीं कर सके उन्हीं मणि जी ने इस अध्यादेश के समर्थन में जोरदार शब्दों में भाषण कर दिया। मुझे अच्छी तरह से जानकारी नहीं है माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इस पर जानकारी करा दें, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, अंग्रेजी जमाने में भी और स्वतंत्र भारत में तो अब तक प्रदेशीय सरकार के समक्ष और खास कर शिक्षा मंत्रालय के समक्ष कभी ऐसा संकट नहीं आया कि जब शिक्षा मंत्रालय ऐसी सिफारिश करे और महामान्य राज्यपाल ऐसा अध्यादेश निकालें जो सब यूनिवर्सिटीज पर लागू होता है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज और संस्कृत विश्वविद्यालय सब पर एक ही अध्यादेश लागू किया जाय, एक नयी घटना है। कम से कम स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि कोई ऐसी विषम परिस्थिति नहीं थी जिससे बाध्य हो कर सरकार को इस तरह का अध्यादेश निकालने का परामर्श देना पड़े। माननीय मंत्री जी ने इसकी सफाई दी। इस अध्यादेश का निकाला जाना यह सिद्ध करता है कि प्राइमरी, जूनियर और हायर सेकेंडरी स्कूलों तक ही सरकार अपना सरकारीकरण सीमित रखना नहीं चाहती, बल्कि उसके सरकारीकरण का डंडा विश्वविद्यालयों पर भी पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी उस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिसने केरल में एक बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया है। उनका एतराज है कि केरल के शिक्षा विधेयक में बड़ा रेंजिमेंटेशन है। उसमें रेंजीमेंटेशन है, और उसके कारण वहां के विश्वविद्यालय का स्वतंत्र वातावरण नष्ट हो जाता है। तो यह आप केरल में स्वतंत्रता की मांग करना चाहते हैं और मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। श्रीमन्, जो कहीं के भी सत्याग्रह में नहीं हुआ, स्कूलों के बच्चों के सामने, अध्यापिकाओं के सामने धरना देने की बात आज तक कभी नहीं हुई थी जो कि आज कांग्रेस के लोग केरल में करा रहे हैं और उसी

[श्री उग्रसेन]

सरकारीकरण की नीति उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आप कर रहे हैं। श्रीमन्, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र उस समय में रहा हूं जिस समय कि सन् १९४२ की आजादी की क्रान्ति चल रही थी। वहां के छात्र बराबर उसमें अग्रणी रहे।

मुझे इस बात का गर्व हासिल है कि महामन मालवीय जी ने उस समय हमें सन्देश दिया। उस संदेश को लेकर हमने उस आजादी की लड़ाई में जो कुछ करना था किया, इतिहास उसका प्रमाण रहेगा, लेकिन क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बतायेंगे, उस समय वह कांग्रेस के नेता थे, जिस समय वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उस समय क्या गवर्नर जनरल ने कोई ऐसा आर्डिनेन्स निकाला था? श्रीमन्, मुझे ख्याल है कि जब यूनिवर्सिटी बन्द हो गई और तरह-तरह की अफवाहें चारों तरफ फैल रही थीं कि यूनिवर्सिटी के ऊपर बम्बार्डमें होगा, लोग यूनिवर्सिटी खाली कर दें, हमने यूनिवर्सिटी खाली की उस समय यह भी माननीय मंत्री जी को याद होगा कि उस समय के वाइस-चांसलर माननीय राधाकृष्णन साहब वाइसराय से मिले, होम सेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने उनसे कह दिया था कि आप यूनिवर्सिटी खोलिये और जल्दी से शान्त वातावरण कायम कीजिये, लेकिन क्या उस समय इस तरह की कोई चीज लागू हुई? हमने हड़ताल की, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, आज कौन सी ऐसी स्थिति है? श्रीमन्, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने यह राय तो दे दी कि वहां पुलिस बुलायी जाय और पुलिस आज तक वहां बैठी है, लेकिन जब कुछ कालेजों का एफिलियेशन उसमें से हटाया जाने लगा, उदयप्रताप कालेज का एफिलियेशन समाप्त कर दिया गया। मैं भी उदयप्रताप कालेज का छात्र रहा हूं, उस कालेज को डिसएफिलिएट किया गया तो क्यों नहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अध्यादेश निकाला कि जांच समिति की रिपोर्ट दुरुस्त की जाय और सरकार यह नहीं मानेगी, अगर वह नहीं मानते हैं तो हम अपना अध्यादेश निकालते हैं। उदयप्रताप कालेज के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के गार्जियन्स ने, वहां की प्रबन्ध समिति के मेम्बरों ने यह मांग की कि सरकारी संरक्षण में उदयप्रताप कालेज पड़ा हुआ है वह निकाल दिया जाय और हमारे अधिकार में उसका प्रबन्ध दिया जाय। वहां के तमाम अध्यापकों और प्रोफेसरों ने अपनी पदोन्नति के लिये तरह-तरह की मांग रखी थी और जबकि सही माने में विश्वविद्यालय आन्दोलन बढ़ा और उसमें उदयप्रताप कालेज ने हिस्सा लिया, तो मुदालियर कमीशन ने उसको काट दिया, सिफारिश कर दी कि इसको अलग किया जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के हाथ-पैर काट दिये गये। अब भी यह कहा जा रहा है, माननीय मंत्री जी की तरफ से हमसे तो निवेदन किया गया कि 'तुम हमारी मदद करो'। यह तो ऐसा ही हुआ कि जब वास्कोडीगामा कालीकट में पहुंचा तो वहां के राजा जमोरिन ने यह समझा कि हमारे लिये भगवान आ गये, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि हिन्दुस्तान की आजादी के ऊपर यह पहला प्रहार वास्कोडीगामा ने किया है। गुलाम बनाने का तरीका ही यही होता है कि हम तुमसे कहें कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी इंगलैंड के लोगों ने रोमन्स से यह प्रार्थना की कि आप हमको छोड़कर रोम न जायं, वह सब इतिहास में लिखा हुआ है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वह लोग पलायन कर गये, हथियार डाल दिये। वह लड़ना चाहते हैं और उन्हें लड़ना चाहिये और माननीय मंत्री जी भी काशी के रहने वाले हैं पंचक्रोसी के रहने वाले हैं, पंचक्रोसीमरणान्मुक्तिः, वह भी काशी के नागरिक हैं, उनको काशी से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं करना चाहिये। मैं जानता हूं कि वहां के लोग काशी से अपना सम्बन्ध विच्छेद करके गोरखपुर चले जायं, मगहर चले जायं, यह कोई भी पसन्द नहीं करेगा। मैं गोरखपुर जिले का रहने वाला हूं, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन कालेजों के एफिलिएशन के लिये यह अध्यादेश करवा देना कोई उचित बात नहीं है।

कर्जे के संबंध में बातें कही गईं। माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं सन् १९४७ से उत्तर प्रदेश की सरकार आई है। तब से आज तक प्रदेशीय सरकार पर कितना कर्जा बढ़ता चला गया है, अरबों

रुपये का कर्जा केन्द्रीय सरकार का बढ़ गया है। मुझे शक है कि अगर इसी तरह से लिपिस्टिक और साबुन इत्यादि में तथा बड़े-बड़े नेताओं और अनक्वालीफाइड लोगों के डेलीगेशन के घुमाने में रुपया खर्च होता रहा तो पौंड पावने में कुछ नहीं रह जायगा। रिजर्वेशन फंड भी खत्म हो जायगा, लेकिन कौन दिल्ली की सरकार पर आर्डिनेन्स निकालेगा। यूनिवर्सिटी का जो स्वच्छन्द वातावरण है, खुदा के नाम पर यह निवेदन करता हूं कि उसको मत खराब कीजिये। जब यहां पर यूनिवर्सिटी का संशोधन अधिनियम आया था तो उस समय मैं भी इस सदन का सदस्य था। वह हमारे सामने पास हुआ। उस समय भी विरोधी पक्ष की ओर से मांग की गयी थी कि इसके लिये ज्यादा समय दिया जाय, ताकि इस संशोधन विधेयक पर अधिक गौर किया जा सके लेकिन उसको उधर से २ घंटे में पास करने की बात होती है। नरेन्द्रसिंह जी विष्ट यहां पर मौजूद हैं, कार्य-परामर्श दात्री समिति में लड़ते रहते हैं कि इसको २ घंटे में पास करो। यदि उस पर पर्याप्त विचार हुआ होता तो आज राज्यपाल महोदय को यह अध्यादेश निकालने की आवश्यकता न होती।

एक बात मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पर भाई-भतीजावाद का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि एक जाति के ११८ टीचर वहां पर बनाये गये हैं, किन्तु माननीय मंत्री उसके लिये कोई आर्डिनेन्स नहीं निकालते। इस तरह के आर्डिनेन्स निकालने से दूसरी तरह की गड़बड़ी भी वहां पर पैदा होती है। मगर वह माननीय शिक्षा मंत्री जी के दिमाग में नहीं आती है और अगर आती हैं तो उस पर कदम नहीं उठाया जाता। वहां पर तीसरी क्लास के टीचर रखे जाते हैं। उदाहणार्थ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक टीचर दिल्ली घूमने गया और वह वहां एक होटल में ठहरा। होटल का मालिक एक रिटायर्ड इंगलिश मेजर था। उससे उस प्रोफेसर ने बात करते समय अंग्रेजी में 'मेडेड' और 'सेडेड' शब्द कहा। उस मेजर ने लड़कों के सामने पूछा यह कौन सी इंगलिश है तो उस प्रोफेसर ने कहा कि यह क्लासिकल इंगलिश है कोलोकियल भी नहीं। वह प्रोफेसर वहां पर अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और एक्जीक्यूटिव कमेटी में और बड़े जिम्मेदार अफसर के रिश्तेदार हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। १२ साल का अनुभवी और शुरू से लेकर अन्त तक जिन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किया है उनको वहां पर नहीं लिया गया लेकिन ऐसे 'मेडेड' और 'सेडेड' कहने वाले प्रोफेसर वहां पर विद्यमान हैं। उनके लिये मंत्री जी की तरफ से कोई आर्डिनेन्स नहीं निकाला जाता। इसलिये श्रीमन्, मेरी गुजारिश यह है कि चाहे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी हो, चाहे गोरखपुर की यूनिवर्सिटी हो और इलाहबाद या लखनऊ की यूनिवर्सिटी हो उनके अन्दर स्वच्छंद वातावरण चलने दिया जाय। उनको अपनी पार्टी का अखाड़ा न बनाया जाय। हमको याद है एक समय यहां से एक माननीय मंत्री जाकर रुपया बांट कर वहां पर चुनाव लड़वाते थे। एक बात और याद है कि एक मंत्री यूनिवर्सिटी का एक चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर बड़ी कशमकश चल रही थी। विश्वविद्यालयों को अपनी पार्टी का अखाड़ा बनाकर लड़कों को वीयना का मेला दिखाने का प्रलोभन देते हैं। आप उनको दिखाते भी हैं और यूथ कांग्रेस के लोगों को भेजते हैं। स्पोर्ट्स कौंसिल में अपने लोगों को ही आप अनुदान देंगे। अनुशासन की स्थिति तो आप स्वयं बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि राजनारायण जी या झारखंडेराय या त्रिलोकीसिंह जी विश्वविद्यालय में चले गये तो उन्होंने वातावरण खराब कर दिया। यहां पर यह प्रश्न नहीं है। यहां पर तो सिद्धान्त का प्रश्न है। मैंने यूनिवर्सिटी ग्रान्टस् कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा था। मैंने पढ़ा है कि किस तरह से डेवलेपमेंट हुआ। उनकी यह भावना थी कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी स्वच्छद होनी चाहिये। वह खराब नहीं होनी चाहिये। उसके संरक्षण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के ऊपर है। उस कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाश में शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया? मैं अर्ज करूंगा कि यह जो अध्यादेश जारी किया गया है यह हिटलरी मनोवृत्ति का परिचायक है। इन शब्दों के साथ मैं प्रतापसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने वह तमाम पृष्ठभूमि हमारे सामने रखी, जिसके कारण हमको

[श्री नवलकिशोर]

इस बात की आवश्यकता पड़ी कि आर्डिनेन्स जारी किया जाय। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने इस बात को साफतौर पर बताया कि आर्डिनेन्स इशू करने में कोई राजनीतिक नीयत या कोई मोटिव नहीं था। पर मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है कि अखबारों में इस आर्डिनेंस के संबंध में समय-समय पर जो खबरें छपीं उनसे इस प्रदेश में इस बात का वातावरण बना कि यह जो आर्डिनेंस इशू किया गया है, उसके पीछे राजनीति है। यह धारणा बनी, वह कितनी ही गलत क्यों न हों, कि इसका जो मुख्य आधार है वह लखनऊ विश्वविद्यालय है और उसके अन्दर कुछ राजनीतिक दलबन्दी की बात भी अखबारों में आयी। अच्छा हुआ कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तरफ से इसको स्पष्ट किया। श्रीमन्, उन्होंने बहुत से कारण बतलाये इस अध्यादेश के आने के। एक तो कारण यह बतलाया कि कुछ ऐसे कालेजेज थे जो डिसएफिलियेट हो गये थे बनारस विश्वविद्यालय से और उनके एफिलियेशन की गोरखपुर विश्वविद्यालय से आवश्यकता थी। मेरा अपना यह विचार है कि यदि यह आर्डिनेंस न भी होता तो भी यह एफिलियेशन की बात बाद में हो सकती थी। ऐसी मिसालें हैं कि कालेजेज खुल जाते हैं और एफिलियेशन बाद में होता है। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती और मैं इसे कोई अर्जेंसी की बात नहीं मानता।

उन्होंने फाइनेंस के संबंध में भी बताया कि यह स्थिति हो गयी कि एक विश्वविद्यालय ने २१ लाख रुपया ६ साल के अन्दर कर्ज ले लिया। ६ साल में नयी-नयी पोस्टें क्रियेट कर दीं और जब यह सरकार कहती थी कि यह खत्म की जायं वह खत्म नहीं की गयीं। यह स्वयं इस बात की दलील है कि जो एक चीज ६ साल से चल रही थी, उसकी अर्जेंसी २२ जून को नहीं पैदा होती ऐसी कि जिसकी वजह से आर्डिनेंस इशू किया जाय। हो सकता है कि तमाम वजूहात इस बात के हों कि इंटरवेंशन किया जाय और इस विषय में अगर आवश्यक हुआ तो मैं अपनी राय बाद में दूंगा, लेकिन अरजेंसी नहीं साबित हुई। हो सकता है कि एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने गलती की, पोस्टें क्रियेट कर दीं, मगर ६,६ साल से वह चल रही थीं, एकायक अगर उनको समाप्त किया जाय तो क्या भाग्य होगा उन अध्यापकों का जो निर्दोष हैं और ६ साल से विश्वविद्यालय में अच्छा काम कर रहे हैं। वह सड़क पर फेंक दिये जायेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजाम सही नहीं है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय की सेक्शन ७(१) के अन्दर सरकार को यह अधिकार है कि वह उसकी इंक्वायरी करे, मुआयना करे और अगर चार्जेज सही साबित होते हैं तो उसे ऐक्शन लेने का भी अधिकार है। कुछ चीजें जो बताई गयीं यदि सही हों तब वह इस बात का सबूत हो सकता हैं कि दफा ७(१) के अन्दर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये थी परन्तु आर्डिनेंस इशू करने की आवश्यकता नहीं थी।

कहा गया कि कोई डीन साहब थे, उन्होंने रिट फाइल कर दिया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम हुआ कि पहली मई को एक साहब को डीन बनाया गया। ७ मई को स्टैट्यूटस आ गये जिनके तहत यह घोषित हुआ कि उनका पूरा टर्म जो तीन साल का होना चाहिये था उसके अन्तर्गत वह केवल ६ दिन के अन्दर ही कंप्लीट हो गया समझा जायेगा। उस गरीब को अपनी जिन्दगी में दुबारा डीन होने का मौका नहीं मिल सकता। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया और हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में और सरकार के खिलाफ फैसला दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस हाउस को सुप्रीम अधिकार है कानून बनाने का, अपनी नीति निर्धारित करने का और यदि माननीय हाईकोर्ट जिस संबंध में हम कानून बनाते हैं, उसे समझने में किसी कारणवश असमर्थ हो, उसका निर्णय हमारे खिलाफ हो तो हमको अधिकार है आर्डिनेंस के द्वारा या कानून में संशोधन के द्वारा कि हम उसको सही कर दें। मगर मैं एक बात जरूर महसूस करता हूं कि अगर छोटी छोटी बातों पर डीन का टर्म कितना हो, उसका इंटरप्रेटेशन क्या हो, अगर ऐसे मामलों पर हम हाईकोर्ट को बाईपास करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने जुडीशियरी को इंडिपेंडेट माना है, वह बात एक मखौल हो कर न रह जाय।

माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि बहुत सी ऐसी कांस्टीट्यूटेड बाडीज जो होनी चाहिये थीं, जिनको काम करना चाहिये था विश्वविद्यालय में, वह नहीं बन सकीं, या जो बनी हुई थीं वह काम नहीं कर सकीं। जैसा कि मुझसे पहले भी एक मित्र ने कहा कि १५ जनवरी से जब यह स्थिति आयी तो उस समय से २२ जून तक जब कोई विशेष खराबी नहीं हो पाई थी तो २२ जून से ५, ६ सप्ताह के अन्दर ऐसी स्थिति नहीं हो जाती कि जिसके लिये आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़े।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार को आर्डिनेंस इशू करने का अधिकार है। पहले भी आर्डिनेंस आये, आगे भी आयेंगे, लेकिन जिस इमर्जेंसी और अर्जेंसी के तहत आर्डिनेंस इशू होने चाहिये, मैं यह महसूस करता हूं कि वह इस समय इस मौके पर नहीं थी।

मान्यवर, यह भी बताया गया कि जिस समय हमने विश्वविद्यालयों के कानून में संशोधन किये थे तो उस समय सरकार को यह अधिकार दिया था और रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का एक क्लाज बनाया था कि समय समय पर सरकार उसके अन्तर्गत जब जब कठिनाइयां पैदा हों तो उनको दूर करने के आदेश निकाले। इंटरमिडिएट ऐक्ट जो पास किया उसमें भी यह अधिकार था और सभी में होता है। इंटरमीडिएट बिल के सिलसिले में हमने देखा था कि २ हफ्ते के अन्दर ५-५ आदेश जारी किये गये रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के अन्तर्गत। उसी तरह की कुछ बातें यहां भी हुईं। मैं समझता हूं कि रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के अन्तर्गत भी कार्य करने की कुछ सीमाएं होती हैं, मगर यहां पर उसका स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जैसा कि कुछ साथियों ने कहा, विश्वविद्यालय की आटोनामी के बारे में और जिसके बारे में स्वयं मंत्री जी ने आश्वाशन दिया कि वह स्वयं इस बात के पक्ष में हैं कि आटोनामी में दखलअन्दाजी न की जाय। मान्यवर, जिस समय संशोधन विधेयक इस भवन के सामने था, मैं भी उन लोगों में से था जिनका यह मत था कि ऐबसाल्यूट आटोनामी ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता था कि विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलात में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होगा और होगा भी तो विशेष परिस्थितियों के अन्दर ही होगा। मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ चीजें जिसमें इस समय मैं जाना नहीं चाहता, ऐसी हुईं जिनसे मैं कह सकता हूं कि उन्होंने आटोनामी में दखल दिया है। एक दरख्वास्त हमारी सभी की है और हमने संशोधन भी इसलिये किया था विश्वविद्यालय के कानूनों में कि एक आइडिया जो खास तौर से बना हुआ है कि विश्वविद्यालय जो सर्वोच्च मंदिर हैं शिक्षा के, सर्वोच्च संस्थाएं हैं और दलबन्दी में फंसे हैं वहां गुट बन गये हैं उनको राजनीतिक दलदल से निकालें। आज माननीय मंत्री जी को मनन करने की आवश्यकता है और वह सोचें कि जिस नीयत से और जिस लक्ष्य को रखकर हमने संशोधन किया था कानूनों में चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर की तो अभी नयी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उसमें हम कितने कामयाब हुये हैं यह देखने की बात है।

मैं एक बात यह कहूंगा कि चाहे कांग्रेस दल हो या विरोधी दल हो सभी की यह घोषित नीति है और उसपर अमल भी होना चाहिये कि हम अपनी संस्थाओं को राजनीतिक अखाड़ों से बचायें। मैं केवल संकेत में इतना कह सकता हूं कि आपकी कितनी शुद्ध नीति हो कितनी शुद्ध भावनाएं हों, अगर जनसाधारण में, पढ़े-लिखे लोगों में यह धारणा बन जाय और घर कर जाय कि हमारे विश्वविद्यालय राजनीतिक अखाड़े बन रहे हैं, हमारी जो आपसी गुटबन्दी या दलबन्दी है उसकी झलक वहां भी पहुंचती है तो न यह शिक्षा के हित में होगा, न जनतंत्र के हित में होगा और न प्रदेश के हित में होगा। मैं केवल यही एक अपील कर सकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि ऐसी बात है, लेकिन ऐसी धारणाएं हैं इसलिये हम ऐसे कदम उठायें जिनसे ये धारणायें बदलें।

[श्री नवलकिशोर]

अन्त में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि अगर सरकार खर्चे के ऊपर कंट्रोल करती है तो उसको करना चाहिये। सही बात है मनमाने ढंग से कोई संस्था खर्चा करती चली जाय और सरकार के ऊपर बोझ पड़े यह कोई मुनासिब बात नहीं है। इसलिये फाइनेंशियल कंट्रोल की बात दूसरी है, लेकिन उसकी आड़ में यदि उसके एकेडेमिक मामलात में व दूसरे तरीके से एग्जिक्यूटिव के कंट्रोल करने की बात पैदा होती है तो उसमें एटानोमी का हनन अवश्य है और अवश्य समझा जायगा।

जहां तक आपके फाइनेंसेज की बात है, आप कंट्रोल कीजिये, लेकिन जैसा स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा उस तरह की कोई स्थिति नहीं थी जिससे यह अन्दाजा हुआ हो कि विश्व-विद्यालय की कोई बिल्डिग या कोई लेबोरेटरी नीलाम हो जायगी या मारगेज हो जायगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जहां तक मैं समझता हूं आज जितना भी डेफिसिट है या कर्जा है वह गवर्नमेंट सेक्योरिटीज के आधार पर कर्जा लिया गया है और कोई इमारत वगैरह बिकने का अंदेशा नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि आइंदा ऐसा न हो उसके लिये २२ जून को आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत नहीं थी, जबकि हाउस को २७ जुलाई से मिलना ही था, उस संबंध में उचित कार्यवाही हम अब कर सकते थे। अब केवल आशा यही की जा सकती है कि सरकार द्वारा यथासंभव ऐसे आर्डिनेंस को लाने की कोशिश, जबकि सदन बैठने वाला हो, न की जाय। जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सर्कम्सटांसेज न पैदा हो जायं या इमरजेंसी न आ जाय तब तक इस तरह के आर्डिनेंसेज इशू न किये जायं।

श्री त्रिलोकीसिंह--अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस द्वारा किसी काम को चलाने का म सदा से विरोधी रहा हूं। प्रजातंत्र में आर्डिनेंस के लिये कोई स्थान साधारण तौर पर है ही नहीं। कोई विशेष परिस्थिति हो, ऐसी दशा या स्थिति उत्पन्न हो जाय जिसमें बिना फौरी कार्यवाही के काम न चल सके, जिस समय यह सम्भव न हो कि विधान सभा की राय ली जाय सके, तब आर्डिनेंस जारी किया जाता है। पिछली बैठक इस आदरणीय सदन की, जहां तक मुझे याद है २ अप्रैल को खत्म हुई थी। ढ़ाई महीने तक कोई स्थिति ऐसी नहीं पैदा हुई कि आर्डिनेंस निकाला जाय, केवल २२ जून से स्थिति पैदा हुई है। कब यह स्थिति पैदा हुई, मान्यवर, जबकि यह निर्णय हो चुका था और समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका था कि २७ जुलाई से सदन की बैठक होगी। इसके निश्चय हो जाने के बाद सरकार को यह जरूरत जान पड़ी कि कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिये बिना अध्यादेश निकाले स्थिति बिगड़ जाने की संभावना थी। चुनान्चे अगर सिलसिला गौर किया जाय तो मिसाल के तौर मैं कहता हूं कि २२ जून को आर्डिनेंस नम्बर एक जिसका विश्वविद्यालयों से संबंध है, जारी किया गया, दो जुलाई को कोर्ट फीस का जारी किया, ७ जुलाई को बिजली के संबंध में जारी किया गया और १५ जुलाई को जमीन से बेदखली के संबंध में जारी किया गया। एक सिलसिला जो शुरू हुआ तो जैसे सावनकी झड़ी हो उस तरह से एक अध्यादेश, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा। यह आध्यादेश तो जब १०-१२ दिन सदन के बैठने को रह गये थे तब निकाले गये। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसका ज्ञान राज्य सरकार को पहले से नहीं था। जहां तक यूनिवर्सिटी से संबंधित आर्डिनेन्स को निकालने का सवाल है दो अप्रैल के पहले ही यह दशा उत्पन्न हो गई थी और जहां तक रिट्स का जिक्र किया गया जिनके द्वारा जिच्च की किफायत पैदा हो गई और काम में रुकावट आ गई थी, यूनिवर्सिटी की नार्मल फंग्शनिंग समाप्त हो गई थी वह दो अप्रैल से तीन, चार, पांच महीने पहले की हैं और उस समय भी राज्य की सरकार को यह अन्दाज होना चाहिए था कि रिट्स के द्वारा जो रुकावट डाली गई थी उनका उपचार दो अप्रैल के पहले हो जाना चाहिए था। उसके सिलसिले में कोई कार्य न करना, उसके लिये गाफिल रहना और इस हद तक गाफिल रहना कि ढाई महीने के बीतने पर आर्डिनेन्स निकालना यह दो बातों का सूचक है। एक तो यह कि राज्य सरकार के सामने उन संसदीय परम्पराओं का कोई महत्त्व नहीं है, मूल्य नहीं है, जिनके द्वारा इस प्रदेश का काम चलना चाहिए।

दूसरे यह है कि जरूरी बातों से यह सरकार बेखबर रहती है जब कि किसी भी सरकार का काम है बाखबर रहना। जब बिलकुल बन्दाधार होने जा रहा है, माननीय मंत्री के शब्दों में ठप्प हो गया मामला, तब सरकार जागी कि उसका उपचार निकालें। यह किसी भी सरकार की कार्यकुशलता पर आंच डालता है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रदेशीय सरकार को अध्यादेश निकालने का अवर नहीं आने देना चाहिए।

मुझे हैरत हुई कि इसमें यह रुकावट लगाई गई है कि कोई यूनिवर्सिटी अपनी अचल संपत्ति को बेच नहीं सकती या किसी को बदले में ले दे नहीं सकती। शिकायत महज एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से है कि उसने ४ वर्ष में १७ लाख रुपया कर्ज लिया। इलाहाबाद ने ३ लाख कर्ज लिया। अगर इलाहाबाद का बजट देखा जाय तो ७५ लाख में यह मुश्किल से २ परसेंट होता है और यदि उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब लगाया जाय तो कल ही ८ करोड़ कर्ज मागां है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अगर गलती की थी तो सारी यूनिवर्सिटीज को क्यों रगड़ डाला गया ? लेकिन मैं तो कहता हूं कि लखनऊ के लिये भी यह कानून नहीं बनना चाहिये। अध्यादेश में लिखा है कि "किसी विश्वविद्यालय पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात होते हुए भी, राज्य सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी विश्वविद्यालय की कोई अचल संपत्ति न बंधक, विक्रय, विनिमय या दान द्वारा या अन्यथा हस्तांतरित की जायगी और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार ली जायगी या कोई अग्रिम धन लिया जायगा।" ये बंदिशें लगाई गई हैं। मिसाल के तौर पर, लखनऊ यूनिवर्सिटी को अगर किसी ने टूटा-फूटा मकान दान में दिया जिसे वह मरम्मत कराना नहीं चाहती और बेंचना चाहती है तो बिना सरकार की मंजूरी के वह नहीं बेच सकती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जो, अभी तक लागू है, उसकी धारा १५४ में लिखा है कि—

"Subject to any restriction imposed by or under this Act, a Board may transfer by sale, mortgage, lease, gift, exchange or otherwise any property vested in it, not being property held by it in trust, the terms of which are inconsistent with the rights so to transfer."

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में लिखा हुआ है कि वह अपनी जायदाद को बेच सकता है, गिरवीं रख सकता है, बदलाव कर सकता है, लेकिन यह अधिकार आज यूनिवर्सिटी से इस कानून द्वारा लिया जा रहा है।

जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं उन उसूलों में नहीं जाना चाहता हूं कि डेवलपमेंट स्टेज में, समाज सेवा के किसी कार्य में, बिना कर्ज लिये काम नहीं चल सकता है। अगर कर्ज न लिया गया होता तो न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई होती, न लखनऊ यूनिवर्सिटी कायम हुई होती, न बनारस और न अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम हुई होती। कोई संस्था नहीं चल सकती है बिना कर्जे के, लेकिन उस प्रश्न में न जाकर कितना बड़ा अड़ंगा और अटकाव लगाया गया कि कोई भी जायदाद बिना राज्य सरकार की मंजूरी के वे बेच नहीं सकते चाहे वह जायदाद किसी भी दशा में क्यों न हो। मुझे जहां तक याद है, श्रीमन्, आपने म्युनिसिपल बोर्ड की चेयरमैनी बहुत काबिलियत और खूबी के साथ की है, आपको याद होगा कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिये भी यह बंधन नहीं है। फिर क्यों यह बंधन इन यूनिवर्सिटीज के लिये ही लगाया गया ? इसीलिये न, कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक लापरवाही की और कर्ज ले लिया। मैंने नहीं सुना कि कभी किसी विश्वविद्यालय की इमारत चाहे वह होस्टल हो, लेबोरेटरी हो या कालेज की मेन बिल्डिंग हो, कभी बेच दी गयी हो ? फिर इसको निकालने की क्या जरूरत थी ? मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी जरा इस पर सोचें और विचारें कि जो रेस्ट्रिक्शन्स, जो पाबंदियां वह लगाने जा रहे हैं, क्या उनकी कोई मिसाल भारत के इतिहास में है ? ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी ऐसी संस्था पर जो स्वतंत्र हो, जिसको अपना काम स्वयं करने का हक हो उस पर ऐसी कोई पाबंदी लगायी गयी हो। फिर यूनिवर्सिटी में तो सरकारी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

नुमायंदे रहते हैं, एक्जीक्यूटिव में रहते है और स्वयं इसके प्रधान राज्यपाल हैं जो कि इस प्रदेश की हुकूमत चलाते हैं, वही इसके चान्सलर हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर कोई बंधन नहीं तो फिर कोई कारण नहीं मालूम पड़ता है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर इस प्रकार का कोई बंधन लगाया जाय। मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी का काम ठीक नही होता। उन्होंने देखा है कि एक कानून हुकूमत ने पास किया और हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आर्डर निकाला था डिफीकल्टीज को रिमूव करने के लिये, लेकिन डिफीकल्टीज और भी बढ़ गयीं। तो मेरा कहना यह है कि कोई काम जो करना चाहिये वह सोच समझ कर करना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में राइट्स आफ प्रापर्टी सेफगार्डेड हैं। किसी सरकार को क्या हक है कि जो जायदाद हमने स्वयं प्राप्त की है उसे बेचने या मारगेज करनें में वह कोई रुकावट लगा दे। यदि माननीय मंत्री जी ने उचित और माकूल बात पर ध्यान नहीं दिया और इस अध्यादेश को कानून का रूप दिया और यह विधेयक के रूप से कानून के रूप में पहुंच गया तो मुझे कोई संदेह नहीं कि इसके विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट हो जायगी और हमारी मेहनत बेकार चली जायगी। इसलिये मेरी सलाह है कि यूनिवर्सिटी के साथ डंडे से बरताव नहीं करना चाहिये था कि वाइस चांसलर और चांसलर से कहते कि यह क्या हो रहा है। यह चीज ऐसी है जिसमें वह अपना कर्त्तव्य नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फर्ज था कि चांसलर से वह कहती कि हुजूरवाला आपके तहत में और आपकी निगरानी में यह क्या हो रहा है। अगर वह कहते कि हम असमर्थ हैं, ऐक्जीक्यूटिव हमारी बात को अनसुनी कर देती है, तब ऐसा मौका आता तो कोई और बात थी। उस हालत में भी मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार से किसी इन्डिविजुअल की प्रापर्टी पर किसी प्रकार की रुकावट पैदा करना रेस्ट्रिक्शन लगाना, न्यायोचित नहीं है तथा उचित नहीं है। मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा न हो कि यह कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध भी हो। इसलिये मैं, मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव यहां उपस्थित किया गया है, उस पर ठंडे दिल से वे बिचार करें। उनका शिक्षा से बहुत पुराना संबंध रहा है, जहां उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है, काशी विद्यापीठ वह नेशनल विश्वविद्यालय उससे भी संबंध उनका है उनकी परवरिश प्रजातांत्रिक परम्पराओं से हुई है, तो उनके कार्यकाल में इस प्रकार की प्रथा कायम हो, ऐसा काम हो जो आयन्दा के लिये कलंक का बायस हो और बजाय इसके कि प्रजातंत्र के द्वारा काम चलाने की ओर ध्यान दिया जाय तानाशाही के द्वारा काम चलाने की ओर ध्यान चला जाय। मुझे आशा है कि वे मेरी बातों पर गौर करेंगे और विचार करेंगे और पीलीभीत के जिन माननीय सदस्य ने इस अध्यादेश के अननुमोदन के लिये अपना प्रस्ताव पेश किया है उसका वे समर्थन करने की कृपा करेंगे।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष--दुबे जी बोल लें, उसके बाद आप उसे पेश करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी देर से इस अध्यादेश के ऊपर जो विवाद हो रहा है उसे सुन रहा था। दो-तीन बातें मुझे समझ में नहीं आयीं और जिनके ऊपर स्वयं कोई तर्क सरकार की ओर से नहीं आया, कि आया किस आधार पर यह अध्यादेश इस तरह से जारी किया गया। अगर यह कहा जाय जैसा कि उद्देश्य में वर्णन है और सरकार का कहना है कि यूनिवर्सिटी में बंगलिंग और गड़बड़ी चल रही थी, वे कर्ज ले रही थीं, तो मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि सन् १९५२ से १९५७ के बीच में जो पहले सदन यहां था

उसमें दोनों यूनिवर्सिटीज इलाहाबाद और लखनऊ के लिये यहां अमेंडमेंट ऐक्ट आया और जिसे माननीय शिक्षा मंत्री तथा एक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने पाइलट किया। उस समय जो गडबड़ियां सारी थी उन्हीं को शुद्ध करने के लिये ऐक्ट बना, तो क्या उस ऐक्ट के जरिये वे गड़बड़ियां शुद्ध नहीं हो सकीं ? अगर मतलब यह हो कि उसका इम्पलीमेंटेशन ठीक से नहीं किया गया तो उसका क्या कारण है, कहीं कमजोरी होगी और फिर लोगों के मन में स्वभावतः शंका आ जाती है कि यूनिवर्सिटीज को लोग व्यक्तिगत राजनीतिक अखाड़े में खींच कर उसे राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। उसी के कारण मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन तथा राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में है कि ट्रेजरार के पद को यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाय। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सरकार को इस तरफ कोई कदम उठाना चाहिये, क्योंकि ट्रेजरार का पद ऐसा है जिसके लिये भीषण पार्टीबाजी होती है और वह पार्टीबाजी इतनी भीषण होती है कि उसमें विद्यार्थियों तक को घसीटा जाता है। शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार की पार्टी बाजी करना और उसकी पुष्टि कानून के आधार पर करना यह विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इस खिलवाड़ को रोकने के लिये और इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिये कोई आर्डिनेंस बनाया गया होता या कोई कानून लाया गया होता तो बात समझ में आती।

श्रीमन्, इसमें कहा गया है कि मई, अप्रैल में रिट मूव हुआ, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। मान लिया कि सदन अप्रैल में नहीं बैठा। रिट हुआ अप्रैल में तो फिर मई, जून तक क्या करते रहे ? २७ जुलाई को सदन की बैठक होने जा रही थी तो इतना नजदीक आने पर आपने यह आर्डिनेंस निकाला। क्या सरकार यहां रूलआफ आर्डिनेंस चालू करना चाहती है ? या मैं यह समझूं कि यह विभाग जो है इतना शिथिल है या मैं यह समझूं कि कार्य करने के योग्य नहीं है कि दो-तीन महीने तक सदन की बैठक नहीं हुई तब तक बैठा रहा और सदन की बैठक नजदीक आने पर यह आर्डिनेंस निकाला। क्या आपकी नीति इसी प्रकार से आर्डिनेंस निकाल कर शासन चलाने की है ? इसका परिणाम किसी दिन भीषण हो सकता है और उस भीषण परिणाम का स्वरूप यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरह किसी न किसी दिन मिलिटरी तानाशाही की तरह यहां शासन हो जाय और डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज कहने को ही रह जाय। जब सदन इतनी जल्दी बैठने ही जा रहा था तो फिर मैं इतनी जल्दी आर्डिनेन्स लाने के बारे में न तो माननीय मंत्री जी के तर्क को ही समझ सका और न इसके उद्देश्य में ही कोई ऐसी बात देखने को मिली जिससे उसकी आवश्यकता समझ पड़ती। यदि यूनिवर्सिटीज में किसी तरह की गड़बड़ी थी तो आप उसके लिये थोड़े दिन और इन्तजार करते और सेशन के अन्दर ऐक्ट लाते। जहां तक आर्थिक गड़बड़ियों की बात कही गई या कर्जा लेने की बात कही गई या इस पद्धति को बन्द करने की बात है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने यहां ८० लाख रुपया चन्दा जमा किया। क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में कोई ऐसा प्रयास हुआ ? इस प्रयास के न होने के अर्थ क्या हैं ? इसका सीधा अर्थ है कि फाइनेन्शियल गड़बड़ियों के कारण कुछ और हैं। इसको रोकने के लिये जो कारण हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें बताये गये हैं।

एक बात यह कही गई है कि एक फाइनेन्शियल एक्सपर्ट हो या कोई इस तरह का पर्सन हो जो आर्थिक मामलों में विश्वविद्यालय को गाइड करे और अगर यूनिवर्सिटी को शुद्ध करना है तो लड़कों में पार्टीबाजी समाप्त होनी चाहिये। इसके अलावा सरकार के हस्तक्षेप को भी रोकना चाहिये। मैं नहीं कहता कि इस सरकार ने हस्तक्षेप किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सन् १९४७ से आजतक एक परम्परा चली आ रही है कि विश्वविद्यालयों की पार्टीबाजी में सरकार के बल पर हस्तक्षेप होता रहा है, वास्तविक और नग्न सत्य तो यही है। आज इसको रोकने की जरूरत है और यदि यह नहीं रुकता तो जैसा दुखद दृश्य बी० एच० यू० में दखने में आया इसी तरह की गड़बड़ियां अध्यापकों, लड़कों और कर्मचारियों सब के विषय

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

में नजर आयेगा। ऐसा अन्य विश्वविद्यालयों में भी हो सकता है और होता रहा है। इस लिये अच्छा हो कि एक बार आप विचार करें कि यह गड़बड़ी कहां है। सब प्रकार के मामलों पर विचार हो जाय और उसके बाद एक काम्प्रेहेन्सिव बिल बना कर सदन में लाया जाय। इस तरह का पीसमील लेजिस्लेशन करने से काम नहीं चलेगा कि आर्डिनेन्स के द्वारा रोज काम किया जाय। इस तरह की पद्धति को बन्द करने की जरूरत है, मेरी समझ से यह परम्परा घातक होगी। इन इन बातों पर माननीय मंत्री जी विचार करें और इन गड़बडियों को दूर करने की दृष्टि से विचार करने की चेष्टा करें।

श्री अध्यक्ष---(श्री कमलापति त्रिपाठी से) आप बीच में बोले थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बीच में बोला था ।

श्री अध्यक्ष---आप को अंत में बोलने का अधिकार होगा।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन किया है और सदन के सामने सुझाव प्रस्तुत किये हैं। मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इसके विरोध में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बीच में बोलते हुये अध्यादेश को जारी करने की सफाई में कुछ तर्क उपस्थित किये और बार-बार यही कहा कि बराबर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, उसी को रोकने के लिये हमने ऐसा किया, इस के अलावा और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं था आप आज्ञा दें तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९२० की धारा ७ की तरफ दिलाऊंगा। उस में लिखा है कि—

"7. Visitation—The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institutions maintained or recoginsed by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University, an Associated college or a Constituent College."

मान्यवर, इस में कहा गया है कि सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी विश्वविद्यालय के मामलों की जांच कर सकती है चाहे वह वहां की इमारतें हों, अन्वेषणालय हों या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी गम्भीर विषय हो। लेकिन यहां सरकारी पक्ष से यही कहा गया और विरोधी पक्ष की ओर से जब जांच की बात कही गई तो यही कहा गया कि हम एक तरफ तो यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जांच की बात करते हैं। इन दोनों में विरोधाभास है। सरकार को यह अधिकार है कि अगर लोगों की मांग हो तो वह विश्वविद्यालय में, अगर उचित समझा जाय, जांच कमेटी बैठा सकती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसको बतलाने की कृपा करें। अध्यादेश के बारे में ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि कर्जा आइन्दा बन्द होगा। जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे मालूम होता है कि दोनों यूनिवर्सिटीज (लखनऊ और इलाहाबाद) पर सन् ५४ तक ३५ लाख रुपया कर्ज था और सन् ५४ से ५७ तक लखनऊ यूनिवर्सिटी पर २१ लाख तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर ३ लाख। आपके द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि इस पार्टी के जो आज के कोषाध्यक्ष है किसी विश्वविद्यालय के और जो आपके बीच में बैठते

थे उनसे भी पूछना चाहिए था। सेक्शन ७ में कहा गया है कि इस प्रकार की गड़बड़ी हो, कर्जा ज्यादा हो जाय तो सरकार को नोटिस देना चाहिए वाइस चांसलर को और यूनिवर्सिटी को कि क्या कारण है। बराबर यह कर्जा बढ़ता गया सन् ५४ से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी बार लखनऊ यूनिवर्सिटी को लिखा ? जब उनको यह अधिकार है तो उन्होंने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ? अभी तक आदरणीय सदन के सामने स्पष्ट नहीं था कि उनको यह अधिकार था या नहीं। परन्तु लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की दफा ७ में लिखा है कि यह हक है। कर्जा तो इस आर्डीनेन्स से भी नहीं रुक गया। रोक तो केवल यह है कि विश्वविद्यालय की इमारत को कहीं रेहन नहीं रख सकते या बेच नहीं सकते। कर्जा तो आज भी ले सकते हैं। कर्जा रुक जाएगा इससे यह गलतफहमी है। मैं समझता हूं कि वह बात इसमें नहीं है।

बनारस यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि कालेजेज को डिसएफिलियेट कर रहे थे। जिस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेज होते हैं उनमें विद्यार्थी पढ़ते हैं कोई भी विश्वविद्यालय समय के पहले किसी कालेज को डिसएफीलियेट नहीं कर सकता। यह फन्डामेन्टल राइट है। जो विद्यार्थी फीस देता है उसे कालेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हक है। कालेज में केवल इमारतें तथा कुर्सी और मेज ही नहीं होती बल्कि इन्सान भी होते हैं जिनको विधान के अनुसार कुछ हक होता है। जो तर्क माननीय मंत्री जी ने पेश किया वह उचित-सा प्रतीत नहीं होता है।

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नजर में रख कर यह अध्यादेश जारी किया गया। बराबर सन् ५४ से आज तक क्यों कर्ज बढ़ता गया ? आचार्य नरेन्द्रदेव के जमाने में यह चीज नहीं हुई थी। आज भी जो वाइस चांसलर हैं वह काम करने वाले व्यक्ति हैं। मेरी मांग है कि किन लोगों की इसमें जिम्मेदारी है, इसकी जांच के लिये एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाय, जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई जाय। जो जिम्मेदार हों उसे सजा मिले ताकि भविष्य में व्यवस्था को ठीक बनाये रखने में हम और आप अपना सक्रिय सहयोग दे सक।

इन शब्दों के साथ और अधिक न कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संविधान में यह हक जरूर है कि सरकार गवर्नर को अध्यादेश जारी करने के लिये सलाह दे, लेकिन उसमें संविधान की स्पिरिट को भी समझना चाहिए। माननीय मंत्री जो यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अध्यादेश कहां तक पब्लिक इंटरेस्ट में था, कौन सा ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट था जिसकी वजह से इसको लाना पड़ा। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से कहूंगा कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिये और इस आदरणीय सदन की मान –मर्यादा के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अध्यादेश न जारी किये जायं। मैं समझता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को सब माननीय सदस्यों का समर्थन मिलेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं अभी आपके पूर्व उपाध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी थी। उसका विषय यह था कि क्या कोई मंत्री किसी विषय पर इंटरवी न करने के बाद राइट आफ रिप्लाई रखता है। अभी हमारे सामने उनकी यह व्याख्या थी कि सिर्फ ऐसी हालत में जब उनकी तरह से ही कोई रिजोल्यूशन मूव हो तब उनके राइट आफ रिप्लाई की बात आती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं नियम ९९ की तरफ :–

"Provided that the mover of a resolution when moving the same and the Minister-in-charge of the department concerned when speaking for the first time may speak for twenty-five minutes or for such longer times, as the Speaker may permit."

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इसमें आप देखें कि मिनिस्टर इन्चार्ज को फर्स्ट टाइम बोलने पर २५ मिनट का जो टाइम दिया गया है वह आपने इंटरवीन करके पहले ले लिया। अब इस रिजोल्यूशन के जो मूवर हैं वह नान आफिशियल साइड से हैं और उनकी तरफ से ही राइट आफ रिप्लाई हो जाता है। अतः मिनिस्टर इन्चार्ज को राइट आफ रिप्लाई नहीं है और इस सम्बन्ध में हाउस में विवाद भी हुआ है और उपाध्यक्ष जी की रूलिंग भी हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—इस दफा ९९ में है:—

"and the Minister-in-charge of the department concerned when speaking for the first tieme"

तो "फर्स्ट टाइम" नियम में जब दिया है तो उससे मतलब है कि वह दो दफा भी बोल सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन जब सरकार की तरफ से मूव हो तब के लिये है। वैसे उनको इस पर राइट आफ रिप्लाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है इस रिजोल्यूशन के मूवर तो प्रतापसिंह जी हैं तो वह जवाब दे सकते हैं और मिनिस्टर इन्चार्ज आफ दि डिपार्टमेंट कन्सर्न्ड बीच में इंटरवीन भी कर सकते हैं और २९२ नियम भी देखिये इसमें आर्डर आफ स्पीचेज और राइट आफ रिप्लाई के बारे में है। उसका तीसरा भाग इस प्रकार है :—

"292. (3) A member who has moved a substantive motion or an amendment thereto or has made a motion for reduction or omission of an item under the budget demands, may speak again by way of reply..... and if the motion or the amendment is moved by a private member the Minister to whose department the matter under discussion relates shall have right of speaking after the mover whether he has previously spoken in the debate or not."

तो एक दफा और उनको बोलने का उन्हें अधिकार है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्,.....

श्री अध्यक्ष—अब मैंने फैसला दे दिया है कि वे बोल सकते हैं। माननीय कमलापति त्रिपाठी अब आप अपना भाषण जारी रखिये।

†**श्री कमलापति त्रिपाठी**—अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि यह बात सत्य है कि मैंने बहुत-सी बातों पर प्रारम्भ में ही प्रकाश डाल दिया है और मुझे अब बहुत कुछ कहना भी नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं और वह यह है कि आर्डिनेन्स को निकाल कर काम चलाने का तरीका कोई अच्छा नहीं है और डिमाक्रेसी के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं उनकी इस बात को मानता हूं और यह समझता हूं कि यथासम्भव आर्डिनेन्सेज न निकाले जाया करें और उसी समय इस

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैधानिक अधिकार का प्रयोग हो जब कि कोई दूसरा रास्ता न दिखाई देता हो। मैं इससे सहमत हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार हमेशा इस बात का ध्यान रखती है और कभी मेरा यह इरादा नहीं है कि आर्डिनेन्स के जरिये से कोई काम हो अथवा उसके जरिये अपने कामों को चलाऊं।

अब इस वक्त प्रश्न यह है कि आर्डिनेन्सेज को इतनी जल्दी जल्दी लाने की जरूरत थी या नहीं थी। क्या यह नामुमकिन था कि १ महीने या डेढ़ महीने के बाद इसको बिल की सूरत में ला कर हाउस से मंजूर करा लेने के बाद काम करते? इस आर्डिनेन्स को जारी करने की क्या जरूरत पड़ गयी। इस विषय पर काफी प्रकाश मैं पहले भी डाल चुका हूं।

आम तौर पर यह कहा गया, खास कर उग्रसेन जी ने कहा, कि अगर आर्डिनेन्स निकालना था तो ऐसा आर्डिनेन्स निकालते जिससे बनारस यूनीवर्सिटी से ये कालेज फिर एफिलियेट हो जाते। मैं निवेदन करूं कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है और उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा नहीं सेंट्रल गवर्नमेन्ट का है। उनका ऐक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेन्ट का ऐक्ट है और स्टेट्यूट्स भी सेंट्रल गवर्नमेन्ट के है जिनके अधीन वह यूनिवर्सिटी संचालित है। हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अब उस यूनिवर्सिटी की एग्जिक्यूटिव कौंसिल ने यह निर्णय किया कि हम इन कालेजेज को डिसएफिलियेट करते है तो हम आर्डिनेन्स निकाल कर उनको एफिलियट उससे नहीं कर सकते थे। हमारे पास इतना ही मार्ग था कि उन कालेजेज के एडमिशंस व पढ़ाई-लिखाई रुके नहीं हमने यह व्यवस्था कर दी कि गोरखपुर यूनीवर्सिटी से हमने उनको सम्बद्ध कर दिया। यह कहना कि हमने इसका विरोध किया या नहीं किया उन्होंने हमारी राय ली या नहीं ली और ली तो क्या राय दी ऐसी बातें हैं जिनको मैं समझता हूं कि सामने आना न तो उचित ही हैं और न आवश्यक ही है। इतना ही कह सकता हूं कि हमारी इच्छा यह नहीं थी कि ये कालेजेज डिसएफिलियेट हों। लेकिन वहां की एक्जिक्यूटिव कौंसिल ने यह उचित समझा कि हमारी रेजिडेंशियल यूनीवर्सिटी शुद्ध रेजिडेंशियल रहे और इसलिये उसने इनको डिसएफिलियेट कर दिया। हमारे लिये कोई चारा नहीं रहा सिवा इसके कि हम इनको किसी यूनिवर्सिटी से एफिलियेट कर दें। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हम एफिलियेट कर नहीं सकते थे जब तक कि उसका जुरिस्डिक्शन न बढ़ाते। फिर इन कालेजेज ने रिप्रेजेंटेशन दे रखा था, बार-बार तार आये कि कोई व्यवस्था हम ऐसी कर दें जिससे पहली दूसरी जुलाई को एडमिशंश इनमें हो सके इसलिये यह व्यवस्था हमको करनी पड़ी।

नेता विरोधी दल ने कहा कि जब देखो की कोई रास्ता नहीं है तभी आर्डिनेन्स निकालो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ यही बुद्धि में आया कि अब कोई रास्ता नहीं है तब आर्डिनेन्स निकालने की बात सोची लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि उनको समझा नहीं सका।

हमारे एक भाई ने कहा कि इंटरवेंशन का मौका आ गया था लेकिन ऐसी अर्जेंसी नहीं थी जिसमें कि आर्डिनेन्स निकाला जाता। जब मेरी समझ में नहीं आता कि इटरवेंशन का कौन-सा दूसरा मार्ग था हमारे पास। मैं मानता हूं कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिये यूनीवर्सिटीज के मामले में, लेकिन इंटरवेंशन का मौका आ गया तो जो कानूनी अधिकार हमको मिले हैं उन्हीं के जरिये इंटरवेंशन किया जा सकता है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सुरथ बहादुर शाह जी ने कहा कि यह किया वह किया इस पग पर चले, उस पग पर चले, तुम्हारी नालायकी थी जो ऐसा ऐक्ट बनाया जिसको तुम इम्पलिमेन्ट नहीं करा सके । मैं नालायकी स्वीकार करता हूं लेकिन इम्पलिमेन्ट कराने का जो लीगल प्रश्न है वह इन्हीं तरीकों से हम करा सकते हैं।

उधर के एक भाई ने कहा कि जांच कमेटी बैठा देते । यह बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता कि तुरन्त ही एक जांच कमेटी बैठा दी जाती । फायनेन्शियल बंगलिंग की बात राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे ने कही । फिनैन्शल बंगलिंग का बहुत बड़ा अर्थ होता है कि कोई बड़ा भारी गबन हुआ किसी ने रुपया खा लिया। ऐसा कोई चार्ज मैं यूनिवर्सिटी पर नहीं लगाता हूं । खाली बात इतनी है कि अनधिकृत खर्चा न हो । माना इस बात को कि बिना इस प्रकार का खर्चा किये हुये किसी संस्था का डेवलपमेन्ट नहीं होता जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा। यह बात सही है लेकिन आप सोंचे इस बात को कि सार्वजनिक धन के संरक्षक होने के नाते कहीं न कहीं लिमिट तो आपको करनी पड़ेगी कि कर्ज तो आप लेते हैं, लेकिन खर्च के सम्बन्ध में भी तो हम से कुछ राय ले लें क्योंकि कर्ज हमको अदा करना होता है। दुबे जी ने कहा कि आपने अभी तक इन्तजाम क्यों नहीं किया। आप देखें, ऐक्ट के पेज २० पर है कि कोई भी खर्चा बिना गवर्नमेन्ट के एप्रूवल के न करे मगर एप्रूवल नहीं लिया गया, कहीं स्पेशल पे हो गयी कहीं पर्सनल पे हो गयी कहीं डियरनेस एलाउन्स इतने हाई रेट पर दे दिया गया कि जो गवर्नमेन्ट के यहां भी नहीं है । हमारे प्रतापसिंह जी पूछ रहे थे कि आपने लिखा । अरे लिखा नहीं तो क्या बैठा बैठा मक्खी मारा करता हूं ।

यह भी मैं मानता हूं कि यह कायदा बना देने से कोई कर्जा लेना रुक नहीं जायगा। मगर इन्डायरेक्टली यह जरूर है कि कर्जा देने वालों के ऊपर एक प्रतिबन्ध होगा कि किस एसेट के ऊपर यह लायबिलिटी लायें । माननीय नेता विरोधी दल ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इसको जोड़ा । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऐक्ट तो इस वक्त मेरे सामने है नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि वे इस तरह से कर्जा ले भी नहीं सकते । वे बिना गवर्नमेन्ट की इजाजत के कोई लोन फलोट नहीं कर सकते । श्रीमन्, आप तो उसके अधिष्ठाता बहुत दिनों तक रहे हैं और इस विषय में विशेषज्ञ हैं कदाचित ऐसा है कि दो ढाई सौ की प्रापर्टी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिसपोज आफ कर सकते हैं इससे ज्यादा एक हजार तक के लिये कमिश्नर से राय लेकर कर सकते हैं और उसके बाद दस हजार के ऊपर हो तो स्टेट गवर्नमेन्ट से एप्रूवल लेना चाहिये ।

श्री त्रिलोकीसिंह—सिर्फ नजूल लैंड पर है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—म्युनिसिपैलिटीज पर भी है । और लोन तो वे फलोट कर ही नहीं सकते । आखिर १६ लाख रुपया एक बार अदा किया गया । बाद में लिख कर आया कि १६ लाख जो हमने कहा था वह गलत था उसमें २–३ लाख और ज्यादा था। अब इस चार वर्ष के बीच में जब तक हम कर्ज अदा कर रहे हैं १६–१७ लाख रुपया एक जगह का और १८ लाख कर्ज एक जगह का हमने अदा किया और इस प्रार्थना के साथ अदा किया कि भविष्य में इस प्रकार का फिर कर्ज न लिया जाय, लेकिन जितना सन् ५४ तक कर्ज था उसका दूना इतने दिनों में हो गया । जैसा मैंने निवेदन किया मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी, दोनों का मिला कर करीब ३८ लाख रुपया हो जाता है। हम उनके कर्ज लेने की बात को रोकते भी नहीं हैं, उनकी इम्मूवेबिल प्रापर्टीज जो हैं उनके ऊपर वे लेते भी हैं लेकिन इस प्रकार पाइल अप होता चला जाय और गवर्नमेन्ट को अदा करना पड़े और वह उसमें कुछ कर भी न सके यह

जरा समझने वाली बात है । जहां तक आपके स्टैच्यूटस और ऐक्ट के इम्पलीमेंटेशन की बात है वह हमने कोशिश की । लेकिन लोगों को कांस्टीट्यूशनल राइट्स मिले हुये हैं, कहीं रिट दाखिल होते हैं; कहीं स्टे होता है और ऐसा मालूम होता है कि लेजिस्लेचर ने जो चीज बनाई वह इम्पलीमेन्ट नहीं हो पाई क्योंकि जिन लोगों के स्वार्थ को धक्का लग रहा था उन्होंने रोका । अब भी रिट दाखिल होते हैं और हाई कोर्ट कहता है कि क्लेरीफाई होना चाहिये । इसके लिये रिमूवल आर्डर निकाला गया लेकिन स्टे करा लिया जाता है । आप बनायें कोई कानून या स्टैच्यूट्स और वह इम्पलीमेन्ट न हो और ठप्प हो जाय तो यह सोचने की बात है । माननीय नेता विरोधी दल को यह शब्द नया मालूम हुआ । मैं निकम्मा कहे देता हूं और इसके निकम्मे होने की वजह से हमारा काम नहीं चल सके तो सिवाय इसके कि हम आपके पास आयें कि इसे करना है और क्या चारा रह जाता है । जैसा मैंने निवेदन किया कि सिलेक्शन कमेटी तक नहीं बन पा रही है । यदि ऐसे मौके पर अध्यादेश निकालना पड़े तो उसका औचित्य सिद्ध हो जाता है कि इसकी आवश्यकता है, अर्जेन्सी है । इसलिये इसको इश्यू किया और २२ जून को इश्यू किया और आपका सेशन २७ जुलाई से होने वाला था और आप सबको मालूम है कि स्कूल कालेजेज वगैरह सब जुलाई के पहले सप्ताह में खुल जाते हैं । इसलिये हमने इश्यू किया ।

अब मैं नहीं समझता कि क्या बात है । आपके यहां नियमों में लिखा हुआ है कि यदि ६ सप्ताह में बिल नहीं लाते हैं तो अध्यादेश लैप्स हो जाता है तो इसमें कोई खतरा नहीं दिखाई देता है । इस समय लेजिस्लेचर मीट कर रहा है और यह विधेयक आपके सामने मौजूद है । अर्जेंसी मैंने निवेदन कर दी । इसमें न कोई हस्तक्षेप का इरादा है और न राजनीति का अखाड़ा बनाने का सवाल ही है माननीय यादवेन्द्रदत्त जी को अनुभव होगा कि एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही क्या सब जगह राजनीति का अखाड़ा बनता है । यहां खड़े होकर मिनिस्टर को उपदेश दे देना बहुत आसान है । लेकिन मैं कब चाहता हूं कि इनमें राजनीति का अखाड़ा बने । यदि बनता है तो इसमें हमारे ऊपर दोष आता है और हमारे लिये ही सिर दर्द होता है । इसलिये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में राजनीति का अखाड़ा न बनाया करें । मैं समझता हूं कि मेरी प्रार्थना का असर सबके ऊपर होगा और हम लोग इन जगहों में राजनीति का अखाड़ा बनाने से बाज आयेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रतापसिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और इसकी स्वीकृत हो जाने दें । बिल आ रहा है उसके मैरिट्स पर विचार करेंगे और जैसे समझेंगे वैसे उसमें संशोधन होंगे । फिर हमारा काम चलेगा ।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस देना चाहता हूं । मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय इस्तफा हुसैन जी ने सामग्री होने पर भी जानबूझकर....

श्री अध्यक्ष---आप नोटिस दे रहे हैं और क्या मामला आज ही सदन में आया था ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जी हां, आज ही । बात यह है कि वह स्थगित किये गये थे । बात यह है कि नियमित रूप से अखबारों में....

श्री अध्यक्ष---आप लिखकर दे दें ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३२,

विपक्ष में—१०५।)

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५९ मिनट पर सोमवार, ३ अगस्त, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ जुलाई, १९५९।

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये न्याय मन्त्री से सम्बन्धित २० मार्च, १९५९ के स्थगित तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर)

क्रम-संख्या	व्यक्ति जिसके पास भूमि है	वर्ष जब से भूमि उसके पास है	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
		सन् फसली	
१	शिवनाथ व हरकिशोर व रामकुमार सा० जेसारी कलां सीरदार ..	१३६१ फ०	१४.८७
२	शिवनाथ व हरकिशोर व रामकिशोर व प्रभूदयाल सा० जेसारीकलां सीरदार ..	१३६२ फ०	१४.८७
३	शिवनाथ हरकिशोर रामकुमार सीरदार जेसारी कलां	१३६४ फ०	११.००
४	विरंची वल्द हरई सीरदार ग्राम गोरन ..	१३६४ फ०	४.३८
५	गुल्टान वल्द मुलू ग्राम गोरन सीरदार ..	१३६५ फ०	०.८४
६	परती गांव समाज	..	३.३०
७	मुलू व किशुन तनय धनसुख ग्राम वासी ..	१३६४ फ०	१३.०९
८	रामनाथ तनय वृन्दावन ग्रामवासी ..	१३६४ फ०	३.२२
९	रामसनेही तनय तुलसीराम ग्रामवासी ..	१३६४ फ०	०.१०
१०	फुन्दीलाल वल्द शंकर ग्रामवासी ..	१३६४ फ०	१.९०
११	रामरतन वल्द नाथूराम व रामदयाल तनय हरप्रसाद ग्राम वासी ..	१३६४ फ०	७.४७
१२	(गांव समाज)	..	१.८७
१३	(गांव समाज)	..	०.८४
		कुल ..	७७.७५ एकड़

नत्थी 'ख'

(देखिये न्याय मन्त्री से सम्बन्धित २० मार्च, १९५९ के स्थगित तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पाछे पृष्ठ ३४९ पर)

सूची

क्रम-संख्या	जिले का नाम	१९५८-५९ में स्वीकृत	क्रम-संख्या	जिले का नाम	१९५८-५९ में स्वीकृत
१	आगरा	.. एक	२७	जालौन	.. एक
२	अलीगढ़	.. ,,	२८	जौनपुर	.. ,,
३	इलाहाबाद	.. ,,	२९	झांसी	.. ,,
४	अल्मोड़ा	,,	३०	कानपुर	.. ,,
५	बहराइच	.. ,,	३१	खीरी	.. ,,
६	बलिया	.. ,,	३२	लखनऊ	.. ,,
७	बांदा	.. ,,	३३	मैनपुरी	.. ,,
८	बाराबंकी	.. ,,	३४	मथुरा	.. ,,
९	बरेली		३५	मेरठ	.. ,,
१०	बस्ती	.. ,,	३६	मिर्जापुर	.. ,,
११	बिजनौर	.. ,,	३७	मुरादाबाद	.. ,,
१२	बदायूं	.. ,,	३८	मुजफ्फरनगर	.. ,,
१३	बुलन्दशहर	.. ,,	३९	नैनीताल	.. ,,
१४	देहरादून	.. ..	४०	पीलीभीत	.. ,,
१५	देवरिया	.. ,,	४१	प्रतापगढ़	.. ,,
१६	एटा	.. ,,	४२	रायबरेली	.. ,,
१७	इटावा	.. ,,	४३	रामपुर	.. ..
१८	फैजाबाद	.. ,,	४४	सहारनपुर	.. ,,
१९	फर्रुखाबाद	.. ,,	४५	सीतापुर	.. ,,
२०	फतेहपुर	.. ,,	४६	सुल्तानपुर	.. ,,
२१	गढ़वाल	.. दो	४७	टेहरीगढ़वाल	.. ,,
२२	गाजीपुर	एक	४८	उन्नाव	.. ,,
२३	गोंडा	.. ,,	४९	वाराणसी	.. ,,
२४	गोरखपुर	.. ,,	५०	शाहजहांपुर	.. ,,
२५	हमीरपुर	,,	५१	आजमगढ़	.. ,,
२६	हरदोई	.. ,,			
				योग ..	पचास

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

क्रम-संख्या	पद	कुल संख्या	परिगणित जाति की संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या
१	कान्सटेबुल ..	४७,४१६	१,३७२	६,०७५
२	हेड कान्सटेबुल ..	८,२५८	९८	३८२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

क्रम-संख्या	पद	कुल संख्या	परिगणित जाति की संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या
१	सब-इन्सपेक्टर ..	३,२०९	१११	१५२
२	इन्सपेक्टर ..	४२२	..	१५
३	उप-पुलिस अधीक्षक	२८५	१२	४
४	सहायक पुलिस अधीक्षक	२३	२	..
५	पुलिस अधीक्षक ..	९६	१	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिन्हें वर्ष १९५८–५९ में प्रारम्भिक अनुदान दिया गया है ।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	विद्यालय का नाम			पोषण अनुदान	महंगाई अनुदान	कुल योग
१	२	३			४	५	६
	अंगलकों के विद्यालय —				रु०	रु०	रु०
१	मेरठ	श्री महात्मा गांधी	उ० मा० वि०	बड़ौत	२,५६८	२४०	२,८०८
२	,,	श्री नानक चन्द	,,	सोंडा	२,७४८	४००	३,१४८
३	,,	आध्यात्मिकनगर	,,	गाजियाबाद	१,२७२	३२०	१,५९२
४	देहरादून	गुरूराम राय	,,	भोगपुर	२,०५२	१२०	२,१७२
५	बुलन्दशहर	एस० एल०	,,	खानपुर	२,४२४	२४०	२,६६४
६	अलीगढ़	सर्वोपयोगी	,,	पलसेड़ा	२,४९६	३६०	२,८५६
७	,,	आर्यिन कल्चर एकेडेमी	,,	मालवीयनगर	२,६२८	५२०	३,१४८
८	मथुरा	हिन्दू	,,	के सीकलां	३,३८४	३४०	३,७२४
९	,,	जनता	,,	सहपाऊ	३,१३२	३००	३,४३२
१०	एटा	बनारसीदास आर० एस०	,,	राजा का रामपुर	२,८०८	४८०	३,२८८
११	,,	आजाद गांधी	,,	कासगंज	२,८२०	५६०	३,३८०
१२	आगरा	श्री रतनमुनि जैन	,,	लोहामंडी	२,६१६	२६०	२,८७६
१३	बिजनौर	महात्मा गांधी	,,	मन्दावर	२,७७२	३००	३,०७२
१४	मुरादाबाद	शंकरभूषनशरण जनता	,,	संभल	३,०६०	३४०	३,४००
१५	पौड़ी-गढ़वाल	कांसखेत	,,	कांसखेत	१,९०८	३२०	२,२२८
१६	अल्मोड़ा	..	,,	गनाय चौखुरिया	२,००४	३००	२,३०४
१७	इलाहाबाद	पब्लिक	,,	मोतिहा उतराव	२,५९२	४८०	३,०७२
१८	,,	शुकुलपुर	,,	शुकुलपुर	२,२९२	३००	२,५९२
१९	,,	रणजीत पंडित	,,	नैनी	२,१२४	१६०	२,२८४
२०	फतेहपुर	श्री शुकदेव विद्यालय	,,	खागा	३,३६०	४२०	३,७८०
२१	बांदा	..	,,	बबेरू	२,६५२	३८०	३,०३२
२२	कानपुर	श्री गांधी विद्यापीठ	,,	घाटमपुर	३,८७६	५२०	४,३९६
२३	जालौन	कर्नेल ईश्वरी सिंह	,,	शेखपुर विजुर्ग	२५३२	३६०	२,८९२
२४	हमीरपुर	जनतंत्र	,,	कुलपहाड़	२,९७६	४८०	३,४५६
२५	जौनपुर	सल्तनत बहादुर	,,	बदलापुर	४,८६०	८५०	५,७१०
२६	,,	सर्वोदय	,,	खुदौली	२,४८४	३००	२,७८४
२७	वाराणसी	..	,,	साहबगंज चकिया	२,२३२	३८०	२,६१२
२८	वाराणसी	युगलबिहारी	,,	रामेश्वर	२,३१६	२४०	२,५५६

क्रम-संख्या	जिले का नाम	विद्यालय का नाम			पोषण अनुदान	महंगाई अनुदान	कुल योग
१	२	३			४	५	६
	बालकों के विद्यालय--				रु०	रु०	रु०
२९	गाजीपुर	गोविन्द	उ०मा०वि०	सादात	२,९५२	४००	३,३५२
३०	बलिया	मनियर	,,	मनियर	३,२८८	४२०	३,७०८
३१	,,	राष्ट्रीय	,,	संडवापुर	२,०५२	३६०	२,४१२
३२	मिर्जापुर	विन्ध्य विद्यापीठ	,,		२,००४	४००	२,४०४
३३	गोरखपुर	आनन्द विद्यापीठ	,,	ककरही गोला	२,५५६	३००	२,८५६
३४	देवरिया	आचार्य नरेन्द्रदेव	,,	पथरदेवा	२,७३६	४२०	३,१५६
३५	,,	श्री कृष्ण	,,	सेमरा कठ-कुइंया	२,०१६	३००	२,३१६
३६	,,	जनता	,,	बनकटा	२,६०४	३००	२,९०४
३७	आजमगढ़	जनता	,,	अहरौला	३,०८४	२६०	३,३४४
३८	फैजाबाद	मोतीलाल विद्यामंदिर	,,	मालीपुर	२,५९२	२६०	२,८५२
३९	बस्ती	गोविन्दराम सेक्सरिया किसान	,,	बभनान	३,०२०	३७२	३,३९२
४०	,,	गौतम	,,	पिपरागौतम	२,४१२	३६०	२,७७२
४१	लखनऊ	टेकनिकल	,,	दोगवां	१,४२८	२६०	१,६८८
४२	सीतापुर	म्युनिसिपल	,,	बिसवां	२,५४४	..	२,५४४
४३	खीरी	कृषक समाज	,,	गोलागोकरन-नाथ	३,२०४	३६०	३,५६४
४४	उन्नाव	पतिराखनलाल	काशीप्रसाद उ० मा० वि०	राष्ट्रीय, कालूखेड़ा	२,६७६	३००	२,९७६
४५	प्रतापगढ़	..	उ० मा० वि०,	कोहड़ौर	२,७६०	६००	३,३६०
४६	सुल्तानपुर	उमा रमण	,,	जामो	२,११२	३००	२,४१२
	बालिकाओं के विद्यालय--						
४७	बरेली	रामभरोसेलाल गर्ल्स	उ० मा० वि०	बिहारीपुर	२,५६८	३६०	२,९२८
४८	मुरादाबाद	कौशिल्या कन्या	,,	डिपुटीपुर	२,२०८	३६०	२,५६८
४९	इलाहाबाद	किदवई मेमोरियल गर्ल्स	,,	हिम्मतगंज	२,०७६	२४०	२,३१६
५०	वाराणसी	अंतरिम जिला प०	,,	चन्दौली	१,२००	..	१,२००
५१	गोरखपुर	संत मेरीज कानवेंट	,,	..	१,५८४	४२०	२,००४
५२	लखनऊ	श्री सनातनधर्म	,,	रकाबगंज	२,४८४	३६०	२,८४४

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६५ पर)

परगना गढ़हा, जिला बलिया के प्रभावित ग्रामों की सूची

१—बहोरा माफी
२—टांडा
३—बहोरा खास
४—बहोरा दोयम
५—सराय खुर्द
६—कटफारी
७—नारायनपुर
८—सराय कोटा
९—नसीरपुर
१०—सिकन्दरपुर
११—पलनपुरा
१२—विसम्भर पाह
१३—टुटवारी
१४—पहिया
१५—ताल सायल
१६—नजरा
१७—हरिवशपुर
१८—शाहपुर मु० टुटवारी
१९—वनई पुर
२०—गडसमा
२१—डहरिया
२२—सलेमाबाद
२३—शिकोहाबाद
२४—मुसाई चक
२५—सीसापुर
२६—एकौनी
२७—दुलारपुर
२८—पुन्नीपुर
२९—वतारपुर
३०—मेड़वरी
३१—मेड़वरी खुर्द
३२—इब्राहीमपुर माफी
३३—चुरइली
३४—जलालपुर
३५—खागजीपुर
३६—मंगल चक
३७—बुधी चक
३८—बतार कलां
३९—वतार खुर्द
४०—रामगढ़
४१—वधौना
४२—वधौना खुर्द
४३—कमालपुर
४४—इब्राहिमपुर अदाई
४५—जाजर माफी
४६—जाजर खालसा
४७—जाजर अदाई
४८—पीडारी

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर)

तालिका

क्रम संख्या	नाम	संख्या	विषय	पद	वेतन क्रम
१	२	३	४	५	६
१	इलाहाबाद विश्व-विद्यालय ।	१	संस्कृत	प्रध्यापक	रु० ८००–५०–१,२५०
		१०	संस्कृत	सहायक प्राध्यापक ।	रु० ३००–२०–५०० द० रो० २५-८००।
		७	अर्बी व फारसी	सहायक प्राध्यापक	रु० ३००–२०–५०० द० रो० २५–८००।
		१	..	प्राध्यापक	रु० ८००–५०–१,२५०
२	लखनऊ विश्व-विद्यालय ।	१	संस्कृत	प्राध्यापक	रु० ८००–५०–१,२५०
		६	संस्कृत	सहायक प्राध्यापक।	रु० ३००–२०–५०० द०रो० २५–८००।
		३	अर्बी	सहायक प्राध्यापक।	रु० ३००–२०–५०० द० रो० २५–८००।
	नोट :—लखनऊ विश्वविद्यालय में एक ओरियन्टल (प्राच्य) विभाग भी है इस विभाग में अध्यापक को निम्न वेतन क्रम दिया जाता है ।				
	ओरियन्टल विभाग लखनऊ विश्व-विद्यालय ।	१	संस्कृत	अध्यापक	२५०–१०–२६०–१५–३५० ।
		२	संस्कृत	अध्यापक	२००–१०–३००.
		१	अर्बी	अध्यापक	२५०–१०–२६०–१५–३५० ।
		२	अर्बी	अध्यापक	२००–१०–३००
३	आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी इन्स्टीट्यूट ।	आगरा विश्वविद्यालय अब तक केवल एक सम्बद्ध करने वाला विश्वविद्यालय ही रहा है पर विश्वविद्यालय ने आगरा में एक हिन्दी इन्स्टीट्यूट खोला है । इस इन्स्टीट्यूट में संस्कृत तथा अर्बी का कोई अध्यापक नहीं है ।			
४	गोरखपुर विश्व-विद्यालय ।	१	संस्कृत	प्राध्यापक	रु० ८००–५०–१,२५०
		९	संस्कृत	सहायक प्राध्यापक।	रु० ३००–२०–५०० द० रो० २५–८००।
	नोट :—गोरखपुर विश्वविद्यालय में अर्बी की शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई है ।				
५	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ।	८	प्राध्यापक	प्राध्यापक	रु० ८००–५०–१,२५०
		१६	संस्कृत	सहायक प्राध्यापक।	रु० ३००–२०–५०० द० रो० २५–८००।
		७	संस्कृत	शिक्षक	रु० २००–४५०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

सूची

प्रथम तथा द्वितीय विधान सभा द्वारा अब तक पारित किये गये अधिनियम जो अभी तक लागू नहीं किये गये, उनके नाम तथा उनके लागू न किये जाने के कारण:

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम	लागू न किये जाने के कारण
१	उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ ।	वैधानिक कठिनाइयां ।
२	उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ ।	अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं । नियमों में अंतिम रूप दे दिये जाने पर लागू किया जायगा ।
३	उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८	अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं । नियम बन जाने के बाद लागू किया जायगा ।
४	उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ ।	अध्याय १ तथा २ के उपबन्ध लागू कर दिये गये हैं । शेष उपबन्ध महापालिकाओं के बन जाने के पश्चात् लागू किये जायेंगे ।
५	उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम १९५२ ।	धारा ११ (१) के अधीन सुधारक बस्तियों की स्थापना करने के निमित्त कार्रवाई की जा रही है । उनकी स्थापना के बाद अधिनियम पूर्णरूप से लागू हो जायगा ।
६	इण्टरमीटिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ ।	इन अधिनियमों की कुछ धारायें विनियमों के न जानने के कारण अभी तक लागू नहीं की जा सकी हैं ।
७	प्रादेशिक शिक्षा दल अधिनियम, १९५८	विनियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७८ पर)

प्रश्न संख्या ११५ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

वर्ष	व्यक्ति तथा एजेंसियों के नाम जिनके द्वारा हरिजन प्रचार कार्य के निमित्त अनुदान दिया गया	धनराशि रु० न० पै०
१९५२–५३	हैंडबिल छपवाने हेतु जिला नियोजन अधिकारी द्वारा ..	४० ००
	योग ..	४० ००
१९५३–५४	पंचायत निरीक्षक, मिश्रित हरिजन सम्मेलन हेतु ..	३०० ००
	श्री परागी लाल एम० पी० सम्मेलन हेतु	६०० ००
	श्री मिराजुद्दीन, अध्यक्ष प्रकमांडेंट, ११-पी ए० सी० हरिजन प्रचारार्थ	३७५ ००
	योग ..	१,२७५ ००
१९५४–५५	श्री परागी लाल, एम० पी०, हरिजन प्रचारार्थ ..	६४१ ५०
	श्री ए० डी० पी० ओ० हरिजन प्रचारार्थ एवं ११ सम्मेलन हेतु	७७० ००
	जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, छुआछूत प्रचारार्थ ..	१२५ ००
	योग ..	१,५३६ ५०
१९५५–५६	श्री परागी लाल एम० पी०, हरिजन सम्मेलन हेतु ..	७१२ ८७
	मैनेजर खादी भंडार, हरिजन सम्मेलन हेतु	२४३ ५६
	पंचायत निरीक्षक, सिधौली, हरिजन सम्मेलन हेतु ..	७३ १९
	श्री देवीप्रसाद, हरिजन सम्मेलन हेतु	१२० २५
	ए० डी० पी० ओ० हरिजन छुआछूत प्रचार हेतु ..	११५ ००
	जिला सूचना अधिकारी, छुआछूत प्रचार हेतु ..	१,००० ००
	ए० डी० पी० ओ०, छुआछूत प्रचार हेतु ..	५०० ००
	श्री डल्लाराम, छुआछूत प्रचार हेतु	६५ ००
	सचिव, जिला बोर्ड, छुआछूत प्रचार हेतु	१०० ००
	योग ..	२,९२९ ८७
१९५६–५७	श्री रसिक बिहारी अवस्थी, महोली, कमलापुर हरिजन प्रचारार्थ :	६२ ५०
	जिला विद्यालय निरीक्षक, हरिजन प्रचारार्थ ..	३५० ००
	सचिव, खैराबाद, नुमायश, हरिजन छुआछूत प्रचारार्थ ..	१०० ००
	योग ..	५१२ ५०

वर्ष	व्यक्ति तथा एजेंसियों के नाम जिनके द्वारा हरिजन प्रचार कार्य के निमित्त अनुदान दिया गया	धनराशि रु० न० प०
१९५७–५८	श्री राम सुन्दराम हरिजन सुपरवाइजर, प्रचारार्थ ..	४० ००
	श्री राजेश अवस्थी, हरिजन प्रचारार्थ	१० ००
	जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, हरिजन प्रचारार्थ ..	४३१ १३
	क्षेत्र विकास अधिकारी, हरिजन छुआछूत प्रचारार्थ ..	५० ००
	हरिजन सम्मेलन प्रचारार्थ इस्तहार छपाई पर व्यय ..	१७५ ००
	योग ..	७०६ १३
१९५८–५९	श्री राजेश अवस्थी, हरिजन प्रचारार्थ	५ ००
	ए० डी० पी० ओ० हरिजन प्रचारार्थ	२५० ००
	क्षेत्र विकास अधिकारी सिधौली, हरिजन प्रचारार्थ ..	१५० ००
	क्षेत्र विकास अधिकारी, बिस्वा	१०० ००
	क्षेत्र विकास अधिकारी, रामपुर, मथुरा	१०० ००
	क्षेत्र विकास अधिकारी, मिश्रिख	१०० ००
	श्री बलराज किसान पंजाब पैंटिंग हाउस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के माडेल हेतु जिला हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा	१५६ ००
	क्षेत्र विकास अधिकारी, हरगांव, हरिजन प्रचारार्थ ..	१५० ००
	जिला सूचना अधिकारी, हरिजन प्रचारार्थ ..	१०० ००
	श्री परागी लाल, एम० पी०, हरिजन प्रचारार्थ ..	२५० ००
	योग ..	१,३६४ ००
	कुल योग ..	८,३६४ ००

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४४ का उतर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

प्रश्न संख्या ११४ से संबंधित सूची
जिला बाराबंकी

क्रम संख्या	नाम ग्राम	क्षति के विवरण (रुपये में)		सहायता जो सरकार द्वारा दी गई अहेतुक सहायता	
१	२	३		४	
	तहसील नवाबगंज	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०
१	पराकुवर पं० प्रतापगढ़ ..	४५०	००	—	—
२	शफीपुर बकी, हड्डागंज (नवाब गंज) ..	२,०९०	००	—	—
३	टिकरा पट्टी	२६५	००	—	—
४	चिरैयाबाग मजरे 'मिर्जापुर (सतरिश) ..	१९,२६३	५०	८०	००
५	तिधवानी (देवा)	२०	००		
६	मोहम्मदपुर (नवाबगंज) ..	८००	००	—	—
७	रसूलपुर किदवाई (देवा) ..	५००	००	—	—
८	भनौली (नवाबगंज) ..	६४१	००	—	—
९	छेदी नगर (प्रतापगढ़) ..	३८५	००	—	—
१०	जगदीशपुर मजरे कोन्डरी (देवा) ..	१२८	००	—	००
११	वरेहटा (सतरिख) ..	२,३०९	००	—	००
१२	इन्धौलिया (प्रतापगंज) ..	२२५	००	—	—
१३	रसौली (प्रताप्गंज)	१८०	००	—	—
१४	बोजा (प्रतापगंज)	५,४०४	००	६०	००
१५	टिकराघाट (रातरिख)	४,०९२	००	५०	००
	तहसील रामसनेहीघाट				
१	लोढ़मऊ (दरियावाद)	१,०००	००	३०	००
२	भगवानपुर (दरियाबाद)	४००	००	—	—
३	मोलहरा (सूरजपुर)	४५०	००	—	००
४	कोन्डरी मजरे कोठरी गौरिया (दरियाबाद)	३,९२५	००	१५०	००
५	मगरोड़ा (रुदौली)	८००	००	—	००
६	कोंडरी मजरे रामपुर हराहा (दरियाबाद)	२,७४५	००	७५	००
७	पहरूपुर (दरियाबाद)	६८०	००	—	—
८	दवरिकापुर (मवई)	४३५	००	—	—
९	वेलहरी (दरियावाद)	४५	००	—	—
१०	घेमा (मवई)	६००	००	—	—
११	मीसा (रुदौली)	१९५	००	—	—
१२	गूदरापुर (दरियाबाद)	९५०	००	६०	००

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्षति का विवरण (रुपये में)		सहायता जो सरकार द्वारा दी गई अहेतुक सहायता	
१	२	३		४	
		रु०	न० पै०	रु०	न० पै०
१३	हंसराजपुर (मवई)	१,०९५	००	—	—
१४	बेलखरा (रुदौली) ..	४०,०००	००	२२५	००
१५	तेलवारी (दरियाबाद)	९,९४०	००	२५	००
१६	दुल्लापुर (सूरजपुर)	५९०	००	—	—
१७	कुशहरी (बसौढ़ी)	५०	००	—	—
१८	सराय-यूसुफ (दरियाबाद)	१,९४१	००	—	—
१९	लम्भौना मजरे उमेरापुर रायसाहब (सूरजपुर) : ..	३००	००	—	—
२०	गोकुला (दरियाबाद)	२,५००	००	—	—
२१	कुन्डरवा मजरे रामपुर राय साहब ..	२,३००	००	—	—
२२	अहरौली मजरे अख्तयारपुर (रुदौली) ..	१०	००	—	—
	तहसील फतेहपुर				
१	हरवंसपुरवा मजरा अकौना (मिटाली)	६१६	००	—	—
२	बालगोविन्द पुरवा परवतपुर (मिटौली)	७५	००	—	—
३	बाले पुरवा मजरे विदौरा घरघरिया (मुहम्मदपुर) । ..	८००	००	—	—
४	दुर्गापुर (मुहम्मदपुर)	२२५	००	—	—
५	दुर्गापुर (मुहम्मदपुर)	१५०	००	—	—
६	बाजुरी मजरे दुर्गापुर (मुहम्मदपुर) ..	५,२७८	००	२५	००
७	पत्थरा मजरे दुर्गापुर (मुहम्मदपुर) ..	१,०८३	००	२५	००
८	मिर्जापुर मजरे गोबा (भटौली) ..	८४८	००	—	—
९	लौनिन पुरवा मजरें (गोबा मिटौली) ..	१,३६७	००	—	—
१०	रेथढ़ा (फतेहपुर)	१,००९	००	—	—
११	लालपुर मजरे खटौली (कुर्सी) ..	८,०००	००	१००	००
१२	राम मडई (मुहम्मदपुर)	१५७	००	—	—
१३	रहिलामऊ (फतेहपुर)	१३,३६४	००	—	—
१४	अगौली (फतेहपुर)	१,१५५	००	—	—
१५	भैरमपुर (भिटौला)	७	५०	—	—
१६	बसौली (मोहम्मदपुर)	१२२	००	—	—
१७	फतेहपुर (फतेहपुर)	७००	००	—	—
१८	मजगवा (फतेहपुर)	२५५	००	—	—
१९	भीरपुर (रामनगर)	२२०	००	—	—
२०	बिलहरी मजरे सरसेंडा (भिटौली) ..	१५०	००	—	—
२१	हर्यवइया (रामनगर)	४०५	००	—	—
२२	हजरतपुर (बदोसराय)	६३२	००	—	—
२३	बरैइया (रामनगर)	१,२९१	६०	६०	००
२४	गोबरहा (रामनगर)	९००	००	—	००
२५	कुर्सी (कुर्सी)	६५६	००	—	—

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्षति का विवरण (रुपये में)		सहायता जो सरकार द्वारा दी गई अहेतुक सहायता	
१	२	३		४	
		रु०	न० पै०	रु०	न० पै०
२६	मोहावा (मिटौली)	२६३	००	—	—
२७	नन्दकुमार बाग मजरे मझारी (मा० पु०)।	१५२	००	—	—
२८	नरहरपुरवा मजरे पिपरी महार (राम नगर)	१,५१७	००	—	—
२९	मौसन्डी (रामनगर)	३,३२४	००	—	—
३०	घघरा (फतेहपुर)	२२६	००	३०	००
३१	इब्राहीमपुर (भटौली)	१,००६	००	३०	००
३२	विहुरा (फतेहपुर)	४२८	००	—	—
३३	बन्दी नगर (फतेहपुर)	१२०	००	—	—
३४	औसेरी पुर मजरे क्योटली (मो० सुर)	१,०८५	००	—	—
	तहसील हैदरगढ़				
१	परीवा (हैदरगढ़)	११,६१०	५०	१५०	००
२	ग्रोलवा (सुबेहा)	२०	००	—	—
३	अचकामऊ (सिदघौर)	१,०७७	००	—	—
४	परेमल्लहिंद्र मजरे अचकामऊ (सिदघौर)	५,४७६	००	२२०	००
५	फिरोजाबाद (हैदरगढ़)	१५०	००	—	—
६	मीरापुर (सिदेघौर)	१६५	००	१०	००
७	सरायमीर (सिदेघौर)	७	००	—	—
८	बरांवां (सुबेहा)	५५०	००	१०	००
९	सुजारा (हैदरगढ़)	२,०१०	००	८०	००
१०	मुबारकपुर (हैदरगढ़)	७५०	००	—	—
११	दौलतपुर (हैदरगढ़)	३,३३९	००	२०	००
१२	पूरेतेज मजरे सुवेघ (सूवेहा) ..	२०६	००	—	—
१३	हिम्मतपुर (हैदरगढ़)	२५	००	—	—
१४	बसंतपुर माजरे तेजवापुर (हैदरगढ़) ..	२,४६,०००	००	३००	००
१५	मितरी (हैदरगढ़)	१,६३६	००	२०	००
१६	मदनापुर (हैदरगढ़)	३६६	००	—	—
१७	तकिवा मजरे करमेमऊ (हैदरगढ़) ..	६५	००	—	—
१८	बलदेवापुर (हैदरगढ़)	१५०	००	—	—
१९	अलमापुर (हैदरगढ़)	३,५९१	००	१२०	००
२०	मूरलीगंज (सिदघौर)	३८५	००	—	—
२१	रौमरी (सिदघौर)	१,२००	००	—	—
२२	दुर्गापुर (हैदरगढ़)	२५	००	—	—

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८३ पर।)

१ जनवरी १९५९ से २८ जून, १९५९ तक जिला बाराबंकी में हुए डकैती, राहजनी, हत्यायें, औरतों के भगाये जाने के जुर्म की तालिका

क्रम संख्या	अपराध	रिपोर्ट	चालान हुआ	जेर तफतीक	जेर तजबी	लापता
१	डकैती ..	११	११	११	–	–
२	राहजनी ..	८	३	३	४	१
३	हत्या ..	१६	१०	१०	४	२
४	औरतों को भगाने का जुर्म	१०	३	३	३	४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८३ पर)

कप्तान पुलिस मैनपुरी के पास उक्त जिले के थानेदारों के विरुद्ध १९५७ व १९५८ में आई, रिश्वत लेने, मारपीट करने व झूठा चालान करने की शिकायतों के आंकड़े

साल	रिश्वत	मारपीट	झूठा चालान
१९५७	३९	१४	२
१९५८	५२	६	६

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर)

सन् १९५८ में डकैतियों की जिलेवार संख्या का विवरण पत्र

क्रम-संख्या	जिला	संख्या	क्रम-संख्या	जिला	संख्या
१	२	३	१	२	३
१	आगरा ..	१२	२८	शाहजहांपुर ..	४१
२	अलीगढ़ ..	२६	२९	रामपुर ..	१०
३	बुलन्दशहर ..	२५	३०	बहराइच ..	१६
४	देहरादून ..	..	३१	बाराबंकी ..	३५
५	एटा ..	२९	३२	फैजाबाद ..	१३
६	मैनपुरी ..	३०	३३	गोंडा ..	१२
७	मेरठ ..	२६	३४	हरदोई ..	२४
८	मथुरा ..	२०	३५	लखनऊ ..	११
९	मुजफ्फरनगर ..	२१	३६	प्रतापगढ़ ..	१७
१०	सहारनपुर ..	८	३७	रायबरेली ..	२१
११	इलाहाबाद ..	८	३८	सीतापुर ..	३२
१२	बांदा ..	३	३९	सुल्तानपुर ..	८
१३	कानपुर ..	१९	४०	उन्नाव ..	१६
१४	इटावा ..	४२	४१	आजमगढ़ ..	१३
१५	फर्रुखाबाद ..	२०	४२	बलिया ..	११
१६	फतेहपुर ..	५	४३	बस्ती ..	४
१७	हमीरपुर ..	१६	४४	बनारस ..	१
१८	जालौन ..	१०	४५	गाजीपुर ..	३
१९	झांसी ..	३२	४६	गोरखपुर ..	१०
२०	बरेली ..	२५	४७	देवरिया ..	६
२१	बिजनौर ..	२२	४८	जौनपुर ..	११
२२	बदायूं ..	२८	४९	मिर्जापुर ..	२
२३	खीरी ..	३३	५०	जी० आर० पी० ..	४
२४	पौरी गढ़वाल ..	..	५१	अल्मोड़ा ..	..
२५	नैनीताल ..	९	५२	टेहरी गढ़वाल ..	..
२६	मुरादाबाद ..	२४			
२७	पीलीभीत ..	११		योग ..	८२५

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर)

प्रश्न संख्या ६ से सम्बन्धित सूचना

तहसील	बृहद जोत कर देने वाले काश्तकारों की संख्या
१	२
१—आगरा	३६
२—एतमादपुर	४५
३—फिरोजाबाद	२६
४—किराबली	४३
५—खैरागढ़	५५
६—बाह	८
७—फतेहाबाद	२७
योग ..	२४०

प्रदेश सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये प्रतारांकित प्रश्न ८–९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर)

उत्तर प्रदेश में उपलवृष्टि से मार्च के अन्तिम तथा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हानि तथा दी गई सहायता का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या	जान की हानि		फसल की हानि	अहेतुक सहायता	तकावी	मालगुजारी में छूट
			जन	पशु				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	देहरादून	८०	..	..	३६ गांवों में ८ आने से १६ आने तक, ३९ गांवों में ८ आने से कम तथा शेष गांवों में ४ आने से कम है ।	५,०००	२०,०००	१५,४२९
२	सहारनपुर	४०३	१	९	१५४ गांवों में ८ आने से अधिक तथा शेष गांवों में ८ आने से कम ।	५,०००	१,००,०००	१,१४,५०२
३	मुजफ्फरनगर	९९	..	..	३१ गांवों में ८ आने से १६ आने तथा शेष में २ आने से ६ आने ।	२,५००	२३,०००	३२,८४१
४	बुलन्दशहर	७०	..	..	२ आने से कम ..	..	..	..
५	अलीगढ़	१३९	..	..	१४ गांवों में ८ आने से अधिक तथा शेष में ६ आने से ८ आने तक ।	..	..	१,१८७
६	मथुरा	४	..	..	८ आने से १२		१०,५००	१,९७५

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षतिग्रस्त ग्रामों की संख्या	जान की हानि		फसल की हानि	अहेतुक सहायता	तकावी	मालगुजारी में छूट
			जन	पशु				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
७	मैनपुरी	३४	..	..	हानि नगण्य है ..	..	..	..
८	एटा	४१	..	..	८ आने से अधिक २३ गांवों में तथा शेष में ६ आने से कम । ..	..	..	६,२१०
९	बरेली	४	..	..	हानि नगण्य है ..	..	..	१,३८०
१०	बिजनौर	२२८	..	..	१२६ गांवों में ८ आने से अधिक तथा शेष गांवों में ६ आने से ८ आने तक ।	..	३०,०००	६८,३४१
११	मुरादाबाद	५७	..	..	१३ गांवों में २ आने से १० आने ।	..	..	६,२५२
१२	शाहजहांपुर	१४३	१		३७ गांवों में ८ आने से अधिक शेष गांवों में १ आने से ४ आने तक ।	..	..	३७,०९६
१३	पीलीभीत	२०७	..	..	१८ गांवों में ८ आने से १४ आने तक तथा शेष में हानि नगण्य है ।	..	..	२,८८२
१४	फर्रुखाबाद	४०	..	..	हानि नगण्य है ..	..	..	..
१५	वाराणसी	७९२	..	..	३४ गांवों में ८ आने से १५ आने तक तथा शेष में हानि नगण्य है । ..	..	..	२,६४४
१६	गोरखपुर	६	..	३		..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१७	बस्ती	..	..	१२१	..	..	११० ग्रामों में ८ आने से अधिक ।	..	७,०००	१३,६२०
१८	नैनीताल	..	..	१४६	..	..	२६ गांवों में ८ आने से अधिक तथा शेष में ८ आने से कम ।	..	..	८,९०२
१९	अल्मोड़ा	..	..	२,१००	..	..	हानि नगण्य है ..	..	..	..
२०	गढ़वाल	..	..	५	..	२	१६ आने हानि हुई ..	१,५००	..	..
२१	सीतापुर	..	..	२३८	१	४	१५० गांवों में ८ आने से १६ आने तक तथा शेष में ८ आने से कम ।	२,१३०	..	१,५०,६४२
२२	हरदोई	..	..	२३	..	..	६ आने से १० आने तक	..	..	१६७
२३	खीरी	..	..	२४६	..	..	८० ग्रामों में ८ आने से अधिक तथा १६६ में आठ आने से कम ।	..	..	८५,०८२
२४	फैजाबाद	..	..	९२	..	..	३४ ग्रामों में १२ आने से १६ आने तथा शेष में १० से १२ आने ।	..	..	..
२५	गोंडा	..	..	७८	..	..	१० आना या कुछ अधिक २० ग्रामों में तथा शेष में ६ आने से कम ।	..	..	१२,७१९
२६	बहराइच	..	..	..	..	..	२ आने से १४ आने ..	..	..	३४,२६०
२७	प्रतापगढ़	..	..	९४	..	..	५ गांवों में १२ आने से अधिक तथा शेष में ६ आने से कम ।	..	..	६६८
२८	बाराबंकी	..	..	२७९	२	..	२०७ गांवों में ८ आने से अधिक तथा शेष गांवों में हानि नगण्य है ।	..	५०,०००	१,३०,७४७

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०६ एल० ए०—१९५९—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा